Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का तृतीय दिवस [संख्या ३

शुक्रवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक ११.२- म० पू० विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य, सिंचाई, अकाल सहायता, स्वायत्त शासन, गृह, कृषि, खाद्य एवं टाउन प्लानिंग—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती लक्ष्मी-कुमारी चूण्डावत !

चेचक उन्मूलन अभियान

३१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस साल कितने जिलों में चेचक महामारी फैली ?

(२) बीमारी फैलने से पहले उन जिलों में से कितने जिलों का चेचक उन्मूलन अभियान समाप्त हो चुका था और इस अभियान के बाद वहां चेचक महामारी फैलने के क्या कारण थे ?

(३) इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृति को रोकने के सरकार ने क्या उपाय किये ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सन् १९६४–६५ में राजस्थान के ९ जिलों में चेचक फैली; क्रमश: १. बीकानेर, २. चूरू, ३. झुन्झुनू ४. सीकर, ५. जयपुर, ६. सिरोही, ७. उदयपुर, ८. डूंगरपुर, ९. बांसवाड़ा।

(२) इन जिलों में चेचक उन्मूलन अभियान बीमारी फैलने से पहले समाप्त नहीं हुआ था, अभियान कार्य सन् १९६३-६४ से शुरू हुआ और अभी चालू है।

(३) इन जिलों में चेचक उन्मूलन अभियान को अधिक तेजी से शुरू कर दिया है और पूरी तौर से विभाग को सतर्क भी;

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

समय समय पर अधिकारीगण मौके पर जा कर जांच कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि इस अभियान के समाप्त होने पर बीकानेर शहर में चेचक की बीमारी फैली ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि जिस समय बीकानेर में बीमारी फैलने लगी उस समय चेचक उन्मूलन अभियान समाप्त हो चुका था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट डाइरेक्टर श्री ओमप्रकाश यहां से जांच के लिए गये तो उन्होंने जांच के बाद यह स्वीकार किया है कि चेचक उन्मूलन अभियान समाप्त होने के बाद चेचक की बीमारी फैली ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) जिस वक्त मालूम हुआ कि वहां चेचक फैल गई है तो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को वहां भेजा गया डाइरेक्टर को वहां भेजा गया और तमाम तरीकों से जानकारी की कि क्या बात है ? गवर्नमेंट ने यह भी तय किया कि एक कमेटी बैठाई जाय जिसके कन्वीनर बोर्डर कमिश्नर हों, इस कमेटी में डाइरेक्टर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हैं, जो जांच करे कि किस किस का कुसूर है। इस सत्र की जांच कर वह कमेटी रिपोर्ट करेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जालौर का नाम लिस्ट में गायब कैसे है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : वहां से चेचक के रूप में आप यहां आ गये, इसलिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बीकानेर और चूरू में चेचक फैला है उससे कितने बड़े और कितने बच्चों की मृत्यु हुई ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि चेचक के टीके लगाने के बोगस नाम लिखे गये। डाइरेक्टर ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेन्स में स्वीकार किया है कि जन-सहयोग की कमी रही। जिनकी ड्यूटी थी वे लोग उस अभियान के समय में कितने दिन वहां पर रहे ?

श्री बरकतुल्ला खां : टीके लगाये जाते हैं तो असिस्टेन्ट हैल्थ ऑफिसर वहां होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि सारे अभियान को ऑर्गेनाइज करे, वेक्सीनेटर और डॉक्टर्स उसके नीचे दिये जाते हैं। जैसे ही मालूम हुआ कि बीकानेर में चेचक की बीमारी फैलने लगी है तो पाली से, नागौर से टीमों को फौरन वहां भेजा गया, जो डॉक्टर्स कोर्स पास कर चुके थे उनको ड्यूटी पर इस काम में लगाया गया। जो लोग वॉलन्टियरी कर रहे थे उनको दो दो रुपये देकर टीके लगवाये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि अभियान समाप्त होने के पश्चात् चेचक की बीमारी वहां फैली ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दो-तीन दफा स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है कि अभियान समाप्त नहीं हुआ था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चेचक से बीकानेर में कितनी डैथ्स हुई ?

श्री बरकतुल्लाखां : बीकानेर शहर में ४०३ डेथ्स और चूरू में २३।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतनी मृत्युएं चेचक से हुई, क्या इसे अलार्मिंग नहीं समझा ?

श्री बरकतुल्लाखां : अलार्मिंग समझा, इसीलिये तो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को फौरन मौके पर जांच के लिए भेजा गया, वान्स भेजे गये, वेक्सिनेटर्स जो ट्रेनिंग में थे उनको भी लगाया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४०३ और २३ क्रमश: बीकानेर और चूरू की डेथ्स के ये फीगर्स म्युनिसिपल रिकॉर्ड पर आधारित हैं या आपके विभाग के फीगर्स हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह म्युनिसिपैलिटीज़ और विभाग दोनों के मिला कर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : म्युनिसिपल कमिश्नर से मेरी बात हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि कम्प्लीट डेथ्स के आंकड़े तैयार कर सकें। तो क्या आपके विभाग ने इन आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए अलग मशीनरी ऑर्गेनाइज़ की है ?

श्री बरकतुल्ला खां : म्युनिसिपल कमिश्नर से आपकी क्या बात हुई, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं; पर म्युनिसिपैलिटी और हमारे विभाग ने जो फीगर्स दिये वे यह हैं। जांच के लिये हमने कमेटी बैठाई है। जिस इन्क्वायरी कमेटी के बोर्डर कमिश्नर कन्वीनर हैं, वे इसमें देखभाल करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने इन्क्वायरी कमेटी बैठा दी, उसकी रिपोर्ट आ गई है क्या ?

श्री अध्यक्ष : टीके अनिवार्य रूप से लगें, इसके लिये कानून की इमदाद की जरूरत है; ऐसा महसूस किया गया या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : ज्यों ही चेचक की बीमारी फैली एपीडेमिक एक्ट लगा दिया था। ७ लोकेलिटीज़, जहां यह बीमारी फैली वहां वेक्सिनेशन सेंटर चालू किये गये। स्टेशन पर, ऑक्ट्रोय पोस्ट पर वेक्सिनेशन सेन्टर खोले गये और यह कर दिया गया कि जो भी शहर में आयें उनके टीके लगाये जायं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये जुदा कानून भी है, जिसके अन्तर्गत शायद नियम नहीं बने हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : एपीडेमिक ऐलान कर देते हैं तो हम कानूनन टीके लगाते हैं और टीके लगाये गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि दो दो बार टीके लगाने के बाद भी २०

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

केसेज ऐसे हुए हैं कि उनमें डैथ्स हुई हैं, कोई सफाई का इन्तजाम नहीं। एपेरेटस को बिना साफ किये, गरम पानी से धोये बिना, मास स्केल पर अनसाइन्टिफिकली टीके लगाये गये। जिससे बीकानेर में चेचक से १००० से ज्यादा डैथ्स हुई हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि बोगस नाम सभी जगह लिखाये जाते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। आपके पास जानकारी हो तो दीजिये, हम कार्यवाही करेंगे। ऑलरेडी दो वेक्सिनेटर्स को सस्पेन्ड कर दिया है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : निम्बाहेड़ा में फर्जी नाम लिखे जाते हैं; पंचायत समिति निम्बाहेड़ा इस प्रकार के रेकर्ड मेन्टेन करती है, वहां फर्जी नाम लिखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

भरतपुर की नल योजना

३२. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास सु०) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भरतपुर में नल लगाने से पहले विभाग ने वहां के पानी के बारे में जांच करवा ली थी ?

(२) क्या यह सही है कि वहां के नलों द्वारा दिया जाने वाला पानी खारा है ?

(३) क्या यह सही है कि अब भरतपुर में पानी का प्रबन्ध बंध बरेठा से किया जाने का इरादा किया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि भरतपुर की नल योजना में कोई ४० लाख रुपये खर्च हुए हैं ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इतने बड़े अपव्यय के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, केवल १६ लाख रुपये भरतपुर की नल योजना बनाने के लिए खर्च किए गए हैं तथा वितरण योजना चालू है व कोई अपव्यय नहीं किया गया।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

जगर बांध की नहरों में आई भूमि का मुआवजा

३३. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 5

(श्री श्रवणलाल)

(१) जगर बांध की नहरों में आई भूमि का मुआवजा संबंधित व्यक्तियों को अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ? कितनी जमीन नहरों में आई है ?

(२) क्या यह सही है कि नहरों में आई भूमि का लगान अब तक वसूल किया जा रहा है ?

उप-मन्त्री सिंचाई, (श्री दिनेशराय डांगी): (१) भूमि अवाप्त करनेकी कार्यवाही राजस्व विभाग से पूरी न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका । इसमें लगभग २८० एकड़ भूमि आई हुई है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दिया ।

श्री दिनेशराय डांगी : आप सुनते नहीं हैं । पहले भी आप श्री सांवलियाराम के बदले में बोल गए ।

(१) भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही राजस्व विभाग से पूरी न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका । इसमें लगभग २८० एकड़ भूमि आई हुई है ।

(२) जी नहीं, राजस्व विभाग से पता चला है कि लगान वसूल करना बन्द कर दिया है ।

श्री श्रवणलाल : वसूल करना बन्द कब से किया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : वह तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे बताया गया वसूली बन्द है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : जो ८-८, १०-१० साल तक लगान ली जाती है वह लौटाई नहीं जाती है ।

श्री श्रवणलाल : जो मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं कि लगान वसूल करना बन्द कर दी है, वह अभी तक बन्द नहीं हुई है, अभी तक ली जा रही है ।

श्री दिनेशराय डांगी : जहां तक जनरल सवाल है, यह लगान बन्द कर दी है, अगर कोई स्पेसिफिक केस हो, जिससे अभी भी ली जा रही है तो बताए, हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि इस जमीन पर अधिकार करने के पहले सेलगान वसूल किया गया था ?

सिंचाई-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जहां तक लगान के कब से वसूल बन्द करने का प्रश्न है इसमें तहसीलदार ने १६-११-६४ को लिखा है कि इसके बाद में कोई लगान नहीं ले रहे हैं । पहले कितने वर्ष का ले लिया, इस बार रेवेन्यू विभाग के कब्जे में अगर उन लोगों की जमीन नहीं है तो वापस रिफंड किया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के ऐसे स्टेंडिग ऑर्डर्स हैं कि जिस जमीन पर सरकार अधिकार कर ले ऑटोमेटीकली उस जमीन का लगान रेवेन्यू अधिकारी सूल न करें ? व

Page No 6

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार के आदेश हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर उन आदेशों की अवहेलना क्यों की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां जहां जिन लोगों ने अवहेलना की है उस बारे में राजस्व विभाग उचित कार्यवाही कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

नागौर स्टेशन के पास पड़ी कड़ब का नुकसान

३४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अकालग्रस्त लोगों को वितरण करने के लिए आई हजारों मन कड़ब नागौर स्टेशन के पास एक नोहरे में पड़ी पड़ी सड़ गई ?

(२) यदि हां, तो यह कड़ब वहां कब आई थी ? क्या उसे ठीक ढंग से रखा गया था ?

(३) समय पर उसका वितरण न किये जाने का क्या कारण था जबकि नागौर जिले में आम तौर से अकाल था ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) यह सही नहीं है।

(२) यह कड़ब डीड़वाना से तारीख २०–४–६४ से दिनांक ३–६–६४ तक के समय में आई थी। जब इसकी बिक्री जारी थी उस समय अचानक वर्षा आ जाने से उसे ठीक ढंग से नहीं रखा गया।

(३) अचानक वर्षा आ जाने के कारण कड़ब की मांग कम हो गई थी और जो न बिक सकी वह कड़ब पड़ी हुई थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न के जवाब में कहा कि कड़ब नष्ट नहीं हुई। फिर आगे इसको स्वीकार किया है। इस तरह आपके जवाब में कन्ट्रोडिक्शन है। वर्षा आ गई, ठीक ढंग से सम्भाल नहीं की, फिर क्या हुआ कड़ब का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने पूछा था कि सड़ गई; तो मैंने कहा. "जी नहीं"। मैंने कहा, बिकने के बाद बरसात आई और जो काम न आ सकी वह पड़ी रही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कड़व का नुकसान हुआ या नहीं ?।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा बरसात में भीग जाने की वजह से कवड़ पड़ी रह गई और चूंकि खरीददार कम हो गए इसलिए बिकी नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सड़ गई या पड़ी रह गई, लेकिन कड़ब का नुकसान हुआ या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर हम वहां कुछ कम रखते हैं और जरूरत अधिक पड़ जाती है तब भी आक्रमण होता है कि इतनी जरूरत थी और कम व्यवस्था हुई। हमने अप्रैल में

Page No 7

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कड़ब भेजना शुरू किया था और वह कड़ब वहां पर गर्मी के दिनों में जब तक स्केर्यासिटी कन्डीशन्स रहीं बराबर बिकती रही, फिर बरसात आने की वजह से लोगों ने खरीदना बन्द किया और वह पड़ी रह गई। कड़ब को किसी मकान में बन्द नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रश्न नहीं है। कड़ब को ठीक ढंग से नहीं लगाया साधारण से साधारण किसान जानता है कि उसको कैसे रखा जाय। कड़ब को बुरी तरह से, लापरवाही से, वहां के अधिकारीगण ने एक दूसरे पर ही कर दिया, इससे कड़ब खराब होती है तो वह हीप से खराब हो गई। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन समय पर नहीं हुआ।

प्रश्न संख्या ३५

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस के विरुद्ध मामले

३६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री सरदाराराम, सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस, जोधपुर आज तक कितनी बार मोअत्तिल हो चुका है ? उनको किन किन तारीखों में मोअत्तिल किया गया और कब कब वापिस बहाल किया गया ?

(२) श्री सरदाराराम द्वारा अलवर में क्या कोई अनैतिक कार्य करने की शिकायतें सरकार के पास आई थीं और क्या सरकार ने उसमें कोई जांच की ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त जांच के बाद उक्त श्री सरदाराराम को नौकरी से बरखास्त कर दिया गया ?

(४) क्या उक्त बरखास्तगी के बाद श्री सरदाराराम ने आई. जी. पी., श्री गोवर्धन के विरुद्ध अपने नाम से पर्चे निकाले ? उक्त पर्चों पर सरकार द्वारा श्री सरदाराराम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त पर्चे निकालने के बाद ही श्री सरदाराराम को बहाल किया गया ? उक्त बहालगी का हुक्म किसने दिया और किस आधार पर दिया ?

(६) क्या यह सही है कि सरदाराराम ने बरखास्तगी के हुक्म के विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पेश की थी जो खारिज हो गई ? यदि हां, तो इसको ऐसी परिस्थिति में बहाल क्यों किया गया ?

(७) उक्त सरदाराराम कत्ल के कितने मुकद्दमे में मुल्जिम रह चुका है ?

(८) उक्त बहालगी के बाद श्री सरदाराराम को किन किन सर्किलों में लगाया गया ?

Page No 8

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(९) क्या यह सही है कि पाली में श्री सरदाराराम ने एक सरपंच के विरुद्ध गबन का मुकदमा बनाया और सरपंच के हथकड़ी लगाई ?

(१०) रतनगढ़ सर्किल में श्री सरदाराराम के तबादले का हुक्म किस तारीख को उसे मिला और क्या उक्त हुक्म में तीन दिन के भीतर–भीतर चार्ज देकर स्थान छोड़ने का आदेश था ? उक्त हुक्म के मिलने के बावजूद श्री सरदाराराम किस तारीख तक रतनगढ़ में रहा? क्या यह सही है कि तबादले के हुक्म के पहुंचने के बाद उसने वहां के विधान सभा सदस्य के विरुद्ध दफा ४०९ ता० हि० के मुकद्मा दर्ज किया ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) श्री सरदाराराम दो बार मुअत्तिल रहे । पहली बार दिनांक ५-१०-४९ से ३-१-५१ तक, दूसरी बार ३-१२-५८ से १४-९-६२ तक ।

(२) श्री सरदाराराम के विरुद्ध अनैतिकता के बारे में कोई शिकायत नहीं आई ।

(३) अन्य शिकायतों पर विभागीय जांच के बाद उन्हें दिनांक २५-२-६१ को आई. जी. पी. की आज्ञा से नौकरी से हटाया गया था, बर्खास्त नहीं किया गया ।

(४) जी हां, नौकरी से निकाले जाने के बाद और बहाल होने के पहले की अवधि में श्री सरदाराराम ने इस प्रकार के पर्चे निकाले थे । श्री सरदाराराम उस समय राज्य सेवा में नहीं थे अत: उक्त पर्चे निकालने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ ।

(५) श्री सरदाराराम को उक्त पर्चे निकालने के बाद अवश्य बहाल किया गया किन्तु यह बहालगी पर्चो के कारण नहीं थी । श्री सरदाराराम ने आई. जी. पी. की आज्ञा दिनांक २२-२-६१ जिसके अनुसार वे नौकरी से हटाए गए थे, राज्य सरकार को अपील की और सरकार ने अपने आदेश दिनांक ११-९-६१ से आई. जी. पी. का आदेश मन्सूख करके आई. जी. पी. को दुबारा जांच के आदेश दिए । आई. जी. पी. ने राज्य सरकार के आदेशानुसार दूसरी जांच के पश्चात् उन्हें बहाल करने की आज्ञा १९-२-६२ को दी ।

(६) श्री सरदाराराम ने दुबारा जांच एस. पी. अलवर के द्वारा करने के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी किन्तु जब सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि जाँच आई. जी. पी. स्वयं करेंगे तो सरदाराराम ने अपनी रिट वापस ले ली । बहाल इसलिए किया गया कि उसके विरुद्ध दिए गए आरोप–पत्र अपील में राज्य सरकार द्वारा रद्द किये जाने के कारण आई. जी. पी. ने दूसरी जांच के पश्चात् उन्हें दिनांक १९-२-६२ की आज्ञा से बहाल करने का निर्णय किया ।

(७) श्री सरदाराराम केवल एक हत्या के मुकदमा नं० १०९ दिनांक २२-७-४९

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दफा ३०२ भा. द. स. थाना डिवीजन सी, बीकानेर में मुअत्तिल रह चुका है।

(८) श्री सरदाराराम के बहाल होने के बाद उन्हें निम्न स्थानों पर लगाया गया :—

(१) सर्किल रतनगढ़ जिला चूरू।

(२) ग्रूप ऑफिसर, जोधपुर।

(३) सर्किल, जालौर।

(४) होम इन्सपेक्टर, जालौर।

(५) सर्किल, फलौदी, जिला जोधपुर।

(६) जी नहीं।

(१०) उन्हें रतनगढ़ सर्किल से स्थानान्तरण की आज्ञा दिनांक २३-१२-६२ (अपरान्ह) को प्राप्त हुई। इस आज्ञा में ३ दिन के अन्दर चार्ज देकर जाने की आज्ञा थी। अतः वे दिनांक २७-१२-६२ को अपना कार्य भार सम्भलाकर वहां से रवाना हो गए। उन्होंने अपने स्थानान्तरण की आज्ञा के पश्चात् विधान सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध धारा ४०६ ता० हि० में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (१०) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मैं दुबारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिसका जवाब वे सोच-समझ कर दें। आया विधान सभा के सदस्य के विरुद्ध दफा ४०६ का मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं अपने ट्रान्सफर ऑर्डर के वहां पहुंचने के बाद ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो मैंने पहले उत्तर दिया है वह बहुत ही जिम्मेदारी से दिया है इसलिए उसको दुबारा रिवाइज़ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): तो क्या किसी अन्य धारा में दर्ज किया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया वह गलत है। ४०६ में मुकदमा दर्ज किया है। मोहनलालजी सारस्वत के विरुद्ध किया है। एफ. आई. आर. मौजूद है। दुबारा ऑर्डर्स जयपुर से रिवीज़न के लिए करा लिये जाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य बात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उन्होंने ४०६ का केस रजिस्टर नहीं किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४०६, ४०८, ४११ का मुकदमा दर्ज किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप गलत समझ रहे हैं। ४०६ का दर्ज हुआ है, यह दायित्व जिन आधार पर देते हैं वह नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि ४०६ में फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। मैंने बार बार कहा है।

Page No 10

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन के सामने तथ्य क्या है ? ४०६ में केस दर्ज हुआ है। प्रश्न यह है कि एफ. आई. आर. रजिस्टर किया नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री बहुत जिम्मेदाराना तरीके से कह चुके हैं कि उन्होंने नहीं की।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ४०६ में एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This was registered on 12.11.62 before the issue of the transfer order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : ट्रान्सफर ऑर्डर कब दिया था, आपने कहा २३. १२ ६२ को दिया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य: १२:११. ६२ को यह केस रजिस्टर हुआ। आपके आंकड़े लगा लिये। मैं आपको इसमें विश्वास दिला सकता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑर्डर से पहले विधान सभा के सदस्य के विरुद्ध ४०६ का मुकदमा दर्ज किया ?

श्री अध्यक्ष : हां, यह तो सही है।

(विराम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका एलीगेशन यह है कि ट्रान्सफर ऑर्डर हो गया। सरदाराराम वहां नहीं रहा और फिर भी इल्लीगल किया, यह आप इसमें इनकोर्पोरेट करना चाहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें नहीं करना चाहता। डेट कोई रिलेवेन्ट नहीं है। यह व्यक्ति दो बार सस्पेन्ड रहा है। एक बार यह दो-तीन साल तक सस्पेन्डेड रहा और एक बार चार साल के लिए। इसके बाद इसका आई० जी० पी० ने रिमूवल कर दिया। यह वही व्यक्ति है जो ३०२ में मुलजिम रह चुका है और एक साल के लिए हवालात में भी रह चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस व्यक्ति को तो मंत्री बनाया जाना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी रिमूवल आई० जी० पी० ने की। राज्य सरकार ने इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखने के बावजूद उसके रिमूवल ऑर्डर को क्यों समाप्त किया ? इस व्यक्ति पर यह कृपा क्यों की गई कि जो प्रीवियस हिस्ट्री में सजायाफ्ता है ? ३०२ में मुलजिम रह चुका है। आपकी इस पर कृपा का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने फरमा दिया, लेकिन फिर भी कृपा का कारण नहीं है, यह अर्ज कर दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कहा कि उसको हटा दिया गया है, डिस्मिस नहीं किया है। उसको सस्पेन्ड किया था ?

Page No 11

श्री निरंजननाथ आचार्य : Removed, not dismissed.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): क्या यह सही है कि इसी सरदाराराम ने जोधपुर के एस० पी० के खिलाफ हाल ही में एक रेप का केस दर्ज किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिये कि आपकी जानकारी में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न ४०६ का चल रहा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला:

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्टरी है। उक्त सरदाराराम के खिलाफ जो जांच गवर्नमेन्ट ने आई० जी० पी० के सुपुर्द की, क्या आज भी वह चल रही है और क्या उस जांच की नजदीक समय में समाप्त होने की उम्मीद है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच जो आई. जी. पी. को एन्ट्रस्ट की वह चल रही है और चल रही है तो समाप्त होने की आशा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २२-२-६२ से यह जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलालजी को भी कुछ पूछने दीजिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह सरदाराराम ....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें, प्रश्न ही पूछें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि यह सरदारा राम जहां भी रहा है कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहां इसने झूठे मुकदमे न बनाये हों, दूसरे सर्किल में भी रहा है तो इसने बराबर झूठे मुकदमे लोगों पर बनाये हैं और बनाता रहा है। आई. जी. पी. के खिलाफ इसने पर्चा निकाला। उसने लिख कर दिया कि इस पर गौर नहीं किया जायगा तो दूसरा फिर निकाला जायगा। इसलिए जहां भी जाता है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण न दें। यह सारी बात आ गई है सदन के सामने कि किसने पर्चा निकाला।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इसने आई. जी. पी. के खिलाफ पर्चा निकाला। आपने सर्विस बहाल की आपने जो वर्ड इसमें यूज किया है वह है "बहाल"। जिस डेट से इसको रिमूव किया गया उसी डेट से उसको बहाल किया गया या बाद से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is continuing in service as yet.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब वह सर्विस में कन्टीन्युअस है तो जितने पर्चे उसने आई. जी. पी. के खिलाफ निकाले वह सर्विस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पीरियड में ही निकाले और जब सर्विस पीरियड में निकाले तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह लीगल प्रश्न साफ है। उसको रिमूव किया गया, उसके बाद वह सर्विस में नहीं रहा। तथ्य नं० १।

सर्विस में नहीं होने से उसने आई. जी. पी. के खिलाफ पेम्फलेट निकाला। तथ्य नं० २।

ऐसी हालत में सर्विस में नहीं था तो अनुशासन की कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं हो पायी। उसके बाद में उसको गवर्नमेंट ने वापिस रिइन्स्टेट किया, उसका मतलब यह होता है कि सर्विस से रिमूवल के और वापिस रिइन्स्टेटमेंट के पीरियड में उसके द्वारा जो एक्ट्स हुए, यह समझते हुए कि वह अब स्वतन्त्र आदमी हो गया है, उन एक्ट्स को अनुशासन में नहीं लिया जा सकता। That is the legal position, which we may agree outside or we may agree here.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि रिमूवल करने के बाद रिइन्स्टेटमेंट के ऑर्डर्स नहीं हो सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिमूवल हो जाने के बाद रिइन्स्टेटमेंट के ऑर्डर्स हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। आप लॉयर रहे हुए हैं। सर्विस से रिमूवल हुआ। बाद में सर्विस में रिएपोइन्टमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट पूर्व सर्विस को कन्डोन कर सकती है, लेकिन रिइन्स्टेट नहीं कर सकती। रिइन्स्टेटमेंट का क्वेश्चन रिमूवल के बाद नहीं हो सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शब्दों की फ्रेज्योलोजी में यह तथ्य दबा है। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट अपील पेश की। गवर्नमेंट की ओर से हाई कोर्ट के सामने यह एश्योरेन्स दिया गया कि इस इन्क्वायरी में इल्लीगेलिटी हुई है। इसी बिना पर उन्होंने पिटीशन हटाई। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनसे अपील लेकर उन चार्जेज् को क्वेश किया और फिर इन्क्वायरी करने की आज्ञा दी और उसके साथ साथ उनको सर्विस में वापिस ले लिया। सर्विस में वापिस ले लिया, पहले जिस आर्डर से रिमूव किये थे उस ऑर्डर को कैन्सिल किया। केन्सलेशन के जो इम्पलीकेशन्स होते हैं whether it may be re-instatement or he was taken in service later on; इस फ्रेज्योलोजी को इन तथ्यों के आधार पर समझ लिया जाय।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला। इस तरह से बहुत से प्रश्न रह जाते हैं। नेक्स्ट। श्रीमती नगेन्द्रबाला।

तालाबों के कार्य पंचायत समिति शाहबाद

३७. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शाहबाद में निम्न तालाबों का सर्वे होकर एस्टीमेट बन चुके हैं।

१. विलासी का बंधा २. खटका का बन्धा ३. गोपालपुरा का बंधा ४. सहरोल तलेटी का बंधा ५. नाहरगढ़ का बंधा ६. सिरसीपुर का बंधा ७. नारायण खेड़ा ८. दांतिया व ९. वादीपुरा का तालाब।

(२) क्या यह सही है कि इसके बन जाने पर चम्बल सिंचाई क्षेत्र से भी अधिक उत्पादन बढ़ सकेगा क्योंकि यहां की भूमि अधिक उपजाऊ है ?

(३) यदि हां, तो उक्त कार्यों के पूर्ण कराने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं, केवल खटका बांध, गोपालपुरा बांध, सारोल तलहटी का बांध तथा वादीपुरा बांध की सर्वे होकर एस्टीमेट बनाए जा चुके हैं। तथा अन्य बांधो का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(२) जी नहीं, इन छोटी योजनाओं से चम्बल के बराबर लाभ होना सम्भव नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती नागेन्द्रबाला : जिन तालाबों की सर्वे हो चुकी उनके बारे में आपने क्या किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिनकी सर्वे हो चुकी उनका काम धन-राशि उपलब्ध होने पर शुरू किया जायगा।

श्रीमती नागेन्द्रबाला : धन-राशि प्राप्त होने की क्या आशा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिनकी स्कीम बन चुकी है उनके लिये धन-राशि उपलब्ध होने पर काम शुरू किया जायगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, शाहबाद तहसील में इन तालाबों के नीचे जितनी जमीन है वह काफी उपजाऊ है। तालाबों के अभाव में अन्नोत्पादन नहीं हो सकता। आज जब कि "अधिक अन्न उपजाओ" का आन्दोलन जोरों पर है वैसी हालत में इन तालाबों की मरम्मत करवादी जाय तो इसमें काफी सहयोग मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डूंगरपुर अस्पताल में डाक्टरोंकी कमी

३८. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(२) क्या यह सही है कि डूंगरपुर के जनरल हॉस्पीटल में पन्द्रह डाक्टरों का प्रावधान होते हुए भी वहां केवल तीन

(श्री विजयपाल कटारा)

डाक्टर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या यह भी सही है कि इस कारण अस्पताल में अव्यवस्था है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में लेडी डाक्टर भी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) (१) जी नहीं । जनरल हॉस्पीटल डूंगरपुर में ५ डाक्टरों की स्वीकृति है जिसमें ३ डाक्टर कार्य कर रहे हैं। डाक्टरों के अभाव में शेष २ डाक्टरों के रिक्त स्थान हैं ।

(२) जी हां कोई भी लेडी डाक्टर डूंगरपुर जाना नहीं चाहती । बार बार ऑर्डर करके कैन्सिल करने पड़ते हैं । अभी डाक्टर रेनुका भट्टाचार्य की नियुक्ति डूंगरपुर के लिए की थी परन्तु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ।

(३) जी हां । डाक्टर उपलब्ध होने पर ही पूर्ति हो सकती है ।

श्री विजयपाल कटारा: वहां पर डाक्टरों के नहीं जाने का क्या कारण है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्योंकि वह राजस्थान का कालापानी माना जाता है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : यह बात नहीं है । डूंगरपुर के अलावा भी बहुत सी जगह हैं जहां डॉक्टर नहीं गये हैं, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत कमी है । डॉक्टर लोग एम० डी०, एम० एस० करना चाहते हैं इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहते । अगर उन पर ज्यादा जोर डाला जाता है तो इस्तीफा दे देते हैं । हम चाहते हैं हर जिले के अन्दर एक लेडी डॉक्टर पहुंच जाय । हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं।अब जो पढ़ लिखकर निकल रहे हैं उनमें से किसी को भेजने की कोशिश करेंगे ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सीमा पर आक्रमण हो जाय और फौज जाने के लिये तैयार न हो तो क्या आप नया अपोइन्टमेंट करके भेजेंगे ?

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : एम० एल० ए० को भेज देंगे ।

श्री भरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि डूंगरपुर में लेडी डॉक्टर इसलिये नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां के विरोधी दल के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्री हरिदेव जोशी से डरते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बात तो सही है।

श्री मथुरादास माथुर : आप जयपुर में रहते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हैं इसलिये नहीं जातीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजकीय यांत्रिक कृषि फार्म तहसील लाडपुरा

३९. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या कृषि-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले की तहसील लाडपुरा के धाकर खेडी तथा उमेदगंज ग्राम के राजकीय यांत्रिक कृषि फार्म (गवर्नमेंट मेकेनाइज्ड फार्म) का माप (साइज) क्या है ?

(२) इस फार्म में किस प्रकार के अभिकरण एवं यंत्र प्रयोग में लाये जाते हैं तथा अब तक इस फार्म के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग जोत में लिया जा चुका है ? कृपया फार्म के अभिकरणों एवं यन्त्रों की विगत उनके मूल्य सहित बतायें ।

(३) यह फार्म लाभ में चल रहा है अथवा हानि में ? इसके प्रारम्भ किये जाने से अब तक की वर्ष वार आय तथा व्यय की विगत वर्ष वार प्रति एकड़ उत्पादन की औसत पैदावार सहित बताने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) उमेदगंज फार्म का क्षेत्रफल १४६० एकड़ है । लाडपुरा फार्म का क्षेत्रफल १०० एकड़ है जो अब पंचायत समिति के अन्तर्गत है ।

(२) अभिकरण एवं यन्त्रों की सूची संलग्न है । इस फार्म का ७५ प्रतिशत भाग जोत में लिया जा चुका है ।

(३) यह फार्म अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । अतः हानि या लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता, वर्ष वार आय व व्यय के आंकड़े एवं प्रति एकड़ पैदावार के आंकड़ों की तालिका संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : आपने कहा, यह प्रारम्भिक अवस्था में है । यह १९६० से शुरू हुआ, जिसको पांच साल हो गये । आपने जो तालिका दी है उसके अनुसार औसत एवरेज हर साल का फाल हो रहा है । मेजर क्रोप्स; जैसे गेहूं की पैदावार को लीजिये । १९६१-६२ में ९.३२ था, ६२-६३ में ७.१८ और ६३-६४ में ७.१२ रह गया । इसी तरह से अलसी, चना ज्वार इनमें भी गिरता जा रहा है । पांच सालों के बाद का यह औसत एवरेज प्रोडक्शन गिरा है । क्या आपने इस बारे में गौर फरमाया है ?

श्री भीमसिंह : पैदावार औसत क्रोप्स की ईल्ड कई बातों पर निर्भर करता है । पानी, हवा, मौसम का अनुकूल होना जिन सालों में कमी हुई है, हो सकता है उन सालों में अन-फोर्सीन बातें हुई हों । पूरा वकिंग डेवलप होने के बाद इसका सही पता चल सकेगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उत्पादन घटने के बारे में दो-चार बातें जो रटी रटायी हैं उन्हीं को दोहराते रहते हैं । इन्हीं कारणों से पैदावार घटती हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उस फार्म में उत्पादन कब से प्रारम्भ कर दिया गया ?

श्री भीमसिंह : ६० से।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि चम्बल नहर का पानी पहुंच चुका है ? चम्बल नहर से कौन से साल से सिचाई शुरू हो गई थी ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ६०-६१ साल से चल रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब ६०-६१ से प्रोडक्शन चल रहा है, चम्बल नहर से पानी मिल रहा है, फिर भी उत्पादन गिर रहा है तो दूसरे फार्म के सामने क्या उदाहरण पेश कर सकेंगे ?

श्री जुझारसिंह : स्टेट की दो लाख की मशीनरी इसमें लग चुकी है। एक तरह से यह आइडियल फार्म होना चाहिये। टैक्निकल पर्सोनल के साधन इसमें उपलब्ध हैं। माननीय मन्त्री महोदय का कह देना कि यह प्रारम्भिक स्टेज पर है, इसलिये प्रोडक्शन गिर भी सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं, ऐसी हालत में उस ऑडिनरी काश्तकार का क्या होगा ? आपके अधिकारी जो टार्गेट बताते हैं उस तक नहीं पहुंच पाते। आपने उन ऑफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फार्म जैसा कि बताया गया १६०० एकड़ रकबे में है अभी इसमें ४०० एकड़ रेविन्स के बाकी है। १२०० एकड़ एरिया जहां पर भयंकर जंगल था उस जमीन को काटकर सारी सफाई करके इसमें मशीनें जितनी बड़े पैमाने पर लगानी थी वह लगाई गई। इस साल करीब ४०० एकड भूमि में रिक्लेमेशन करके क्रोप्स बोयी नहीं गई। क्रोप्स के खराब होने के कारण भी उपमन्त्रीजी ने बताये। मैं आपकी मार्फत सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं वे इस साल की क्राप्स जाकर देखें इस साल की व्हीट की क्रोप बोई गई उसका प्रोडक्शन हर सूरत में बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हर साल क्रोप बढ़ती जाय इसकी कोई गारन्टी नहीं। यहां पर मैथेमेटिकल फॉर्मूला लागू नहीं होता। सभी तरह का वातावरण फसल के अनुकूल होना चाहिये। किसी भी बात की कमी रह जाती है, प्रोडक्शन पर उसका फौरन असर पड़ता है। इस साल के लिए निवेदन करूंगा इस फार्म के अन्दर बहुत अच्छी क्रोप है। यहां पर सीड मल्टीप्लीकेशन और रिसर्च का भी काम चलता है। रद्दी जमीन के अन्दर जो बहुत खराब हालत में पड़ी थी उसको काश्त के नीचे लिया जा रहा है। कैपीटल इनवेस्टमेंट ज्यादा होते हुए भी जो काम वहां हो रहा है वह राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

जसवन्त सागर से सिचाई के लिए पानी का वितरण

४०. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बांध जसवन्तसागर (पिचियाक) से कृषि सिंचाई के लिए पानी किस आधार पर वितरित किया जाता है ?

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

(२) सन् ६२-६३ में इस बांध में कितने बीघों का पानी कितनी पाण का था व कितना कितना पानी किस किस ग्राम को कब एलॉट किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कमेटी ने इस वर्ष इन सभी ग्रामों को इस बांध से पानी दिया, जिनको सदैव से मिलता था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम वाला को चीफ इन्जीनियर ने एक्स. ई. इन. की राय से ४०० बीघों का पानी मालकोसनी के अनुपात से दिया ? यदि हां, तो क्या ऐसी आज्ञा का पालन पूर्णतया किया गया ?

(५) क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर की राय के खिलाफ ए. ई. एन. ने कलेक्टर जोधपुर को गलत राय देकर इस वाला ग्राम का हक बांध में नहीं रखा । इस बाला ग्राम को बांध से कब कब और कितना कितना पानी मिला । आज्ञाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) वितरण कमेटी द्वारा कुल पानी की आमद पुराने सिंचाई रेकॉर्ड तथा सामयिक स्थिति के आधार पर ।

(२) ८६०० बीघों के लिए चार पाण का पानी । जो पानी है वितरण की ग्रामवार सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है ।

(३) जी हां । जब वितरण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पानी दिया गया ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नही । आज्ञा ग्राम की सन् ५०-५१ से सिंचाई व जिलाधीश की आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : यह जो आपने बताया कि पुराने सिंचाई रेकॉर्ड के आधार पर इसका बेस है । पुराना रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है । कभी किसी गांव को इग्नोर कर जाते हैं तो कभी किसी को ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मन्त्रीजी की मर्जी है ।

श्री दिनेशराय डांगी : आप अच्छी से वाकिफ हैं कि पानी के लिए किस तरह के झगड़े गांव वालों में आपस में होते रहते हैं । हमें दबाकर पानी ले लेते हैं वे ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपको दबाने का तरीका क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप दबे हुए महसूस करते हो ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : अध्यक्ष महोदय, इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए राजप्रमुख ने एक चार्ट बनाकर उसे अपनी अनुमति दे दी थी कि इस अनुपात

Page No 18

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

से हर गांव को पानी दिया जावेगा। तो क्या यह सही है कि इस चार्ट के आधार पर भी पानी दिया जाता ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आप जिस चार्ट का जिक्र करते हैं उसके बारे में निवेदन कर दूं कि वह भी कोई परमानेन्ट व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस बांध में कितना पानी भरना चाहिए यह उस पर बेस्ड था। अब सिवाय एक-आध साल को छोड़ कर यह पिछले सालों से लगातार खाली रहता आया है। पूरा भरता नहीं है और इसलिए पानी की कमी रहती है। इस कमी के कारण वहां हमेशा लोगों में काफी झगड़े होते रहते हैं। तो जितना पानी उसमें आता है उसको ध्यान में रखकर हर साल व्यवस्था की जाती है और इसमें भावी के क्या राइट्स हैं और दूसरे गांव वालों के क्या राइट्स हैं उसका ध्यान रखकर व्यवस्था की जाती है।

श्री अध्यक्ष : जो चार्ट एक अमुक वर्ष में लगाया गया था क्या उसे बदल दिया गया है अब या उसी के मुताबिक वितरण होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे तो हम उसी को मानते हैं और उसी के अनुसार काम किया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या आप यह बतावेंगे कि पानी का कोटा आप हर साल फिक्स करते हैं कि अमुक गांव को इतना पानी इसमें से मिलेगा ? या फिर कोटा फिक्स करके फिर उसको बदला है या आप उसी पर आज भी पाबन्द हैं ? कुछ न कुछ तो आपका निर्णय होगा न ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तो, जिस चार्ट का जिक्र किया जाता है उसको बेस मानकर हर साल जितना पानी आता है उस हिसाब से वितरित कर देते हैं। पर इसमें गांव वालों के सिविल राइट्स की तरह के झगड़े हैं जिनका फैसला नहीं कर पाये हैं। भावी वाले कहते हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिये और यह वे एक डॉक्युमेन्ट की शरण लेकर कहते हैं। तो यह दोनों गांवों के सिविल राइट्स का मसला है। फिर भी इरिगेशन विभाग प्रायोरिटी को ख्याल में रखकर जैसा गवर्नर साहब ने मुकर्रर किया है उस तरह से बंटवारा करता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने पानी के अनुपात से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तय कर रखी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : प्रश्न ३ के उत्तर में जो कहा वह गलत है। क्या सब गांवों को कमाण्ड एरिया में दे दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मैं निवेदन करूं कि ग्राम बाला में लगातार पानी मिलता रहा है, ५०-५१ से मिलता रहा है। पर १९६२-६३ मे नहीं दिया।

Page No 19

श्री दिनेशराय डांगी : बाला गांव में जसवन्तसागर डैम से मिलता है। कई बार यह अलग है, कई बार शामिल है। इस प्रकार की इसकी चिट्ठी कलेक्टर की संलग्न है। शायद आपको मिली होगी।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : ५३-५४ में बताया है, 'जी' का मतलब क्या है ?

श्री दिनेशराय डांगी :'जी' का मतलब बाण गंगा है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मैं एक चिट्ठी पेश करता हूं। ५३-५४ में रेगुलेशन और डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ जसवन्त सागर डैम यानी पिचियाक का बन्धा इससे ५०० बीघा पानी वाला को मिला है और यह स्टेटमेन्ट गलत दिखाया विभागीय अधिकारियों ने। ४०० बीघा पानी देने को थे उस गांव को। उसके बेसिस पर एक लैटर एग्जीक्यूटिव इन्जिनयर को कलेक्टर ने लिखा कि ४०० बीघा पानी दे दिया जावे। पर इस साल कतई एक बूंद भी पानी नहीं दिया गया। इस वर्ष में पांच गांवों को इग्नोर किया गया। जब कोई कमेटी बिठाई गई तब दिया। यह कमेटी पक्षपात करती है, इसलिये सरकार स्वयं ठीक व्यवस्था करे तो अच्छा होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब कभी शिकायत आती है तो रास्ता निकाल कर ठीक करते हैं और जब ठीक कर देते हैं तो सन्तोष होना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : हैरेसमेन्ट तो होता ही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी कम है और मांग ज्यादा करते हैं और फिर उसका वितरण सभी अपनी २ इच्छा से करवाना चाहते हैं तो गड़बड़ी होगी ही; किसी को सन्तोष होगा किसी को नहीं होगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या कपास की फसल को सरकार नेशनल प्रोड्यूस नहीं मानती !

श्री नाथूराम मिर्धा : क्यों नहीं मानती? मानती है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : कपास की खेती में सदैव पानी मिलता आया है, पर अब नहीं दिया जाता और दिया जाता है तो गेहूं की खेती में से काट कर।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जिस जगह कपास के लिये मांग करते हैं उसमें खरीफ में दूसरे हिस्सों में भी लोग क्लेम करेंगे इसलिए आप जहां कपास बोते हैं वहां कुए हैं, आप कुओं से पानी क्यों नहीं लेते हैं ? आप अपने कुओं से पानी चलाना नहीं चाहते और पहले से दूसरों का हिस्सा लेना चाहते हैं।

प्रश्न संख्या ४१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

मिडवाइफ की नियुक्ति

४२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 20

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खुल गया है लेकिन अब तक वहां एक भी मिडवाइफ नहीं है ?

(२) यदि हां, तो उसकी कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, एक मिडवाइफ भी काम कर रही है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नदी के बहाव से भूमि कटाव

४३. श्री भिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सायला में ग्राम तूरा और आणा के बीच सूखड़ी जवाई नदी के बहाव से बहुत अधिक मात्रा में भूमि कटाव हो गया है और वह दिनो-दिन बढ़ता ही जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने के लिये तूरा के पास रामदेवजी के मन्दिर के करीब ओढा बान्धने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) जी हां। आवश्यक सर्वेक्षण व उपयुक्त धन की उपलब्धि के पश्चात् ही इसके लिये कुछ सम्भव हो सकेगा।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, पाली

४४. श्री तेजराम गहलोत (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपनी आज्ञा दिनांक २८-२-५६ के जरिये पाली नगर के लिये लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, १९५५-५६ स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो उसके प्लॉन की कापी सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त प्लान में जोधपुर जाने वाली नहर व कॉलोनी के मकानों के बीच कितना फासला है व प्लॉन में उस जगह के लिये क्या प्रावधान रखा गया है ?

(३) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्लान में नगरपालिका पाली बिना राज्य सरकार की अनुमति के ही तरमीम कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि जिलाधीश पाली ने दिनांक ३०-१०-६१ को नगरपालिका अधिनियम की धारा २८५ के तहत नगरपालिका, पाली द्वारा प्रश्न के भाग नम्बर (३) में बताई कार्यवाही के आदेश को सस्पेन्ड किया व राज्य सरकार को उसे कन्फर्म करने हेतु भेजा ? यदि हां, तो जिलाधीश ने ऐसा करने के क्या कारण बताये ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में अभी पक्की सड़क भी बनी हुई है ? यदि हां, तो कितनी चौड़ी है।

(श्री तेजाराम गहलोत)

(६) क्या यह सही है कि उक्त प्लान में तरमीम करने की वजह से जोधपुर शहर के लिये जाने वाली पानी की नहर में भी गन्दगी की वजह से विभाग द्वारा नहर से निर्धारित सीमा तक मकान बनाने बाबत ऐतराज किया गया है ?

(७) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक १३–११–६३ को जिलाधीश, पाली द्वारा दी गई आज्ञा को रद्द कर दिया जिससे सरकार द्वारा स्वीकृत प्लॉन में भी नगरपालिका रद्दोबदल कर सकेगी ? यदि हां, तो ऐसा आदेश देने के क्या कारण हैं ? सरकार के निर्णय दिनांक १३–११–६३ की नकल सदन की मेज पर रक्खें ।

(८) नगरपालिका पाली द्वारा उक्त तरमीमात से क्या आमदनी नगरपालिका को होगी व बनी हुई सड़क तोड़ने व नई सड़क बनाने व बिजली की लाइन लगाने व उठाने में क्या खर्चा होगा ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । प्लॉन की कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) प्लॉन में यह फासला ८० फुट दिखाया गया है ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां । जिलाधीश ने नगरपालिका की यह कार्यवाही अधिसूचना दिनांक ८–३–६१ व १२–४–६१ के विरुद्ध बताई व इस जमीन को पालिका की होना नहीं माना ।

(५) अभी भी सड़क १२ फुट चौड़ी बनी हुई बताई जाती है ।

(६) प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर जाने वाली नहर के पानी में गन्दगी नहीं होती ।

(७) यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक १३–११–६३ को जिलाधीश द्वारा दी गई आज्ञा को रद्द कर दिया है । जिलाधीश, पाली की व्यवस्था को उचित नहीं समझा गया और नगरपालिका को जमीन बेचने का अधिकार होना साबित हुआ ।

आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(८) नगरपालिका को उक्त जमीन बेचने से कुल बाईस हजार रुपए की आमदनी हो चुकी है । नगर पालिका न तो सड़क तोड़ रही हैं और न नई लाइन लगा रही है । अतः खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग (६) में यह पूछा था कि क्या विभाग ने इस बात का एतराज किया है कि इस प्रकार की कॉलोनी बनाने से नहर के पानी में गन्दगी होने की सम्भावना है ?

श्री दौलतराम सारण : नहर विभाग ने लिखा था कि ५० फुट का फासला होना चाहिये और जो बाउन्ड्री-पिलर्स लगाये गये हैं उनसे १५ फुट आगे का रास्ता और छोड़

(श्री दौलतराम सारण)

दिया गया है, उसके बाद में प्लॉट्स दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया

नहर निकालने से फसल को नुकसान तथा उसका मुआवजा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मोजा पान्शल के पास बनाई गई मेजा बांध की मेन केनाल कब बनाई गई थी ?

(१) क्या यह सही है कि जिन खेतों में से नहर निकली है उनमें नहर बनाते समय फसल खड़ी थी ? यदि हां तो क्या उस फसल का कोई मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया ? यदि नहीं दिया गया तो क्यों ? कुल मुआवजे की राशि कितनी है और सम्बन्धित किसानों की संख्या क्या है ?

(३) मुआवजा दिलाने के लिए किसानों ने कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश, भीलवाड़ा को दी हैं ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सन् १९५६ में।

(२) जी हां, मुआवजा अभी नहीं दिया जा सका है क्योंकि राजस्व विभाग से अवार्ड नहीं आया है। मुआवजे की कुल राशि ४०१३) रु० है व किसानों की संख्या ३५ है।

(३) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: जैसा कि आपने उत्तर में फरमाया कि ५६ में जो फसल खड़ी थी उसको नष्ट करके वहां पर नहर बनाई गई थी और क्योंकि आज ६५ चल रहा है और ९ साल इस मामले को हो गए हैं तो न तो खड़ी फसल का मुआवजा दिया गया है और न जमीन का मुआवजा दिया गया है और उनसे लगान बराबर वसूल किया जा रहा है।

श्री दिनेशराय डांगी : हमारे विभाग से ८-७-५७ को कलेक्टर को लिख दिया गया था लेकिन वहां मुआवजे के अवार्ड कुछ जरूरत से ज्यादा आ जाने से वापिस लौटाये गये और उसके पश्चात् हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं आया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था दी जा चुकी थी कि मुआवजों के मामले जल्दी से जल्दी निपटाये जायें और सिर्फ जमीन के मुआवजे का मामला होता तो आप राजस्व विभाग के बारे में कह रहे हैं वह माना जा सकता था लेकिन जो फसल खड़ी थी और जिसका असेसमेंट करके मुआवजा देने की बात थी और ९ साल हो गये और कोई मुआवजा नहीं दिया गया और न तखमीने तैयार किये हैं अभी तक। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले सिंचाई इंजीनियर से पूछा कि यह मुआवजा कब

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तक दे देंगे; तो वे कहते हैं कि हमारे पास कोई रेकॉर्ड ही नहीं है कि कितनी जमीन अवाप्त की गई है और कितनी खड़ी फसल का नुकसान हुआ है। आप कहते हैं कि किसानों की संख्या ३५ है तो आप इन ३५ किसानों का मामला ६ साल में तय नहीं कर सके हैं तो २ करोड़ आदमियों का भविष्य तो आपके हाथों में अंधकार में है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने एक कमेटी का फोर्मेशन किया था, लेकिन उसने उचित यह समझा कि क्योंकि कलेक्टर भी फैसला करते हैं और आगे जो सीनियर ऑफिसर्स की एक कमेटी होगी उसके अन्दर यह केस ले लिया जायगा और पूरी कोशिश की जायगी कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो जाये।

श्री उमरावसिंह ढाबरीया : क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि मुआवजा ६ महीने के अन्दर चुका दिया जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस प्रकार की निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती है। क्योंकि उसमें कई दिक्कतें आती हैं ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या आप यह बता सकते हैं कि आपने कभी टी०ए० और डी०ए० एक साल के बाद वसूल किया है ? आप अपने आपको किसानों का हमदर्द कहते हैं, शर्म की बात है यह !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि आपने नियमानुसार कार्यवाही भी नहीं की और दफा ४ और ६ में नोटिफिकेशन तक नहीं दिया ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आप जनरल बात कह रहे हैं क्या ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसी की बात कर रहा हूं। नोटिफिकेशन तक आप नहीं कर पाये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : फसल जो खड़ी थी उस साल के मुआवजे के देने का प्रश्न है, मुआवजा जमीन का तो मिल चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी आपने कहा है कि राजस्व विभाग से तय नहीं हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : खड़ी फसल का मुआवजा नहीं मिला है, जमीन का तो मिल गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जमीन का भी नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के भाग (२) में बताया कि ४०६३ रु० मुआवजे के देने बाकी हैं तो ये केवल फसल के ही मुआवजे के पैसे नहीं हैं, यह जमीन का भी प्रश्न है। आप कुछ कहते हैं और डिप्टी मिनिस्टर कुछ कहते हैं, पहले आप दोनों बात करलो।

श्री दिनेशराय डांगी : यह मुआवजा फसल का है और आपने फसल के बारे में ही पूछा है। इसके अलावा जमीन के बारे में

Page No 24

(श्री दिनेशराय डांगी)

मैंने कहा कि सीनियर ऑफिसर्स कान्फ्रेन्स में तय कर दिया जायेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दोनों का मुआवजा अभी तक सेटल नहीं हुआ है और न दिया गया है और आप कहते हैं कि एक का दे दिया और एक का नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जोधसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में रूलिंग दी जाये। इस प्रकार की रूलिंग आपने पहले भी कई बार दी है; और कितनी बार देंगे? ये सुनते ही नहीं हैं और फिर यह कोई एक जगह का सवाल नहीं है, सभी जगह इस प्रकार के मामले हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : खड़ी फसल का मुआवजा आप एक महीने में देने की व्यवस्था क्यों नहीं करते?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनके मुआवजे के कागजात यहां पर आये थे। यहां पर कन्सीडर करने के बाद में उसमें बहुत सी कमियां पाई गई और वह वापिस कलेक्टर के पास कार्यवाही के लिए और मुआवजों को ठीक करने के दृष्टिकोण से भेजे गए; तो दुबारा उनमें फिर कमी पाई गई और उनको दुबारा फिर कागज भेजे गये और उसके बाद फिर वापिस लौटकर नहीं आये हैं। मैं समझता हूं कि यह काफी लम्बा अर्सा है। ७-८ साल पहले आप खड़ी थी तो इसको ताकीद करके जल्दी निपटाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री केसरीसिंह (पाली) : जब तक मामला तय नहीं होता तब तक ६० परसेन्ट या ७० परसेन्ट इन्टेरिम तौर से क्यों नहीं दे दिया जाता?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६०-७० परसेन्ट किस अमाउन्ट का?

श्री केसरीसिंह : उसका रफ अमाउन्ट तो हो सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको न तो किसान एग्री करते हैं और न सरकार ही एग्री करेगी।

श्री केसरीसिंह : रफ आइडिया तो होता ही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस जमीन का लगान लिया जा रहा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लिया जा रहा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत कह रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मिसल दो दफा गई है और इस मिसल को वापिस ले जाई गई है तो जब मंत्रालय के अन्दर मिसल आपके पास दो दफा आ चुकी है तो आपको अनुमान हुआ होगा कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। ऐसी स्थिति में कुछ इन्टेरिम मुआवजा बाई वे

Page No 25

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ऑफ रिलीफ देते तो उचित होता। आप मुआवजा नहीं दें और केवल मात्र आपके कर्मचारियों की खामियों के कारण हैं तो मेरे ख्याल से यह असंतोषजनक व्यवस्था हैं और 'उल्टे चोर कोतवाल को दंडे वाली बात है। उसका नुकसान भी हुआ और खमियाजा भी वे भुगतें और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, यह बहुत असंतोषजनक व्यवस्था है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह निवेदन कर दिया है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ६ साल से बराबर लगान लिया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान सरकार अपने आपको सरकार समझती है तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि एक महीने के अन्दर अन्दर खड़ी हुई फसल का मुआवजा नहीं दे सके। आप एक आदमी खास तौर से भेजें और वे खामियां पूरी करके जल्दी से जल्दी रकम दी जाये।

श्री केशरीसिंह : आपका जो लगान होता है उसका २० गुना फला कर मुआवजा दे ही सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर दुबारा हिसाब बनाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

उदयपुर जनरल हॉस्पिटल के समीप मुर्दा गाड़ने के स्थान

४६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में अभी भी ४ या ५ जगह मुर्दों के गाड़ने के स्थान बने हुए हैं और क्या उसमें एक स्थान तो उदयपुर नगर के जनरल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है और जहां बीमारों का वार्ड है ?

(२) क्या इस प्रकार के मुर्दे गाड़ने से शहर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है ?

(३) क्या सरकार इनको शहर से दूर हटाने का कोई प्रबन्ध शीघ्र करने और जनता को दुर्गन्ध और बीमारी से राहत पहुंचाने की कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह बात सही है कि पहले भी उदयपुर नगर में कई श्मशान घाट शहर के अन्दर थे और उनको हटाया गया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, एक कब्रिस्तान जनरल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है मगर इसकी उत्तरी दीवार से सटा हुआ कोई बीमारों का वार्ड नहीं है। कुछ दूरी पर वार्ड बने हुए हैं।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(३) मोती मगरी के पास कब्रिस्तान बनाने की नगरपरिषद् की योजना है।

(४) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। श्मशान-घाट करीब करीब यथावत् बताये जाते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या उससे कोई बीमारी पैदा नहीं होती ? हॉस्पिटल के बहुत पास है।

श्री दौलतराम सारण : कब्रिस्तान में ८ फीट नीचे मुर्दे को दबाते हैं और ऊपर से नमक और पत्थर डालते हैं। उससे न बीमारी को निकलने का मौका मिलता है और न गन्दगी होती है।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि नगरपालिका ने प्रस्ताव पास करके इसको हटाने के लिए सरकार के पास भेजा है फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण वहां पर दुर्गन्ध आती है और बीमारियां फैलती हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि मोती मगरी के पास कब्रिस्तान बनाने की नगर परिषद् की योजना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्रीजी उदयपुर में मुर्दे गाड़ने की उचित व्यवस्था करायेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं समझता हूं कि वहां पर उसके लिए जितनी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए उतनी है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला सही नहीं है। आपने कहा कि दूसरी जगह उसका इन्तजाम किया है तो वह स्थान भी बिक चुका है। वह स्थान भी अब कायम नहीं है। मुख्यमन्त्री ने यह कहा कि जो आज श्मशान-घाट है वह नहीं हट सकता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपको उद्घाटन करने का मौका मिलेगा। ऐसा शुभ अवसर कहां से मिलेगा ?

श्री जोधसिंह चौहान : ऐसा है कि मुर्दे गाड़ने के उस स्थान के लिए कुछ व्यक्ति मुख्य मन्त्रीजी के पास पहुंचे थे। उसका नीलाम भारत सरकार की आज्ञा से हो चुका था। उस पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि वह स्थान नहीं हटेगा और नीलाम नहीं किया गया। क्या यह बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न बिलकुल अलग है कि उस स्थान को जो कि कब्रिस्तान है उसको शायद जनसंघ के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि नीलाम करवा दिया जाय। तो, नीलाम करवाने के बारे में मैंने जरूर कहा है कि जहां कब्रिस्तान है उसको नीलाम नहीं किया जायगा। मेरी

Page No 27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जानकारी में ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने आदेश दिया है कि कब्रिस्तान को नीलाम कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का प्रस्ताव भूतपूर्व नगरपालिका ने पास किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारा प्रश्न जो चल रहा है वह यह है कि वहां पर नये मुर्दे नहीं गाड़े जायं और दूसरी जगह कब्रिस्तान हो और इस कब्रिस्तान के अन्दर जो जमीन है वह बेच दी जाय तो यह जो दूसरा सुझाव है वह इस प्रश्न के साथ नहीं जुड़ता है। अभी यह बताया गया है कि दूसरी जगह के बारे में योजना है और जमीन एलाट की गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा कि इस बार जो जनसंघ की नगरपालिका है वह यह चाहती है कि इस कब्रिस्तान को वहां से टाया जाय...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हटाया जाय नहीं, बेचा जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह प्रस्ताव भूतपूर्व नगर परिषद् ने पास किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बेचे जाने के बारे में शायद नहीं किया है। भूतपूर्व नगर परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया था कि कब्रिस्तान को हटाया जाय।

श्री जोधसिंह चौहान : भारत सरकार ने कहा है कि उसको बेचा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भारत सरकार ने बेचने के बारे में लिख कर नहीं भेजा है, ऐसी मेरी पूरी तौर से जानकारी है। भारत सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार राजस्थान में किसी जमीन के लिए कि वह बेची जाय या नीलाम की जाय उसके बारे में आदेश नहीं दे सकती है।

एक माननीय सदस्य : क्या जन संघ द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : ये मुर्दे गाड़ना चाहते हैं और आप मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्या यह सही है कि भारत सरकार के इवेक्वी प्रोपर्टी के अधिकारियों ने इसको इवेक्यई प्रोपर्टी घोषित कर इस जमीन को नीलाम कर दिया सौर यह जमीन नीलाम हीने के बाद किसी व्यक्ति के सुपुर्द कर दी गई लेकिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बीच में पड़ कर उस बिकी हुई जमीन को रुकवा दिया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां): माननीय अध्यक्ष, जहां तक वक्फ का ताल्लुक है और जो वक्फ की प्रोपर्टी है वह चाहे मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो इस तरीके की जो प्रोपर्टी है उसको प्रोपर्टी के तौर पर माना गया है और कोई वक्त अपनी प्रोपर्टी का कटता है तो जो

(श्री बरकतुल्ला खां)

है तो जो मंशा वाकिफ की होती है उसी के अनुसार वक्फ काम करता है और उसी मन्शा के मुताबिक वक्फ को एक्ट करना पड़ता है। इसके बारे में पर्मिशन न वक्फ कमिश्नर दे सकता है और न कोई दे सकता है। प्रोपर्टी वक्फ की जो है वह किसी खास मन्शा से दी गई है उसको बेचने का उसको अधिकार नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : भारत सरकार के इवेक्वी प्रोपर्टी के अधिकारी ने उसको इवेक्वी प्रोपर्टी मानकर यह आदेश दिया था कि इसको बेच दिया जाय। वह जमीन किसी व्यक्ति की थी जो पाकिस्तान चला गया है।

(राज्य पक्ष की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया)

एक माननीय सदस्य : इस जमीन का मालिक कौन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां पर कोई व्यक्ति विशेष की पैरवी की आवश्यकता नहीं है। इसका अदालत में या वक्फ कमिश्नर के यहां झगड़ा हो सकता है। यहां मैं समझता हूं कि राइट्स किसी के डिसाइड करने के लिए पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने, जो जमीन नीलाम हो चुकी थी और लोगों के कब्जे में जा चुकी थी, बीच में पड़कर क्यों रुकवाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : न मेरे पड़ने की आवश्यकता होती है। वहां पर लोगों ने एतराज किया है और मामला कोर्ट के सामने गया तो जो कानूनी कार्यवाही हो सकती थी वह कार्यवाही हुई।। माननीय सदस्य इतना स्पष्ट समझें कि अगर किसी व्यक्ति का राइट उस पर होता है तो मैं भी आज यह कह देता कि वह प्रोपर्टी न रहे तो उसके दरवाजे बन्द नहीं हो सकते हैं। उसका राइट और तरीके से एक्सरसाइज कर सकता था। ऐसा यह मानकर मूल में दलील देना ही गलत हो जाता है कि किसी का व्यक्तिगत राइट था और मैंने उसके राइट को बदलवा दिया और दूसरा कर दिया। यह सारा मामला वक्फ और दूसरी प्रोपर्टी का कई तरह से उलझा हुआ है जिसके डिटेल्स इस वक्त मेरे पास शायद नहीं है।

श्री जोरावरसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमें एतराज इस बात का है कि वहां पर अब मुर्दे गाड़ना बन्द होना चाहिए क्योंकि वह हॉस्पिटल के पास में है और शहर के बीच में है और जो स्थान सरकार ने निश्चित किया है वह बिक चुका है। फिलहाल मुर्दे वहां गाड़ना बन्द कर दें और दूसरा स्थान उनको दें। हम को मालूम नहीं कि वे सरकार को वोट देते हैं तो उनको जमीन दिलवा दी जाय इसमें हमारा एतराज नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि वहां पर मुर्दे गाड़ना बन्द होना चाहिए जिससे कि बीमारी व दुर्गन्ध वहां पर न फैले।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह झगड़ा तो मुर्दे गाड़ने का नहीं है, वोट का झगड़ा है।

श्री जोधसिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष, इसका क्या उत्तर है ? क्या उनको वहां से हटाकर दूसरा स्थान बतायेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : झगड़ा मुर्दों को गाड़ने का नहीं, जिन्दों को गाड़ने का है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

लूनी सूकड़ी नदी का पानी

४७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि लूनी सूकड़ी नदियों का पानी इटावा तांतड़ा की सरहद में हो कर रामपुरा के धोरों में जाकर फालतू पड़ा रह कर सूख जाता है ? जिससे गुड़ हिमा, मेलावास व रणोदर आदि की सींव सूखी रह जाती है और इससे उपज में बड़ा घाटा होता है ?

(२) क्या यह सच है कि 'इटावा तांतड़ा' की सरहद पर एक कच्चा बांध द्वारा पानी रोकने से वापिस पुरानी नदी में पानी पड़ जायगा और इससे सैकड़ों एकड़ भूमि पर अधिक काश्त हो सकती है ? अगर हां, तो उपरोक्त बांध की सरकार द्वारा सर्वे करवाई जाकर बन्धा कब तक वंधा दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(२) आवश्यक सर्वेक्षण व उपयुक्त धन की उपलब्धि के पश्चात् ही इसके लिए कुछ कहा जा सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विभाग को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जब आपका प्रश्न आया तो आदेश दिये जा चुके हैं सर्वेक्षण कराने के।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रश्न (२) के उत्तर में आपने कहा है कि जानकारी प्राप्त की जा चुकी है और सर्वे किया जा रहा है और आप अब यह कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : सर्वे, आपका प्रश्न आने के बाद ही तो किया जा रहा है। उसके पहले हमको मालूम नहीं था। जब आपने सवाल रखा तो उस जगह की तलाश की जा रही है। सर्वे दो दिन में तो होता नहीं है। सर्वे होकर आयेगा, एस्टीमेट होगा, रिटर्न भी हैं कि नहीं, धन का प्रावधान है कि नहीं, ये सारे फैसले करने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४८ वड़ा

Page No 30

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है और २ मिनिट का सवाल है और छोटा सा सवाल है।

बिजली के सामान की खरीद

४८. श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सदस्य निम्बाहेड़ा नगरपालिका, श्री किशनलाल घूत ने नवम्बर, १९६२ में बिजली के सामान की खरीद में गबन किया है ?

(२) क्या यह सही है कि बिजली के सामान खरीदने के लिए श्री घूत, सदस्य नगरपालिका, निम्बाहेड़ा के साथ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर भी गया था ?

(३) क्या यह सही है कि सामान बिजली खरीदने के लिए टेन्डर नहीं काल किये गये ? अगर हां, तो क्यों और अगर नहीं, तो कृपया टेन्डर नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि इन्दौर की जिस फर्म से यह सामान खरीदा वह कृषि औजार बेचने वाली है न कि बिजली का सामान बेचने वाली ?

(५) क्या सरकार उक्त सदस्य के खिलाफ तथा संबंधित अधिकारी को तुरन्त सस्पेण्ड करके केस चलाने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) प्राप्त सूचना के अनुसार गबन नहीं हुआ है।

(२) जी हां।

(३) टेंडर मांगे गये थे। टेन्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) यह सही नहीं है।

(५) इस मामले की जांच करवाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अब्दुलजब्बारखां : यह जो आपने बतलाया है कि गबन नहीं किया है तो मैं गबन की तारीफ नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि सामान कौन सी तारीख को खरीदा गया है और टेन्डर किस तारीख को कॉल किया है ?

श्री दौलतराम सारण : टेन्डर की प्रतिलिपि आपको अर्पित कर दी है।

श्री अब्दुलजब्बारखां : एक टेन्डर इन्दौर का है और एक टेन्डर निम्बाहेड़ा का है; तो क्या एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को यह ऑथोरिटी है कि वह इन्दौर से टेन्डर कॉल कर ले ?

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति है वह स्पष्ट है।

श्री अब्दुलजब्बार : इसको आप गबन कैसे नहीं मानते हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : कानूनन ।

श्री अब्दुलजब्बार : दूसरा जो टेन्डर कॉल किया है वह १० फुट का है और खरीदते वक्त जो सामान खरीदा है वह एक्चुअली ६ फीट का है। एक तरफ १४) रु० का टेन्डर निम्बाहेड़ा का था और उसके बराबर ही भीलवाड़े का आया है और २४) रु० में इन्दौर जाकर खरीद कर लाते हैं। साथ ही साथ जाने-आने का टी० ए०, डी० ए० लेते हैं और माल भी एफ० ओ० आर० मगाया है।

श्री दौलतराम सारण : इन सारी बातों को देखते हुए आपका जब यह प्रश्न आया तो मेरे ध्यान में यह बात आई और मैंने उत्तर दिया है कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है। इसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं जिसकी वजह से जांच की जा रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे खयाल में....

श्री अध्यक्ष : अब आपको सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ५० है उसमें हरिजनों का मामला है, वह जरूरी है।

कुछ माननीय सदस्य : पूछ लेने दें

श्री अध्यक्ष : जयपुर में रिक्शा चालकों की हड़ताल चल रही है....

श्री मावा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४९ का उत्तर दिलवा दीजिये, यह जरूरी है।

श्री जयनारायण नालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय,इन्होंने पहली बार प्रश्न पूछा है इसलिये इसका उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, इसका उत्तर दिया जाय।

जयसमन्द के नालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन

४९. **श्री मावा** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयसमन्द के नालों पर कार्य करने वाले चौकीदार व गेंग मेनों को माह अगस्त, १९६४ से वेतन नहीं मिल रहा है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं। वेतन समयानुसार दिया जाता है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No 32

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पशु मेले की आय

३५. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या झुंझुनू नगरपालिका की ओर से बीड़ में कोई पशु मेला आयोजित किया जाता रहा है ?

(२) यदि हां, तो उक्त मेलों की नये बोर्ड के बनने के बाद हुई आय अलग अलग बताने की कृपा करें ?

(३) क्या यह सही है कि मेलों की रकम ठीक समय पर पालिका में जमा नहीं कराई गई ?

(३) संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध सरकारी रकम नाजायज रखने के कारण कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) आय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

स्क्रैप पाइप की बिक्री

४१. श्री रामकिशन (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि वाटर वर्क्स सिटी डिविज़न जयपुर द्वारा जयपुर आयरन फौण्डरी को वर्ष १९६३ में १३ मैट्रिक टन व झोटवाडा एम. पी. इन्डस्ट्रीज़ को ८८ मैट्रिक टन सी. आई. स्क्रैप पाइप १००) रुपये फी मैट्रिक टन के हिसाब से बेचा गया है ?

(१) क्या यह सत्य है कि जिन दिनों उक्त विभाग द्वारा उक्त फार्मों को सी. आई. स्क्रैप पाइप बेचा गया था उन्हीं दिनों इसी तरह का स्क्रैप पाइप खुली निलामी में भी बेचा गया था ? यदि हां, नीलामी वाला स्क्रैप पाइप किस भाव बेचा गया था ?

(३) एक ही तरह के स्क्रैप पाइप को दो अलग अलग भावों में बेचने का क्या कारण था ?

उत्तर

(१) सन् १९६३ में वाटर वर्क्स सिटी डिविज़न जयपुर द्वारा निम्न फर्मों को ११२) रु० प्रति मैट्रिकटन के हिसाब से सी. आई. स्क्रैप पाइप दिया गया जयपुर आयरन फाउन्ड्री ८८.२२० टन एम. वी. इन्डस्ट्रीज़ ३८.३१९ टन।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(१२. ११ म. प.)

Page No 33

जयपुर में रिक्शा चालकों की हड़ताल विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जयपुर में रिक्शा चालकों की हड़ताल चल रही है उस संबंध में स्थगन प्रस्ताव आये थे जो अस्वीकार कर दिये गये थे। मंत्रीजी से निवेदन किया गया था कि वे इस बारे में अपना वक्तव्य दें। मंत्री महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५५ में बेंगलोर में अखिल भारतीय श्रमिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि देश में रिक्शा चलाना और रिक्शा चालकों को लाइसेन्स देना बंद करना चाहिये और उसके अंदर यह भी कहा गया था कि जितने रिक्शे हैं उनको १० साल में खत्म करना चाहिये। सन् १९५६ में राजस्थान सरकार ने यह नोटिस म्युनिसिपैलिटीज को दे दिया कि वे रिक्शों के नये लाइसेन्स देना बंद कर दें। मैं यह एड्मिट करता हूं कि इस सर्क्यूलर पर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से पूरी कार्यवाही नहीं हुई।

उसके बाद जो अब नया प्रश्न आता है वह यह है कि जयपुर शहर में नये रिक्शों को, नये चलाने वालों को इजाजत देनी चाहिये। जयपुर शहर में पिछले साल तक २०३२ रिक्शा चलाने वालों को लाइसेन्स दिये गये थे। पिछली साल इस म्युनिसिपैलिटी ने ४०३ नये रिक्शा चलाने वालों को इजाजत दी। उसके बाद २३५ और लाइसेन्स दे रहे हैं। जब सरकार को यह मालूम हुआ कि २३५ और लाइसेन्स दे रहे हैं तो सरकार ने कहा कि ये लाइसेन्स नहीं दें। इस तरह से पूरे जयपुर शहर में पहले जो २०३२ लाइसेन्स दिये गये थे उनके बजाय म्युनिसिपैलिटी ३००० से ऊपर संख्या ले जाना चाहती थी....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : २०३२ या २३२ ?

श्री बरकतुल्लाखां : २०३२ पहले थे, ४०३ को लाइसेन्स और दिये गये, २३२ के रोके गये और ४०० लाइसेन्स पेन्डिग पड़े हैं। इस तरह ५० परसेन्ट करीब और ज्यादा लाइसेन्स म्युनिसिपैलिटी देना चाहती है। इसके साथ-साथ कुछ रिक्शे वालों ने अपने रिक्शे बनाकर इस बात की कोशिश की उनको भी नये लाइसेन्स मिलने चाहिये। इनकी तादाद १६१ है। उधर भारत सरकार ने हमसे यह कहा कि राजस्थान सरकार की नीति यह रही है कि रिक्शा-पुलिंग आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना चाहिये। यदि जयपुर में ये सारे लाइसेन्स दिये गये जैसा कि जोर लगाया जा रहा है तो नतीजा यह होगा कि दूसरे शहरों में भी हम नहीं रोक पायेंगे। नतीजा यह होगा कि जहां हम मानवीय आधार पर यह परम्परा रोकना चाहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को खींचकर न ले जावे, वहां हम यदि नये लाइसेन्स देंगे तो यह परम्परा वापिस डालेंगे कि एक इन्सान को घसीट कर दूसरा इन्सान ले जावे और जानवर की तरह काम करे। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि जिन लोगों ने अपने रिक्शे बनाये और लाइसेन्स के लिये एप्लाई किया वे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं और दुखी लोग हैं। इसलिये मुख्य

(श्री बरकतुल्लाखां)

मंत्रीजी से मेरी बात हुई और उन्होंने हुक्म दिया, जिसे मैं सदन के सामने रखूं कि जिन लोगों ने रिक्शे अपने बनाये हैं यदि यह साबित हो जाय कि जिन्होंने रिक्शे बनाये हैं वे वास्तव में रिक्शा–पुलर्स हैं तो उनका सारा का सारा नुकसान पूरा किया जायगा। जिन लोगों ने अपने घर के जेवर बेचकर रिक्शे बनाये हैं उनका मुकसान पूरा हो जाय, ऐसी व्यवस्था की जायगी।

जो लोग २३५ आदमी हैं जिनको लाइसेन्स म्युनिसिपैलिटी देना चाहती है उनके बारे में भी मेरी मुख्य मंत्रीजी से बात हुई, योजना मंत्रीजी से बात हुई, श्रम मंत्रीजी से बात हुई और वे सभी चाहते हैं कि उनके साथ हमदर्दी का सुलूक होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिससे उनको नुक्सान पहुंचे। इसलिये राजस्थान सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि यदि ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को तैयार हों तो हम उनको ऑटो-रिक्शा दिलाने को तैयार हैं। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि १०–१२ ऑटो-रिक्शा मौजूद हैं जिनका लाइसेन्स इन लोगों को देने को तैयार हैं। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो फैसला हुआ है वह सदन को पसन्द आयेगा और जिन लोगों को तकलीफ हुई है उनकी तकलीफ रुकेगी जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको देखकर ऑटो रिक्शा देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : एक बात कृपया बतावें जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा था कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिक्शा लाइसेन्स हैं, इस समस्या को हल करने के लिये क्या किया जायेगा ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह सही है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा लाइसेन्स हैं, इस सिलसिले में राजस्थान सरकार कानून बना रही है; लेकिन लीगली हम स्टेटफॉरवर्ड कोई स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि बिजनेस करने का हरेक को अधिकार है लेकिन रूल्स में यह प्रावधान बनाना चाहते हैं कि मालिक लोग ५–७ या अधिक लाइसेन्स लेकर गरीबों को एक्सप्लोइट करते हैं और उन गरीबों की मेहनत से फायदा उठाते हैं वह नहीं होना चाहिये। तीन–चार महीनों में ये रूल्स बन जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान सरकार ने यह बात कही है कि उनके रिक्शे खरीद लेंगे; खरीद कर राजस्थान सरकार उनका क्या करने वाली है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक प्रश्न और है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री): उनको खरीदने के बाद उनका क्या किया जाय, यह बाद का प्रश्न है; इसलिये इस बारे में निर्णय नहीं लिया है। तत्काल का प्रश्न तो यह है कि इनको खरीदने की व्यवस्था की जाय।

श्री भैरोंसिंह : सवाल सबसे बड़ा यह है कि रिक्शा चालक मजदूरी करते हैं और मजदूरी इनको दूसरी जगह नहीं मिलती है इसलिये वे यह अमानवीय

(श्री भैरोंसिंह)

कार्य करते हैं। राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह उनको रोजगार दे सके इसलिये वे रिक्शा चलाना बन्द नहीं कर सकते। २०३२ आदमियों को पहले लाइसेन्स मिल चुके हैं और ४०० को अब दे दिये हैं इस तरह से करीब २४०० आदमी तो यह अमानवीय काम करेंगे, लेकिन २३२ आदमी जिन्होंने अपने रिक्शे खरीद लिये हैं उनको इजाजत नहीं दी जायगी, यह लोजिक समझ में नहीं आता है। राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि नये रिक्शों के लिये लाइसेन्स नहीं दिया जाय और चुनी हुई म्युनिसिपेलिटी उसका पालन करे न करें यह अलग बात है लेकिन कोटा म्युनिसिपेलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर है उसने ३०० रिक्शे चला दिये और यहां के आस-पास जितनी पंचायतें हैं उन्होंने जो रिक्शे पास कर दिये वे जयपुर शहर में चल रहे हैं लेकिन जयपुर के लोग यदि जयपुर में रिक्शा चलाना चाहते हैं तो वह सरकार की दृष्टि में अमानवीय कार्य है। यदि इस अमानवीय कार्य को रोकना है तो मैं कहूंगा कि अवश्य रोकना चाहिये और उनको सरकार को कहना चाहिये कि जितने रिक्शा चालक हैं वे सब अलग हो जावें, सरकार उनको नौकरी देती है। सरकार उनको नौकरी नहीं देती है इसी कारण से वे यह अमानवीय कार्य करते हैं। उनको पेट भरने के लिये रोटी चाहिये और सरकार उनके पेट की रोटी पर लात मारना चाहती है। आप रिक्शा चलाना रोकें या न रोकें, लेकिन भूख के कारण रिक्शे चलाये जायेंगे और राजस्थान सरकार उनको नहीं रोक सकती। एक नहीं हजार खरीदें, लेकिन या तो आपको उनकी रोटी का इन्तजाम करना पड़ेगा, उनको रोटी देनी पड़ेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नीति का सवाल है, जो रिक्शा-चालक हैं इनकी संख्या कम हो—इस प्रकार की नीति सरकार की है, जैसा आपने कहा। परन्तु आपने जो लाइसेन्स देने का सवाल रखा, उसमें लाइसेन्स किसी एक व्यक्ति को दें रिक्शे का, लेकिन ड्राइविंग के लाइसेन्स की संख्या आगे बढ़ने से अगर ड्राइवर्स की संख्या बढ़ती जाती है और दस हजार तक हो जाती है तो एक रिक्शा है, वह चौबीस घंटे चलता रहता है और चार चार आदमी उसको अलग अलग टाइम पर चलाते हैं। इसलिए क्यों नहीं आप ड्राइविंग के लाइसेन्स को कम करते। आपकी मंशा है कि आपको उस आदमी को रोकना है जो रिक्शा खींचता है। उनकी संख्या को आप बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो असली मन्शा जो आपकी है वह पूरी होती नहीं। इसलिए आप स्टेट के अन्दर जब तक ड्राइविंग के लाइसेन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी संख्या को कम नहीं करेंगे तब तक जैसा आप सोचते हैं वह हो नहीं सकता। इसलिए जो नीति का सवाल है वह परस्पर विरोधी है।

दूसरी बात यह है, आप कहते हैं कि व्यापारियों को आप रोक नहीं सकते कानूनी तरीके से, क्योंकि आपके पास कोई कानून या कोई नियम नहीं है जिसके बेसिस पर आप उसको इस व्यवसाय से रोक सकें; चाहे वे पचास रिक्शा रखें या सौ रिक्शा रखें। तो, मैं जानना चाहता हूं कि जब इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार कोई नियम या कानून नहीं है तो जिस आदमी के पास रोजी-रोटी पाने के लिए साधन नहीं है, जो बेकार है, जो भुख-मरी से परेशान है, जिसके पास साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको इस काम से क्यों महरूम करते हैं। संविधान की कौनसी ऐसी धारा है जिसके आधार पर आप उसको रोकते हैं और व्यापारी को नहीं रोक सकते। मैं समझता हूँ कि यह उसका बुनियादी अधिकार है अपना जीवन-निर्वाह करने का। अगर आप यह रोकना चाहते हैं तो उसको जीवन-निर्वाह करने के लिए काम दें, साधन देने की व्यवस्था करें। अगर आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम उसके काम में आप बाधक मत बनें, यह अधिकार आपको नहीं है। आज जीने का अधिकार सबको है। इसलिए इस मामले में सरकार को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, यह मसला एक अर्से से सरकार के सामने चल रहा है। इसके सम्बन्ध में कुछ इधर-उधर सलाह हुई। ह्यूमन लेबर के सम्बन्ध में ह्यूमन एप्रोचेज़ हुए। मेरा इस सम्बन्ध में कहना है कि यह सही है। एक्स्प्लोइटेशन जिस तरह से रिक्शा चालकों का हो रहा है, दूसरे लोग रिक्शा व्यवसाय में मोनोपोली करके मनमाने ढंग से ह्यूमन लेबर को एक्स्प्लोइट कर रहे हैं, उसको रोकने का रास्ता निकालना जरूरी है। इसके साथ ही यह बात भी जरूरी है सोचना कि इन्डिविजुअल ढंग से लोगों को रिक्शाओं के लाइसेन्स दे दिये जायेंगे तो वे गरीब लोग लाइसेन्स ले लेंगे और उसके बाद उनको बेच देंगे और उसके बाद उसी प्रकार से एक्स्प्लोइटेशन चलता रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि इस एक्स्प्लोइटेशन को रोकना सरकार का पहला कर्त्तव्य होना चाहिए।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह होनी चाहिए कि रिक्शे का लाइसेन्स का नम्बर और रिक्शा चालक का ड्राइविंग का लाइसेन्स का नम्बर एक होना चाहिए। रिक्शा चलाने वाले का और रिक्शा जिसका है उसका एक नम्बर होना चाहिए जिससे दूसरा आदमी उसको नहीं चला सके और एक आदमी अपनी पूरी रोजी कमा सके।

तीसरी बात यह है कि आज जितनी भुखमरी है, उसके कारण से आदमी, एक बनिया आठ आने और एक रुपया बचाने के लिए पूरा फायदा खाना चाहता है। कुछ लोग जो इस एजीटेशन के पीछे हैं और जो लोग एजीटेशन कर रहे हैं उन लोगों को इनके चंगुल से निकालना चाहिए। दोनों का पर्पज़ एक है। आपका पर्पज़ यह है कि उनको एम्प्लोयमेंट मिले। इसलिए यह बात सही है कि सरकार को इन रिक्शाओं का पैसा देकर इन्हें ले लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को, इन रिक्शा चालकों का रीज़नेबल वे में, रीज़नेबल किराये पर, नोमीनल किराये पर रिक्शा दे देना चाहिए जिससे कि इनको एम्प्लोयमेंट मिल जाय और रिक्शा उस बनिये के पास नहीं पहुँच सके जो इनसे छीन कर, इन गरीब लोगों के रिक्शाओं को मोनोपोलाइज़ कर लेता है। इसलिए सरकार को इनकी मांग को मानना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहिए कि इन रिक्शाओं को सरकार पैसा देकर ले लेगी और नोमीनल ढंग से नोमीनल किराये के ऊपर इन रिक्शाओं को उन्हीं लोगों को चलाने के लिए दे देगी, जिससे वे इस आफत से निकल सकें और भुखमरी से निकल सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह-नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सरकार ने आज सही मानवीय दृष्टिकोण से इस चीज को देखा है और माना है कि यह लज्जाजनक चीज है कि इन्सान इन्सान को खींचे। लेकिन जो बात सरकार ने सामने रखी है वह इस लज्जाजनक चीज के ऊपर पर्दा नहीं डालती बल्कि इसको और गम्भीर बनाती है। आज २,३०० रिक्शा के लाइसेन्स से अधिक लाइसेन्स सरकार नहीं देना चाहती क्योंकि यह लज्जाजनक बात है, अमानवीय काम है कि इन्सान इन्सान को घसीटे, इस तरह का बदतर काम नहीं हो समाज में। लेकिन अधिक लाइसेन्स न देने से होता क्या है कि जो रिक्शा वाला उस रिक्शा को सुबह से शाम तक घसीटता रहता है, उससे रिक्शा का मालिक अधिक किराया चार्ज करता है। ज्यादा लाइसेन्स न देने के कारण रिक्शा-चलाने वाले का शोषण ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर सरकार इस बात की गारन्टी देती है, अगर सरकार को वास्तव में खेद है इस लज्जाजनक काम का तो सरकार को एक कॉन्क्रीट प्लान लाना चाहिए था. सरकार २३०० या तीन हजार रिक्शाओं को खरीद लेती है, तो उसके बाद सरकार कहे कि हमारे पास यह काम है, यह रोजगार है, यह जीवन के निर्वाह करने का तरीका है। आज इस समाज में लोग इससे भी गिरे हुए काम करते हैं जीवन-निर्वाह के लिए, बहनों को अपना तन बेचना पड़ता है जीवन निर्वाह के लिए। इन सबका कारण यही है कि सरकार एम्प्लोयमेन्ट या रोजगार नहीं दे पाती है, सरकार कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं दे पाती है। मैं समझता हूं कि कोई कानून बनाने से या नियम बनाने से चीज नहीं हो जाती है, कोई चीज नहीं रुक जाती है। आज भी इस राजस्थान के अन्दर सागड़ी प्रथा चलती है जबकि उसके लिए कानून है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेंट के ऊपर तो भाषणों का रूप बनने लग गया जिसमें सागड़ी प्रथा सी आ गई....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि इसको...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहना चाहता हूं, लाइसेन्स आप मत दीजिए, इससे समस्या समाप्त होती है तो सारा सदन आपसे सहमत हो जायगा। अगर लाइसेन्स ज्यादा इश्यू न करने से यह काम खत्म हो जाता है तो १७६ सदस्यों की तरफ से कह सकता हूं कि हमें कोई एतराज नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं इस सदन के लेना चाहता हूं। जो मन्त्री महोदय ने कहा वह एक नीति से सम्बन्ध रखने वाली बात

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है। सरकार ने पॉलिसी डिसीज़नलिया। मैं मानता हूं कि आपने जिस ध्येय को अपना लिया है या पॉलिसी डिसीजन लिया है वह इनएक्सप्लीकेबल है, नाकाबिल बात है तो अच्छी बात है। लेकिन सिद्धान्ततः जब कोई सरकार पालिसी डिसीजन लेती है तो उसको फॉलो-अप करना चाहिए कानून के द्वारा। आप अगर एक एग्ज़ीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, इन्तजामाती मामले को समझकर रुकावट करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें हार्डशिप पैदा होगी, लोगों के सामने अड़चन पैदा होगी क्योंकि यह मामला आर्थिक है। आपने खाद्य समस्या, आर्थिक समस्या देश की जो बना रखी है उससे मजबूरन बहुत से लोगों को अपनी रोजी-रोटी के वास्ते भी यह घृणित काम करना पड़ता है। अगर आपको पॉलिसी डिसीज़न लेना है और इस चीज को रोकना है तो एक-दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने—हद से हद छः महीने को इसमें रखिए। आप कोई कानून बनायें; आप इस बात की घोषणा करिए कि अमुक समय तक इतने लाइसेन्स पर्मीसिबल होंगे। उसके बाद सरकार को मजबूर होकर इन कारणों से, ह्यूमन कन्डीशन्स को लेकर रुकावट करनी पड़ेगी। तब तो मैं समझ सकता हूं कि आप एक ऐसी समस्या का हल निकाल रहे हैं जो उचित है। लेकिन अभी का अभी एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा हार्डशिप क्रियेट करें और जो व्यवस्था का मामला है उसको जो बढ़ावा या घटावा देते हैं उसके अन्दर आप इन्टरफिअरेन्स करते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक फंडामेंटल राइट का प्रश्न है, लीगल प्रश्न है। इस समस्या के ऊपर सोच विचार कर कोई हल निकालकर अगर लेजिस्लेशन के द्वारा इस चीज को करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना मेरे ख्याल से अनुचित है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, १६-१-५५ को एक सम्मेलन हुआ और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक आदेश भेजा, उसमें लिखा था, केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम बना कर, रिक्शा-वाहन के नियम बनाकर राज्य सरकारों के पास भेजेगी। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के नियम आये तो १६५५ के बाद राज्य सरकार ने इन नियमों का कहां तक पालन किया ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय...

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, राजस्थान गवर्नमेंट की वह पॉलिसी रही है कि मुतवातिर रिक्शा के लाइसेन्स कम किए जांय। उसके लिए मैं आंकड़े देता हूं जयपुर शहर के ही। १९६२-६३ के अन्दर कुल रिक्शा चलाने वालों की तादाद २८१३ थी। १९६३-६४ के अन्दर वह २८१३ से गिरकर २२६२ तक आ गई। १९६४-६५ के अन्दर वह तादाद २२६२ से गिर कर २०३२ तक आ गई लेकिन चूंकि नए लाइसेन्स इसमें और जोड़ दिए गये इसलिए वह फिगर बढ़ गया। लेकिन जो पॉलिसी चल रही थी कि इनकी लाइसेन्स संख्या कम होनी चाहिये, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कोशिश करती रही है और जो लोग एक्स्प्लोइट कर रहे हैं रिक्शा ओनर रिक्शा–पुलर्स को, उनको उनके अख्तियार से निकाल देना है।

(श्री बरकतुल्लाखां)

एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे जो एक्स्प्लोइट हो रहे हैं वह बन्द हो। आज बहस के दौरान में कहा गया कि कोटा में नए रिक्शा लाइसेन्स दिये गये। मैं यकीन दिलाता हूं, मैंने लिख कर पूछा है और मैंने टेलीफोन करके भी पूछा है, मेरे पास यह जानकारी आई है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने एक रिक्शे का भी लाइसेन्स नहीं दिया है······

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह सेन्ट-परसेन्ट गलत है। मैं खुद वहां पर जाकर देख कर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई लाइसेन्स नहीं दिये। आप कहते हैं नम्बरिंग दिये हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : हमने एडमिनिस्ट्रेटर को टेलीफोन करके पूछा कि क्या नये रिक्शा चलाने के लिये लाइसेन्स दिये हैं; तो उनका जवाब आया "बिल्कुल नहीं"। वहां का एडमिनिस्ट्रेटर एक जिम्मेदार आदमी है, एस. डी. ओ. है।

श्री भैरोंसिंह : आपका एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदारी से कहता है और हम यहां पर गैर-जिम्मेदारी से बातें करते हैं? मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर ३५० रिक्शा चलते हैं और म्युनिसिपेलिटी का नाम उन पर है और उनका उपयोग वहां पर होता है। म्यूनिसिपेलिटी और पुलिस उनको रोकती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय मंत्री ने कहा कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई नये लाइसेन्स नहीं दिये हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पर रिक्शा चलते हैं। माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि वहां पर रिक्शा नहीं चलते हैं। पुराने लाइसेन्स दिये हैं तो चल रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई नये लाइसेन्स नहीं दिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इससे यह भ्रम होता है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई अनुमति नहीं दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेटर एक सरकारी कर्मचारी है। लाइसेन्स नहीं दिये हैं मगर रिक्शे पर नम्बर लगे हुए हैं; रिक्शे चलते हैं। रिक्शा चलाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि सारे चलते हुए रिक्शों के लाइसेन्स रद्द कर दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां पर ये रिक्शा तो अभी ४ महीनों से चलने लगे हैं, वहां पर ४–६ महीने पहले रिक्शा नहीं चल रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर के समय में ही ये टोंक में चल रहे हैं, गंगानगर में चल हैं। समझ में नहीं आता कि जयपुर में ही क्या कहर ढाने की बात है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): गंगानगर में फ्रेश लाइसेन्स दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : टोंक में दिये गये हैं।

Page No 40

श्री बरकतुल्लाखां : टौंक में नहीं दिये।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर और टौंक में नहीं दिये, आप कह दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि क्या इस सारी बहस के बाद भी सरकार क्या अपनी नीति को रिवाइज़ करने के लिये तैयार है और दुबारा विचार करने के लिये इस पर तैयार है ? सरकार ने अभी यह कहा कि सरकार, रिक्शा वालों ने, जिन्होंने अपने रिक्शा बनवा लिये हैं उनसे खरीद लेगी और उनको मुआवजा दे देगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह रिक्शा ओनर्स पर हो। आपके यहां पर २,३३२ की संख्या में रिक्शा चलते हैं जो उन्हें किराये पर उठाते हैं, क्या आप उनको खरीदने के लिये तैयार हैं ? मैं यह कहूंगा कि आप उनको खरीदने के लिये तैयार नहीं हैं। रिक्शा ऑनर रिक्शा चलाने वाले को किराये पर ८ घंटे के ३)रु० के हिसाब से २४ घंटे के ८) रु० और एक साल के दो हजार से भी ज्यादा कमाता है। आप उस पर कोई अटेक नहीं करते। आप उन नये २३५ बने हुए रिक्शों को लेने के लिये यहां कहते हैं। आपने उनके रिक्शे ले लिये उसके बाद वे लोग बेरोजगारी के कारण उन पैसों को खर्च करके बेरोजगार बन कर हमारी सड़कों पर घूमेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपकी कोई आइडियोलोजी और पोलिसी है तो जितने रिक्शा चलते हैं उन सबको आप ले लीजिये और जो रिक्शा चालक हैं उनको कोई ऑल्टरनेट काम दीजिये। इन २३५ आदमियों के रिक्शा खरीदने से कोई प्रगतिशीलता कायम नहीं कर सकेंगे। आप सैद्धान्तिक रूप से किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो इस प्रकार २३५ रिक्शों को लेने से यह समस्या का हल नहीं होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप दुबारा उनसे बातचीत करें और उनकी बात-चीत को समझें।

जब तक कोटा में जनसंघ की म्युनिसिपेलिटी थी कोई रिक्शा का लाइसेन्स नहीं दिया गया; अब आप कहते हैं कि वहां पर लाइसेन्स नहीं दिया गया है, पमिशन दी गई है; तो लाइसेन्स और पमिशन में कोई फर्क नहीं होता है। लीगल टर्म में इस पमिशन को लॉ की क्लीअर कट डेफिनिशन में लाइसेन्स माना जावेगा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि रिक्शा चालकों से पुनः बात-चीत कर इस समस्या का समाधान करना चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। इस पर बहुत बहस हो चुकी है। मुख्य मंत्रीजी कुछ इस पर कहना चाहें तो बोलें।

श्री हीराभाई : मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आपने पहले बोलने की कोशिश नहीं की

(श्री अध्यक्ष)

और अब आपकी पार्टी के सारे सदस्य बोल चुके; अब आप बोलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर काफी बहस हो चुकी है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री हीराभाई पुनः बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को कोई राजनैतिक प्रश्न या और तरह का प्रश्न न समझा जाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह तो ऑल इन्डिया का प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया - प्रश्न यह उठाया कि लोग इस अनुचित काम को भी करते हैं जिसको सभी अनुचित समझते हैं क्योंकि एम्प्लोयमेंट नहीं मिलता है। ठीक बात है कि एम्प्लोयमेंट नहीं है, लेकिन यह प्रश्न अखिल भारतीय प्रश्न है और सारे राजस्थान का है। आज हमें यह सोच कर चलना होगा कि जहां तक एम्प्लोयमेंट का प्रश्न है, आज राजस्थान में कई शहर ऐसे हैं जहां एक भी इस प्रकार का रिक्शा नहीं चलता और आज वहां अनएम्प्लोयमेंट नहीं हो, बल्कि वहां पर यही नीति चली आ रही है जिसके द्वारा इस चीज को नहीं बढ़ाया गया। मैं समझता हूं कि अनएम्प्लोयमेंट की प्रोब्लम जो कुछ है वह सभी जगह है, लेकिन आज हमारी नीति निश्चित तौर से यह है कि हम रिक्शा को, जो साइकिल रिक्शा हैं, उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते और जो चलते हैं उनको भी ग्रेजुअली कम करना चाहते हैं, क्योंकि नये एनरोल करने के लिये, एक चीज का यूज़ करने को, जिसको हम गलत समझते हैं अगर उसको ऑल्टर्नेटिव दिये बिना डिस्पोज़ करते हैं तो इसमें बड़ा अन्तर पड़ता है। आखिर इनको हटाने के लिये एक रूपरेखा बना कर कि किस प्रकार इनको एम्पलोय किया जा सकता है, इस पर विचार किया जायगा। मैं समझता हूं कि अगर लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत हो कि नये रिक्शों के बारे में लाइसेन्स न दें तो इसके बारे में सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी क्योंकि कई जगह पंचायतों से और दूसरे स्थानों से शिकायतें आई हैं और मैं समझता हूं कि इस चीज को रोका जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर भारतवर्ष में टूरिस्ट्स और कई दूसरे दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। इसलिये भी काफी तादाद में इनको बढ़ाया जाना उचित नहीं है; और चूंकि कुछ लोगों ने, जो कहते हैं कि हम ही चलाने वाले हैं और हम ही रिक्शों के मालिक हैं और चूंकि वे अपना रुपया खर्च कर चुके हैं इसलिये हमने कहा कि तुम्हारे लिये हम कोई रास्ता निकालने को तैयार हैं। जिससे उनको कोई नुकसान नहीं हो। उनको उचित तरीके से कोऑपरेटिव या दूसरी कोई व्यवस्था करके-क्योंकि वे इतना पैसा नहीं दे सकते–इसलिये हमने हायर–पर्चेज़ पर, लोन देकर उनको

Page No 42

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समस्या को हल करने के लिये इस बात को स्वीकार किया हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन भी इस बात को स्वीकार करेगा और इस बात को लक्ष्य में रख कर चलेंगे कि आगे के लिये बढ़ाने की बात है, नहीं बढ़ाने चाहिये। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट को यह भी एग्ज़ामिन करना चाहिये कि एक व्यक्ति के पास बहुत से लाइसेन्स हैं और वह लेबर एक्सप्लोइट करता है, उसके लिये भी क्या होना चाहिये, इसके लिये भी मेरी दो राय नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस गम्भीर स्थिति पर आज इतनी देर तक बहस हुई और मुख्य मन्त्री ने स्टेटमेंट दिया उससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुँचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आखिर २५० आदमियों की किस प्रकार की कोऑपरेटिव होगी, किस तरह से ओटो रिक्शा इन लोगों को दिए जायेंगे, कैसे सब कुछ होगा, ये सब सुझाव तो होने चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मुख्य मन्त्रीजी ने जो इस स्थिति पर स्टेटमेंट दिया है उससे हमें किसी प्रकार का सन्तोष नहीं हुआ है। इसलिए सरकार की इस प्रकार की नीति के खिलाफ हम इस सदन से वाक-आउट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुख्य मन्त्री ने सदन का इतना समय बरबाद किया, उसके लिए सारे सदन के सदस्य वाक-आउट करेंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास और विपक्ष के अन्य कई माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मुख्य मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह एकदम बोल्ट फ्रोम दी ब्लू की तरह, ऑल इन्डिया क्वेश्चन को जयपुर का क्वेश्चन बनाकर, जो उत्तर मुख्य मन्त्री महोदय ने दिया है वह असंतोषजनक है। उस पर एतराज करके मैं और मेरा दल इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह और उनके दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया कि जयपुर को टूरिस्ट सेन्टर माना है इसलिए साइकिल रिक्शा का टूरिस्ट्स पर बुरा असर पड़ता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) मैंने यह कहा कि····

श्री भैरोंसिंह : यहां तो साइकिल रिक्शा को आदमी चलाते हैं, पर कलकत्ता, जो कि बड़ा टूरिस्ट सेन्टर है, वहां पर आदमी रिक्शा को लेकर दौड़ते हैं, उसका टूरिस्ट्स के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता ? मुख्य मन्त्री ने कहा कि इस प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाया जाय पर मैं मानता हूं कि इस प्रश्न को लेकर मुख्य मन्त्रीजी के मस्तिष्क में राजनीति भरी हुई है और वे इन गरीबों की रोटी-रोजी को छीनना चाहते हैं, उनके पेट के ऊपर लात मारना चाहते हैं। ऐसे राज्य के मुख्य मन्त्री के स्टेटमेंट के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिये और इन गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह व उनके दल के अनेक सदस्यों द्वारा सदन से वहिर्गमन)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : × × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री हरिप्रसाद शर्मा : × × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दया की भीख हम नहीं मांगते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपको अपने नेता में विश्वास नहीं है क्या ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : × × × ×

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : इनको पकड़ कर बाहर निकाला जाय।

(शोरगुल)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : × × × ×

(श्री हरिप्रसाद शर्मा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा है, कुछ भी रेकॉर्ड पर नहीं लिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : × × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार उनके भाषण रेकॉर्ड नहीं किये गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने भी जो कुछ कहा है वह भी रेकॉर्ड पर नहीं लिया जाय ।

(१२.४७ म. प.)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(१२.४८ म. प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : मैं ५ मिनट में बोल कर समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं तो अभी गया हूं और एक दम आ गया...

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें नहीं हो सकतीं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : दो मिनट में तो मैं आ ही गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष, ...

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अभी मेरा समय है ।

श्री अध्यक्ष : आपका समय नहीं रहा ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मुझे बाद में समय दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आपको बाद में कोई समय नहीं मिलेगा । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं एक मिनिट में भाग कर आया हूं ।

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के भाषण भी अभिलेखबद्ध नहीं किये गये ।

श्री अध्यक्ष : आप देर में आये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरा भाषण रह गया था आप मुझे बता दीजिये उतने ही समय में समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज् ! आपका समय गया ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है ।

श्री अध्यक्ष : आप सदन के साथ अन्याय कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैंने कौनसा अन्याय किया ?

श्री अध्यक्ष : आप व्यर्थ सदन का समय ले रहे हैं । मैंने जो व्यवस्था दी उसका पालन नहीं कर रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय माननीय सदस्य श्री मोहनलाल सारस्वत ने भाषण समाप्त किया उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि वे अपना भाषण कन्टिन्यू करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : उस समय कोई निर्णय नहीं दिया था, न वह समय निर्णय देने के उपयुक्त होता है । जो यहां पहले खड़े होकर बोलना चाहें वही निर्णय का समय होता है । उस समय ऐसा निर्णय नहीं दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : उस समय इन्होंने पूछा था ।

श्री अध्यक्ष : वे कुछ भी पूछें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज करूं प्रोसीडिंग्ज़ दिखवा लें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरी जानकारी की है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय अध्यक्ष, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कल बोल रहे थे । मैं यह निवेदन करूंगा कि अब जो वह बोलेंगे वह संयुक्त सोश्यलिस्ट पार्टी के समय में से ही बोलेंगे । जिस वक्त उनका नाम पुकारा गया....

श्री अध्यक्ष : केवल यही कारण नहीं है । माननीय सदस्य कल २० मिनिट बोल चुके हैं । मैं तो इस परम्परा को ठीक नहीं समझता कि १५–२० मिनट पहले दिन बोल लें और १५–२० मिनट दूसरे दिन बोल लें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका निर्णय बिलकुल सही है । माननीय सदस्य जो कुछ बयान कर रहे थे रतनगढ़ की विशेष परिस्थितियों के बारे में बयान कर रहे थे....

श्री अध्यक्ष : वे २० मिनिट बोल चुके ; वे चाहते तो भाषण समाप्त कर सकते थे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष, में विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इन्हें केवल ५ मिनिट हमारी पार्टी के समय में से दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से इस सदन में वाद-विवाद चल रहा है । मैं उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने खड़ा हुआ हूं जो हमारे माननीय सदस्य श्री अमृतलालजी यादव ने यहां रखा है ।

यह सर्व विदित है कि राजस्थान ने आशातीत प्रगति की है । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो कार्य हुए उनके फल आज हमें प्राप्त होने लगे हैं और सबसे बड़ा सबूत आज इस बात का हम देखते हैं कि कितना विकास राजस्थान में हुआ है, इसे कितने लोगों ने कितना पसंद किया है, किस तरह गांवों में नया जीवन आया है, यदि इसका प्रमाण चाहिये तो पंचायतों के चुनाव परिणामों को देखें कि कितने लोगों ने इसे पसंद किया है । राजस्थान में पंचायतों के चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल की है, इसका लोहा इधर बैठने वाले भी मानते हैं । आज गांवों में जो उन्नति हुई है उसके परिणाम स्वरूप गांव वालों ने कांग्रेस के पंचों और सरपंचों को मत देकर जिताया और आने वाले दिनों में भी ज्यादा तरक्की आने वाली है । किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, चाहे सड़कों के क्षेत्रों में; आप देखेंगे कि १० साल में कितनी तरक्की हुई है । आज मुझे खास तौर से राज्यपाल महोदय को इस भाषण पर उनको धन्यवाद देना है इसलिए कि जिस चीज की हम साल भर से मांग कर रहे थे, जिस चीज के लिए हमारे यहां के मजदूर साल भर से इन्तजार कर रहे थे, वह आज राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कही है । पेज २१ पर उन्होंने कहा है :

"कुछ परिशिष्टित रोजगारों में न्यूनतम वेतन दरें परिवर्तित कर दी गई हैं और कुछ नये रोजगारों को परिशिष्ट में शामिल करने का विचार है ।"

मैं इस चीज पर राज्यपाल महोदय को और अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो न्यूनतम वेतन संबंधी सलाहकार मंडलों की सिफारिशें आज साल भर से राज्य सरकार के पास पड़ी हुई थीं और सर्वसम्मति से तय किया गया था कि १९६२ के आंकड़े पर ६० रु० न्यूनतम वेतन कम से कम किया जाय और उसके बाद, यानी १९६२ के बाद, डिअरनेस जो कुछ बढ़ता जाय कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ जोड़ा जाय । श्रमिकों की इस मांग को स्वीकार करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं । यद्यपि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी किया जायगा । मैं तो राज्यपाल महोदय की घोषणा को ही नोटिफिकेशन मानकर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चलता हूं जिसमें कहा गया है कि न्यूनतम वेतन ६० रुपए कर दीया जाय।

मैं राजस्थान के श्रमिकों की इस प्रकार की हालत पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के आंकड़े जो बहुत ऊंचे चलते जा रहे हैं, राजस्थान सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार करके माथुर कमेटी बिठाई और उस कमेटी की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है और उस पर विचार किया जाने वाला है। मैं आशा करता हूं कि माथुर कमेटी ने जो लिंकिंग की सिफारिश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन पाने वाले मजदूरों के सेंट पर्सेन्ट न्यूट्रला-इजेशन का सिद्धान्त स्वीकार किया है, उस सिद्धान्त को सरकार स्वीकार करेगी और माथुर कमेटी की रिपोर्ट को पूर्णतया लागू करने में सफल होगी, ऐसी आशा करके मैं चलता हूं।

जहां राजस्थान में उद्योगों का बहुत विकास हो रहा है, कोटा में, जयपुर में, और दूसरी जगहों पर, वहां मैं देखता हूं कि राजस्थान का श्रम विभाग उतनी सुस्ती के साथ और ढिलाई के साथ काम करता चला जा रहा है। राजस्थान का फैक्ट्री इन्सपेक्टोरेट निल के बराबर है। राजस्थान के फैक्टरी इन्सपेक्टर्स न फैक्टरीज़ का मायना करते हैं, न किसी तरह से नोट्स सामने हैं। हाल ही में कई दुर्घटनाएं सामने आई जिनसे पता लगेगा कि किस तरह से काम होता है। कोटा में रेयन्स फैक्ट्री में अभी एक नौजवान काम कर रहा था, ऊपर से गिरकर वहां ही उसका प्राणांत हो गया। वह सन्डे था, इतवार को भी उससे काम लिया जा रहा था। फैक्ट्री इन्सपोक्टोरेट ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि मृत्यु का कारण क्या था? यह बताया गया कि दीतवार था, उसका जाना जरूरी नहीं था वह जबरदस्ती घुसा। इस तरह से सवाई-माधोपुर में एक ठेकेदार का मजदूर क्रशिंग प्लांट पर काम करता था, उसे अनुभव नहीं है, संरक्षण के यंत्र नहीं लगाए। अनुभवी न होने के कारण और ठेकेदार का मजदूर होने की वजह से एक्सीडेंट में इन्वोल्व हो जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है और कहा जाता है कि ठेकेदार का मजदूर था, फैक्ट्री इन्सपेक्टोरेट जांच नहीं कर सकती।

ये दो मिसालें मैंने सदन के सामने रखी हैं। इस प्रकार के सैकड़ों केसेज़ होते हैं। पता नहीं, मुआवजा मिलता है या नहीं।

इसी प्रकार में राजस्थान की कन्सी-लिएशन मशीनरी की ओर तवज्जोह दिलाऊंगा। कन्सीलिएशन में महीने लग जाते हैं। तारीख बदल देते हैं। क्योंकि आरबीट्रेशन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, वर्ष लग जाते हैं, तो जो शिकायत मजदूरों की है, वह आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। केवल दो व्यक्ति हैं जो यह काम कर रहे हैं और काफी नहीं हैं। सारे राजस्थान की लेबर कोर्ट का काम जयपुर में होता है, वह खटकने वाली चीज है।

Page No 48

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम दो-तीन लेबर कोर्ट्स कायम होंगे ।

आज भी पुराना ढचरा वर्षों से चला आता है लेबर के एडिमिनिस्ट्रेशन के मामले में । राजस्थान सरकार ने कई उद्योगों को हाथ में लिया है । मैं उम्मीद करता था कि इन उद्योगों में कम से कम ह्यूमन एलीमेंट का ख्याल रखकर उनमें नये तरीके से एडिमिनस्ट्रेशन की योजनाएं बनाई जायंगी; जैसे ट्रांस्पोर्ट है, चाहे वहां कॉर्पोरेशन बन गया, मैनेजमेंट उसी तरह का दकियानूसी है जैसे ग्राम तौर से फैक्ट्रीज का होता है। जो लेबर के राइट्स को समझने वाला नहीं है, जिन्होंने लेबर में कभी मूव नहीं किया, उन लोगों को मैनेजमेंट दे रखा है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार राजस्थान के उद्योगों में जोइंट मैनेजमेंट कौन्सिल्स पूरी तरह से कायम करेगी और कम से कम उस सिद्धान्त को मान कर सरकार अपने उद्योगों में जोइंट कौन्सिल्स इन्ट्रोड्यूस करेगी । राजस्थान में केवल एक या दो उद्योगों में ये कौंसिल्स हैं । उदयपुर में जावर माइन्स में है, बाकी और कोई प्रगति इस दिशा में नहीं हुई है। जहां तक गंगानगर शुगर फैक्टरी और दूसरे उद्योगों का ताल्लुक है जोइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिल के सिद्धान्त को और ग्राबिट्रेशन के सिद्धान्त को कम से कम मन्जूर करके हमारे यहाँ के उद्योगपतियों के सामने एक आदर्श उपस्थित करेगी और राजस्थान सरकार आदर्श एम्प्लॉयर की तरह अपने आपको साबित करेगी जिससे दूसरे लोगों को रास्ता दिखा सके ।

(१. म. प.)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि हमारे एग्रीकल्चरल क्षेत्र का ताल्लुक है वहां तक हमने काफी तरक्की की है । मैं चम्बल क्षेत्र का रहने वाला हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में कृषि के बारे में जितनी तरक्की की उतनी हमें कभी आशा नहीं थी । लेकिन इसके साथ-साथ कि जहां एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई है वहां कई खतरे भी पैदा हुए हैं । इस साल हमारे इलाके में गन्ना इतनी तादाद में पैदा हुआ कि जहां यह पहले चार हजार एकड़ में पैदा होता था वहां अब यह १२ हजार एकड़ में पैदा होने लगा है। काश्तकारों को बड़ा भारी डर लगने लगा है क्योंकि इस गन्ने को पेलने के लिए कोई बड़ी फैक्टरी नहीं है जहां कि वह पेला जा सके । छोटे-छोटे कारखाने लगे हैं जिनसे उनको विशेष लाभ नहीं होता । गन्ने की कीमत और गुड़ की कीमत बहुत गिर गई है । जो फैक्टरी शुरुआत में २।।।) और २।।) में गन्ना लेती थी अब दो रुपयां में लेती है और इससे काश्तकारों को बहुत नुकसान होता है । राज्य सरकार की दृष्टि में केशोरायपाटन में एक बड़ी मिल की योजना सुनते आ रहे हैं लेकिन उसका सफल होना हमें आशाजनक नहीं लगता । यदि यह योजना इस साल में तैयार नहीं हुई और उसके बारे में निश्चय नहीं किया गया तो काश्तकारों को इससे बहुत ज्यादा दुख होगा और आगे आने वाले वर्षों में जो गन्ने की खेती बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है उसको सैट बैक मिलेगा और अनुपात में पैदावार भी कम हो जावेगी इससे काश्तकारों को बड़ा भारी नुकसान होगा ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(१.०२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी के साथ-साथ चम्बल क्षेत्र में सड़कों, रास्तों और सीपेज, ये तीन सवाल ऐसे सवाल हैं जिन पर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये। काश्तकारों को रास्तों में पानी भरा हुआ होने से रास्ते उनको साफ नहीं मिलते। उससे काश्तकार अपनी फसल को मण्डी तक लाने में बहुत दिक्कत महसूस करता है। कई जगह तो ऐसा है कि रास्तों में पानी भरा रहने के कारण, पंपियों के जरिये से खेत तक भी नहीं ला सकते हैं और कोठियां भर-भर करके गांव में लाते हैं। ये शिकायतें दो-तीन साल से चली आ रही हैं। उनकी ये शिकायतें कुछ दूर हुई हैं लेकिन इस ओर पूरी तवज्जोह नहीं दी जाती है जिससे काश्तकारों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। रास्तों की तकलीफ है, सीपेज की तकलीफ है और जहां नहरों का पानी जाकर नालों में बहता है और आज के दिनों में भी और गर्मी में भी यह हालत रहती है कि वहां से जीप भी पास नहीं हो सकती और कई मीलों का चक्कर काट कर आना पड़ता है। कई नहरों पर रास्ते नहीं हैं जिससे दिक्कत आती है; कई जगह रास्तों पर पानी भरा हुआ है सिवाय बांध के ऊपर होकर आने का रास्ता है। ज्योंही काश्तकार नहर पर आता है सिंचाई वाले उसके बैलों को नीचे ढकेल देते हैं जिससे कई गाड़ियां नहरों में जाती हैं या दूसरी तरफ गिर जाती हैं जिससे बैलों और काश्तकार को नुकसान पहुंचता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : लेबर मिनिस्टर हैं और सिंचाई मन्त्री हैं। आप किसको सुना रहे हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय मुख्य मन्त्रीजी बैठे हुए हैं सबकी बात सुनने के लिए।

इसी तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चम्बल क्षेत्र में दो साल से लैंड अलॉटमेन्ट के लिये बन्द पड़ी हुई है उसके सम्बन्ध में। जब कोलोनाइजेशन का काम बन्द हुआ तो ये ऑर्डर्स किये गये कि अब आवश्यकता नहीं है और अलॉटमेन्ट नहीं किये जायं। उस क्षेत्र में २०-२५ हजार एकड़ जमीन जो बाकायदा काश्त में लायी जा सकती थी वह आज तक काम में नहीं लाई गई और इससे सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ता है। यह आॅर्डर, मैं निवेदन करूंगा कि वैसा का वैसा ही रह गया और इसकी दुबारा जांच नहीं की। मैं उम्मीद करता हूं कि बरसात से पहले लैंड अलॉटमेन्ट चम्बल क्षेत्र में और दूसरी तहसीलों में जो बहुत जमीन पड़ी हुई है उसकी तरफ तवज्जोह दी जाकर जल्दी से जल्दी होगा जिससे भूमिहीनों को जमीन मिल सके और पैदावार भी बढ़ सके।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड अलॉटमेन्ट का जो तरीका हमने रखा है उसमें भी कुछ तब्दीली होना जरूरी है। जो गरीब हैं और भूमिहीन हैं, जिनके पास आजीविका का और कोई जरिया नहीं है उनको भी अगर आप ऑक्शन से जमीन देंगे तो उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। कम से कम जो लोग भूमिहीन हैं उनको १५ बीघा जमीन बिना किसी ऑक्शन के, वाजिब सरकारी कीमत पर उनको देना चाहिये। इसी तरह से आबादी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में भी लैंड अलॉटमेन्ट की एक बड़ी समस्या है। लोगों को घर बनाने के लिये जमीन चाहिये। कोलोनाइजेशन में आने के बाद लोगों को घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती। खातेदार टिनेन्ट का परिवार बड़ा हो जाता है तो उसके लिये जमीन नहीं। बूंदी शहर ही में जमीन मण्डी के लिये तैयार की गई थी, अलॉटमेन्ट के लिये तैयार की गई थी। म्युनिसिपल एरिया में घर बनाने के लिए जमीन चाहिये, ऐसे गरीब लोग हैं जो सस्ती जमीन खरीद कर घर बनाना चाहते हैं। अलॉटमेन्ट की आज भी व्यवस्था नहीं है और योजना रुकी पड़ी है। सड़क भी एक-आध फर्लाङ्ग बनी है लेकिन मन्डी इम्प्रूवमेन्ट की तरफ तवज्जोह नहीं है।

मैं राजस्थान सरकार का ध्यान एक और चीज़ पर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हर बार हमको हमारे इलाके में एक ही बात की शिकायत रहती है कि लोगों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती, वक्त पर हल-कूली के लिए लकड़ी नहीं मिलती, घुआली के लिये लकड़ी नहीं मिलती और सारी तहसील में किसी एक जगह के रहने वाले को एक ही जगह बताई आती है जहां से उसको तीस-चालीस मील दूर जाकर लकड़ी लानी पड़ती है। पहले यह व्यवस्था थी कि एक तहसील में तीन-चार रेन्ज बता दिये जाते थे। मान लीजिये कि पांच सौ एकड़ का कूप देना है। आप सौ एकड़ का कूप पांच जगह दे दीजिये ताकि लोग नजदीक जंगल में जाकर लकड़ी के लिए अपनी जरूरियात को पूरी कर सकें। उस व्यवस्था में बार-बार फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट गड़बड़ी करता है। वे कहते हैं कि हमारा प्लान बन चुका है, लेकिन न तो सरकार ने और न ही जिला परिषद् ने उसको एप्रूव किया है। लास्ट ईयर एक तरीका था और इस साल उसको बदल दिया। खामोख्वाह लोगों को तकलीफ देने का फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का एक तरीका बना हुआ है।

मैं एक बात पर जिस पर राज्यपाल महोदय ने तवज्जोह नहीं दी है उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाईकोर्ट की बेंच के लिये आश्वासन दिया था कि जोधपुर में वातावरण बने जिससे आपस में बैठकर बातचीत करें। वातावरण जोधपुर में बन चुका हैं। जोधपुर के एडवोकेट और अन्य लोगों को बुला कर पूछेंगे तो वे स्वयं चाहते हैं कि जयपुर में बेंच चली जाय, उनको कोई आपत्ति नहीं। मैं नहीं समझता कि अब इस पर जबकि इतना वातावरण बन चुका है विचार न किया जाय। मुख्य मंत्रीजी को इसको अपने हाथ ले लेना चाहिये और उत्तर क्षेत्र के लोग जो इस कारण से पीड़ित हैं उनके लिये हाईकोर्ट की बेंच लगा कर उनको सुविधा दिलाई जानी चाहिये, जिससे उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत काफी तरक्की पर है। जगह-जगह पर इन्डस्ट्रीज़ फैलती हुई चली जा रही हैं। लेकिन जहां तक छोटी जगहों का ताल्लुक है वे अब तक उनसे वंचित हैं।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

छोटी-सी पुरानी बूंदी एक जगह है जहां सिवाय इसके कि लोग लकड़ी काट कर ले आयें और मण्डी में जो अनाज आता है उसकी तुलाई कर लें या उसको ढो लें उसके सिवाय शहर में रहने वाले हैं उनके लिये और कोई जरिया नहीं है। नतीजा यह होता है कि महंगाई में पिसे हुए लोग और भी अधिक बुरी तरह पिसते हैं। उन पीड़ित और भूखे लोगों को किसी प्रकार के एम्लॉय-मेन्ट की बड़ी आवश्यकता है जो कि उस शहर में उनको दिया जा सके। पहले लोग राजाओं के यहां काम करते थे, बड़े-बड़े ठिकानों में काम करते थे। वहां की आबादी बढ़ गई है लेकिन रोजगार का उनके पास कोई जरिया नहीं है जिससे वह जगह तरक्की नहीं कर पाती। मैं उम्मीद करता हूं इस शहर के लोगों के लिये, आस-पास के लोगों के लिए मुख्य मंत्री महोदय एम्प्लॉयमेन्ट का जरिया तलाश करके निकालेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक हमारे विकास का संबंध है, सड़कों का संबंध है, सड़कें बनी हैं और काफी तादाद में बनी हैं। लेकिन जो रुपया सड़कों के निर्माण के किये खर्च होता है वह दो-चार साल में जाकर पूरी सड़क बन पाती है; एक तरफ पूरी बनती है दूसरी तरफ से सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। यह सुपर-वीजन की कमी के कारण होता है।

मैं एक सड़क से गुजर रहा था। मैंने देखा कि सड़क पूरी बन भी नहीं पायी, पानी की कमी की वजह से; जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार था वह पानी में खर्चा ज्यादा होगा इसलिये पानी न डालकर मिट्टी के ऊपर ही बजरी डाल कर कूट रहा था। वहां सड़क को पानी नहीं दिया गया वह इसलिये कि ज्यादा खर्चा हो जायगा। तो जहां इस प्रकार की सड़कों का निर्माण होता है उनका हाल यह होता है कि ज्योंही पूरी बनीं उधर से टूटनी शुरू हो जाती हैं। लैक ऑफ सुपरवीज़न इन कन्स्ट्रक्शन एक्टीवीटिज़ में ज्यादा है। हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। किसी भी वर्क को, फाइनेलाइज़ करने से पहले, पूरी तरह से देखा जाना चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है, प्राइमरी स्कूल्स भी बहुत खुले हैं, मिडल स्कूल्स भी खुले हैं। हाई स्कूल और कॉलेजेज़ भी खुले हैं; लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोग निकल कर आते हैं, गांवों के लड़के जो हाई स्कूल पास करके निकलते हैं, वे भी सरकारी नौकरी की तरफ जाने की लालसा रखते हैं। वे चाहते हैं मास्टर बनना या पटवारी बनना। इस तरह से हम उनको एम्प्लॉयमेन्ट नहीं दे पाते। इसलिये हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको तैयार करना होगा ताकि वे अपने धन्धे की ओर ध्यान दें, अपने कुटम्ब का पालन अच्छी तरह से कर सकें, अच्छे ढंग से खेती कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें। इस क्षेत्र की ओर हमें अवश्य ध्यान देना होगा, नहीं तो जो हजारों नवजवान स्कूलों से निकलते हैं उनको रोजगार देना हमारे लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा।

Page No 52

सुन्दर शर्मा)

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया कि यहां पर सीमेन्ट के काफी सोर्सेज़ हैं। इसमें बूंदी का नाम आया। इसके लिये राज्यपाल महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका ध्यान सीमेन्ट उत्पादन का श्रेय बूंदी को देने के बारे में जिक्र किया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इस तरह से चकमा वर्षों से देते आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनकी महानता तो इसी में है कि ये चकमा खाकर भी चकमा नहीं मानते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चकमा देने वाले और खाने वाले और ही होते हैं। न चकमा दिया जा रहा है और न हम खा रहे हैं। हम अपनी बात को स्ट्रेस करना मानते हैं। हम किसी भी कार्य को गालियां निकाल कर करवाने के आदि नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको खाने के लिये बहुत मिलता है, आप चकमा क्यों खायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सुन नहीं पाया।

श्री मोहनलाल सारस्वत (बीकानेर) : बीकानेर के लोग तो तेल लगवाते रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : तभी आपके बाल उड़ गये मालूम होते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप भी ओरीजिनली वहीं के हैं, आप तो गोद गये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान रोडवेज में सफर करने का काफी अवसर मिला है। रोडवेज़ में किस तरह का मिस-मैनेजमेन्ट है इसके नमूने भी काफी देखे हैं। इसमें इन्स्पेक्शन की कमी है, सुपरवीज़न की कमी है। देखते देखते कन्डक्टर बगैर टिकट लोगों को ले लेते हैं और उनसे रुपया वसूल करते हैं। ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिससे रोजाना ५), १०), १५) रुपये अपनी जेब में रख लेते हैं। इस पर किसी प्रकार का चैकिंग नहीं है....

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह शासन ही सारा इसी प्रकार से चल रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप बैठे रहिये। मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कांग्रेस शासन में करप्शन ही मिट गया तो शासन क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इनको रिश्वतखोरी पर दया हो रही है, उधर रिश्वतखोरी पर खेद नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो आपकी जेब में आती है ना।

इस प्रकार के तरीके निकाले जाने चाहिये जिससे यह करप्शन रुक सके। एक तो यह तरीका हो सकता है कि एक्सप्रेस

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गाड़ियां जितनी हैं वे वहीं पर जाकर रुकें जहां पर बुकिंग ऑफिस हो और वहीं से सवारी लें। जैसे यहां से कोटा बस जाती है वह चाकसू, निवाई आदि जहां जहां बुकिंग ऑफिस हों वहां रुके और वहीं की सवारी ले। एक्सप्रेस गाड़ी में बैठने वाले हैं वे वहीं से आकर बैठें। लोकल जो गाड़ी चलती है दस-दस मील, बीस-बीस, पचास मील चलती हैं उन पर चेकिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

आपने ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन बनाया मैं इस बात का हामी हूं कि इसके मैनेजमेन्ट में मजदूरों को भी हिस्सा मिलना चाहिये, मजदूरों के सजेशन्स लिये जाने चाहिये। आपने जो कोर्पोरेशन बनाया है उसमें ऐसे लोगों को लिया जो नेशनलाइजेशन के हामी नहीं हैं, बल्कि विरोधी हैं। नेशनलाइजेशन के विरोधी जो बिजनेसमैन हैं उसमें होने से कोर्पोरेशन ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके पर्सोनल्स को बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें मजदूरों और मैनेजमेन्ट के सहयोग से इसको चलाया जाना चाहिये ताकि ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन से अच्छी आमदनी स्टेट को मिल सकती है।

मैं और ज्यादा समय न लेता हुआ, मेरी यह निश्चित राय है कि राजस्थान निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है और जिस शान के साथ कर रहा है उससे लोग-बाग चौकन्ने हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जायेंगे तो हमारा यह निश्चित मानना है कि हम समाजवाद को लाने में अग्रणी रहेंगे। समाजवाद केवल नारों से नहीं आता; इसके लिये लक्ष्य होना चाहिये, निश्चित योजना होनी चाहिये और राजस्थान एक निश्चित योजना को लेकर इस ओर अग्रसर हो रहा है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को सुख और सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर यह कहा है कि हमने काश्त के अन्दर काफी प्रगति की है, अन्न की पैदावार में काफी तरक्की की है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अन्न के उत्पादन में यदि वास्तव में तरक्की की होती तो आज अन्न का संकट हमारे सामने नहीं होता। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अन्न की कमी की वजह से आज त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस कमी का कारण यह है कि आधुनिक तरीके से जो खेती का तरीका अपनाया जा रहा है उसमें हम सफल नहीं हो सके हैं। क्यों नहीं सफल हो सके हैं, उसका कारण यह है कि वी. एल. डब्लूज़ जो गांवों में आपने रखे हैं वे नाम-मात्र के होते हैं। वे अपनी तरफ से कुछ भी ट्रेनिंग नहीं देते, मौज उड़ाते-फिरते हैं। वे किसी भी प्रकार से दिलचस्पी खेती में नहीं लेते हैं।

वैसे राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी है। मैं जयपुर जिले के बारे में

Page No 54

(श्री नाथूलाल करोल)

ही अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं है। लोग-बाग कुंओं पर निर्भर रहते हैं। यहां पर सिर्फ कुंओं से सिंचाई होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंए बनाने के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता है। राज्यपाल महोदय ने भी कहा है कि हमारे पास सीमेन्ट की काफी गुंजाइश हो गई है। पर फिर भी जयपुर जिले में सीमेन्ट का अभाव है जिसके कारण कुए नहीं बन सके। मोरेल बान्ध के आसपास के इलाके में बने कच्चे कुंए बरसात में पानी अधिक आने के कारण और सीमेन्ट के अभाव में पक्के नहीं बना सकने के कारण ढह गये जिसका असर अन्न उत्पादन पर बहुत बुरा पड़ रहा है। सीमेन्ट न मिलने के कारण किसान त्राहि त्राहि कर रहा है इस इलाके का। इनमें अधिकतर आदिवासी हैं और उनको इसके सिवाय और कोई आमदनी और जीवन-निर्वाह का जरिया भी नहीं है। कुंए से पानी नहीं मिलने से रबी की फसल से भी वे वंचित रह जाते हैं।

इसी तरह से चाकसू तहसील के मोरल नदी के दोनों साइडों पर भी जो कच्चे कुए बने हुए थे, उनकी भी यही दशा हो गई है।

जयपुर जिले में जहां कुंओं के सिवाय और कोई नहर वगैरह की सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां सीमेन्ट बहुतायत से मिलती रहनी चाहिये, ऐसा प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये और फिर इनको बिजली भी मिलनी चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि गेहूँ की रेट, जौ, चने की रेट न्यूनतम मुकर्रर कर दी हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि जब आप मिनिमम (न्यूनतम) रेट मुकर्रर करते हैं तो मैग्ज़िमम (अधिकतम) क्यों नहीं करते हैं? इससे किसानों को राहत मिलेगी; नहीं तो क्या होगा, फसल का मौका है, वोहरे लोग कम कीमत पर उनसे अनाज लेंगे और किसान को ठीक पैसा नहीं मिल पावेगा।

राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि अनाज बाहर भेज देंगे अगर फसल अच्छी हुई तो, जैसा कि अच्छा होने के आसार हैं। इसके लिये मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अनाज बाहर भेजना बन्द कर दिया जावे पर यह सोचने की बात है कि इस समय बाजारे की रेट बाजार में ५५-५६ रुपया क्विन्टल है और जौ की ६०)। ये काफी ऊंचे भाव हैं। अगर आप इनकी रेट नीचे गिराना चाहते हैं तो इस साल भी ¼ हिस्से से अधिक निकासी न किया जावे और जितना पहले निकासी की उतने ही परमिट इस बार भी जिये जावें।

बाजार में आपने गेहूं की सफेद की कन्ट्रोल रेट ६४) रखी है और लाल की ५३) पर जब जौ ६१) में बिकता है तो समझ में नहीं आता ६४) में गेहूँ कहां से मिल जावेगा। इसलिए या तो इस गेहूं के कन्ट्रोल को तोड़ दीजिये या जौ, बाजरा आदि की रेट कम करिये ताकि गेहूं इस रेट पर

Page No 55

(श्री नाथूलाल करौल)

बाजार में आए। नहीं तो फसल के समय भी गेहूँ मिलना मुश्किल हो जावेगा।

अन्न उत्पादन के लिये सीमेन्ट के साथ साथ तकावी लोन भी जयपुर जिले काफी दिया जावे।

दूसरा पोइन्ट यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि रबी की फसल अच्छी होने वाली है और खरीफ भी अच्छी हुई है। मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि खरीफ की फसल उतनी नहीं हुई जितनी दो साल पहले हुई थी। और जो रबी की फसल आने वाली है वह भी दो साल पहले जैसी नहीं होगी। सांगानेर, बस्सी तहसीलों में काफी ओलों के पड़ने से फसल चौपट हो गई है। अब इसके लिए कलक्टर ने फरमाया था कि गिरदावरी करने के बाद इनका लगान माफ कर दिया जायगा और उनको राहत भी दी जावेगी। मैं राजस्व मन्त्रीजी से और मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इन तहसीलों में बहुत से किसानों के एक दाना भी पैदा नहीं हुआ है ऐसी हालत में उनका राजस्व कतई माफ किया जावे। सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जो ओलों से प्रभावित हुए हैं और जिनमें अन्न का दाना भी पैदा नहीं होगा।

तीसरी बात राज्यपाल महोदय ने यह कही कि हमने यहां बिजली की काफी प्रगति की है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने और जगहभले ही तरक्की की हो बिजली में, पर हमारे यहां, सांगानेर आदि जयपुर के आसपास के दस मील के एरिया में आज तक बिजली नहीं लग सकी है। काफी कोशिश हो रही है, कहते हैं खम्भे भी लग गये लाइनें गड़ गई पर बिजली नहीं दी गई। तो इस दस मील के एरिया में बिजली जल्दी दी जावे और खासकर काश्तकारों की कुंओं पर दी जावे ताकि अन्न बढ़े केवल कुओं वालों को दी जावे, मकान वालों को नहीं। जयपुर जिलों में कुंओं के ही साधन से सिंचाई होती है। आज तक भी पुराने तरीकों से लाव–चड़स से पानी निकालते हैं जिससे मुश्किल से दस बीघा कच्ची और पांच बीघा पक्की में ही सिंचाई हो सकती है अधिक में नहीं। तो बिजली का साधन किसानों को जल्दी से जल्दी दिया जावे ताकि वे अच्छी खेती कर सकें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि हमने माइनिंग डिपार्टमेंट में तरक्की की है। पर हमारे जयपुर जिले में कोई भी माईनिंग का काम ऐसा नहीं पनपा है जिसकी वजह से दस-बीस हजार मजदूरों को रोजी रोटी मिल सकी हो। इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि यहां पर भी ऐसा धन्धा खोला जावे कि जिससे दस-बीस, पांच-पच्चीस हजार मजदूरों को काम मिल सके और रोजी वे आसानी से कमा सकें।

राज्यपाल महोदयने अपने अभि भाषण में पंचायतों के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा। ये चुनाव इतने भारी और मंहगे पड़े हैं जितने जनरल

(श्री नाथूलाल करौल)

इलेक्शन भी नहीं पड़े । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि एम० एल० एज० के चुनावों के साथ साथ इन पंचायतों के प्रधानों का चुनाव भी करा दिया जावे ताकि खर्चा कम पड़े । नहीं तो आज तो एक एक पंच को पकड़ने में हजार-हजार रुपया लोगों का लग गया । एक एक पंच को पकड़ पकड़ कर ले जाय गया और हजारों रुपये खर्च हुए हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला है । इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से नम्र निवेदन है कि पंचायत चुनावों का तरीका बदला जावे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): नतीजा नहीं निकला उसी की फिक्र हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री नाथूराम करौल : मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह चुनाव पद्धति खर्चीली बहुत है । इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि जनता द्वारा ही प्रधान का, एम० एल० ए० का और दूसरे सभी चुनाव साथ साथ हो जायें तो सबसे ज्यादा अच्छा हो । इससे राज्य सरकार का भी खर्चा बचेगा और फिर जो सदस्य चुनावों में खड़े होते हैं उनका भी खर्चा बचेगा । इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है ।

इतना ही कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो राज्यपाल महोदय के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका विरोध करते हुए यह कहूंगा कि जयपुर जिले में सिंचाई के साधन में तरक्की की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सत्र का उद्घाटन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया उस सारे अभिभाषण को सुनने और पढ़ने के बाद कहीं यह महसूस नहीं होता कि इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार की जो नीतियां हैं, उनको कायम करने के जो तरीके हैं, उनका इसमें दिग्दर्शन किया गया हो ।

उन्होंने सबसे पहले आदरणीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू का नाम लेते हुए एक बहुत बड़ी बात का जिक्र किया है और वह जिक्र उन्होंने अपने पहले पेज पर किया है कि हम हमारे देश में इस तरह की अर्थ-नीति स्थापित करना चाहते हैं कि जिससे देश के अन्दर समाजवादी समाज की स्थापना कर सकें । यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है । जो सरकार को चलाने वाली पार्टी अपने को सरकार मानकर चलना चाहती है पर जहां इस तरह की बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं है और मैं समझता हूं कि उन्होंने यानी राज्यपाल महोदय ने समाजवाद के ऊपर जो एक साहित्य लिखा है वह खुद इस समाजवाद से बहुत बड़े पंडित कहलाये जाते हैं, उन्होंने अपने इस सारे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

भाषण में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि राजस्थान की सरकार ने या हिन्दुस्तान की कांग्रेस की सरकार ने अपने इन १७ सालों के इतिहास में समाजवाद देश में कायम करने के लिए यह कदम समाजवाद की ओर बढ़ाये हैं। जैसा कि वह खुद अपने साहित्य में लिख चुके हैं। यहां पर यह कहा गया कि इस तरह की अर्थनीति हम देश में पैदा करें कि जिसके आधार पर देश में समाजवादी समाज कायम हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने अपने इन १७ सालों में या जो साल बीत चुकि है, उस साल में इस तरह की अर्थ व्यवस्था हमारे इस प्रान्त में कायम करने की कोशिश की कि जिससे आर्थिक असमानता, जो हमारे प्रान्त के लोगों में फैली हुई हैं, उसको मिटाया जा सके? क्या सरकार ने एक कदम भी समाजवाद की तरफ बढ़ाया है? इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात को जानता है कि इस सरकार ने न केवल इस समाजवाद को दूर हटाने की कोशिश की बल्कि हमारे इस प्रान्त के अन्दर इस सरकार ने पूंजीपतियों को इस हद तक आगे बढ़ने और अपनी पूंजी को बटोरने की इजाजत दी है कि जिसके आधार पर आज देश के अन्दर और हमारे प्रान्त में भी यही कहा जा सकता है कि यहां पर स्पष्ट दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो गरीबों का वर्ग है और दूसरा अमीरों का वर्ग है। इन पिछले १७ सालों के इतिहास में गरीब लोग बहुत गरीब होते जा रहें हैं और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। उसका एक मात्र कारण यही है कि हमारी सरकार की आर्थिक नीति इतनी खराब है और इस तरह से गलत है कि हम समाजवाद की ओर न बढ़कर पूंजीवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसका नमूना यह है कि हमारे यहां पर राज्यपाल महोदय ने भी कुछ उद्योग-धन्धों के लगाने का जिक्र इस भाषण में किया है। कोटा में कुछ उद्योग लगेंगे, किशनगढ़ में कुछ उद्योग लगेंगे, उदयपुर में कुछ उद्योग लगेंगे, भीलवाड़ा में भी कुछ उद्योगों के लगाने की बात कही गई है। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ये उद्योग एक व्यक्ति ने लगाये हैं या समाज के कुछ लोगों के समूह की तरफ से सरकार ने किसी उद्योग को लगाने की चेष्टा की है। जितने उद्योगों का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक सेक्टर में लगाया गया हो। सारे के सारे उद्योग प्राइवेट सेक्टर में लगाये गये हैं। प्राइवेट सेक्टर का ही अगर हो तो भी मैं मान सकता हूं लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मुझे बहुत लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि यह बेशर्म सरकार उन पूंजीपतियों को जो कि पहले से ही करोड़पति हैं उनको ज्यादा पैसा देकर यहां शोषण करने के लिए हमारे राजस्थान के गरीब प्रान्त में लाकर बसा रही है और उनको सारी इन्डस्ट्रीज़ का मालिक बनाया जा रहा है और गरीबों का शोषण करने की छूट दी जा रही है।

उसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र के ३२ संस्थानों ने राज्य सरकार के कहने से

Page No 58

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गत वर्ष श्रमिकों को ५ रु० मासिक मंहगाई भत्ते में वृद्धि, अन्तरिम सहायता के रूप में, दे दी है। मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सारे के सारे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स जो कि राजस्थान में हैं और जो सारे मजदूरों का शोषण करते हैं उन सब लोगों ने ५ रु० क्यों नहीं दिये ? इसके अलावा यह राज्य सरकार जो अपने अण्डर में कारखाने चलाती हैं भीलवाड़ा का टैक्स-टाइल मिल है वहां के मजदूर है, उनको भी ५ रु० का भत्ता सरकार ने नहीं दिया, तो किस आधार पर कह सकते हैं कि हम समाज-वाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं और हमारी नीति समाजवाद की अर्थ नीति है। ये सारी बातें साबित करती हैं कि इनके कहने के लिए लोकतंत्रीय समाजवाद का नारा है और करने के लिए पूंजीवादी इनके तरीके हैं और उस तरफ यह सरकार बराबर बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि जैसा राज्यपाल महोदय ने इस भाषण में तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो हमारे आधार थे, जो हमारे आंकड़े थे और जिस आधार पर हम पहुंचना चाहते थे उसके बारे में इतना ही कहा है कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इतना ज्यादा अनाज पैदा करने की बात कही है, इतनी ज्यादा तिलहन पैदा करने की बात कही है, इतनी ज्यादा कपास की गाठें पैदा करने की बात कही है; लेकिन इस भाषण में यह नहीं कहा कि इस अर्से में हमने इतना अनाज ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है, इतना कपास कर लिया है और इतनी तिलहन कर ली है। सारे भाषण को अगर उपाध्यक्ष महोदय, ठीक ढंग से मुंला-हिजा किया जाये तो यही लिखा गया कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ है, यह बात कहीं भी नहीं लिखी है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह भाषण राज्यपाल महोदय ने इस सदन में दिया है—चाहे सरकार ने उनको डिक्टेट करके यह बात कही हो, लेकिन राज्यपाल महोदय जैसे विद्वान् आदमी के द्वारा इस तरह की भ्रमात्मक बातें हमारे प्रान्त की जनता के सामने रखी जायें कि जिसके पीछे कोई तथ्य न हो-किया गया क्या है वह कुछ भी नहीं है। मैं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इन्हीं के भाषण में कुछ बातें आपके सामने करना चाहता हूं। जहां राज्यपाल महोदय ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के आधार में यह कहा है कि हमने सहकारिता के आधार पर राजस्थान के अन्दर ६७ प्रतिशत ग्रमीण परिवार हैं, उनको सहकारिता में लाना चाहते थे और उसी पैराग्राफ में यह कहा है कि हमने जो आधार तय किया था हम उस आधार पर पहुंच गये हैं और उन्होंने आगे जिक्र किया है कि हमने इस सहकारिता में इतनी कामयाबी हासिल की है; उसमें उन्होंने लिखा है कि हम सिर्फ ३७ प्रतिशत आदमियों को इस सहकारिता के अन्दर ला पाये हैं; तो मैं नहीं समझता कि ये आंकड़े राज्यपाल महोदय को कौन से सेक्रेटरी साहब ने दिये हैं, किस डिपार्टमेंट ने दिये हैं और उनसे यह कहलाया गया हैं एक जगह कि वे ६७ पर्सेन्ट लोगों को सहकारिता के अन्दर लाना चाहते हैं और यह भी कहलवा दिया कि हम उन आंकड़ों पर पहुँच रहे हैं और आगे जाकर यह बताया कि हम सिर्फ ३७ पर्सेन्ट तक ही पहुँचे हैं, उसको प्राप्त कर सके हैं, यह झूठी बात क्यों उनसे सदन में

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

कहलाई गई ? उनके भाषण में एक जगह तो ३७ पर्सेन्ट की वात कही जाती है और दूसरी जगह ६७ पर्सेन्ट की वात कही जाती है।

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में, अनाज की पैदावार के बारे में कहा जाता है कि हम इतने हजार टन ज्यादा पैदा करेंगे। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने गये बजट सैशन पर जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा है और साफ तौर से मन्जूर किया है कि लगातार दो साल तक खेती की उपज में कमी आई है उसका लाजमी असर कीमतों पर पड़ा है। तो एक तरफ तो राज्यपाल महोदय अपने भाषण में कहते हैं कि हमने पैदावार के जो लक्ष्य तय किये हैं उस तक पहुँच रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर कहते हैं कि दो साल से बराबर हमारी पैदावार कम होती जा रही है। हमारे जो कृषि मंत्री नाथूरामजी साहब मिर्धा हैं उन्होंने फूड डिबेट में गये, सत्र में, यहां पर यही कहा था कि हमारा जो प्रोडक्शन हम चाहते थे उसमें ६ हजार टन की कमी इस राजस्थान में इस साल के अन्दर हुई है। तो मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को कहना चाहता हूं कि × × × नीति नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य के भाषण का यह अंश, उपाध्यक्ष महोदय, this is a reflection on the Governor......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : प्रक्रिया और कार्य-संचालन के कौन से नियम के तहत यह पोइंट ऑफ ऑर्डर है ?

This is no point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सारी स्थिति उनके सम्मान पर विपरीत असर डालने वाली है; इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह भाषण उनका यहां से डिलीट किया जाय और माननीय सदस्य को आगाह किया जाय कि वे गवर्नर महोदय के सम्मान में इस तरह से न बोलें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का वह अंश जिस अंश को सही नहीं माना जा रहा है और सही नहीं है, वह राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है और मैं माननीय मंत्री महोदय की बात की दाद देता हूं कि उन प्रतिकूल बातों को उनके अभिभाषण से निकाल दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो सम्माननीय अंश हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारा वाद-विवाद में, जैसी हमेशा की परम्परा रही है, राज्यपाल

× × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय के बारे में श्रद्धा ही व्यक्त की जाय और उनके नाम को और तरह इसमें न लाया जाय। इसके अलावा जितने अभी माननीय सदस्य ने उद्गार व्यक्त किये हैं जिसमें यह कहा है कि + + + + इत्यादि तो विशेष रूप से उस स्थल को एक्सपन्ज किया जाता है। और मैं यही आशा करता हूं कि हमारा वाद-विवाद, वाद-विवाद का जो विषय है, उस तक ही सीमित रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है इस बात पर। माननीय सदस्य ने जितनी भी बातें माननीय राज्यपाल महोदय के बारे में कही हैं वे निहायत आदर के साथ कही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि + + + +

श्री उमरावसिंह ढाबरिया + + + + तो इसमें क्या गलत है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जिस रेफरेन्स में कहा गया वह गलत है। And he is now canvassing the ruling, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : + + + + उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह तथ्यपूर्ण बात है।

श्री उपाध्यक्ष : जो रेफरेन्स है उसकी दृष्टि में यह कहा गया वह गलत है। अब आप प्रारम्भ रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Ruling has been given in this respect.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके सामने यह निवेदन कर रहा था उसके आंकड़े के आधार पर जो अभिभाषण के अन्दर दो जगह छपा है वह भी जरा पढ़ लें। आंकड़े—वांकाड़े तो उनकी समझ में आते नहीं हैं, आंकाड़ों की बात इसलिए आप सही समझते हैं या नहीं समझते हैं, यह मैं नहीं कह सकता। उनकी बात बिल्कुल इसलिए निराधार है। इन्हीं आंकड़ों में से मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है, जैसे सहकारिता के बारे में एक जगह ६७ पर्सेन्ट है और दूसरी जगह ३७ पर्सेन्ट है, तो कौन सा सही है, मन्त्री महोदय पढ़कर बता दें खड़े होकर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भी सही है, वह भी सही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सही नहीं मानें उस पर एतराज करने के लिए खड़े हों। मैं आपके द्वारा बहुत इज्जत के साथ माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह से भाषण में दखल करने की कोशिश की जायगी तो जब आप बोलेंगे तो

+ + + + अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 61

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एक सैकण्ड के लिए भी नहीं बोलने दिया जायगा। जो सही है उसको सही मानें यह आपके लिए लाजमी होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : आप चिन्ता मत करिये। वे कभी नहीं बोलेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अब इसके आगे मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय से जो इस प्रांत की....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब बोलेंगे तो कफन फाड़ कर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ....सबसे बड़ी आवश्यकता के ऊपर उनका जोर अभिभाषण में दिया है वह यह दिया है कि हमारे देश में मंहगाई चरम सीमा तक बढ़ती चली जा रही है और इसका कारण हमारे देश में अनाज की कमी है, हमारे प्रांत में जो अकाल पड़ा है उसका भी उन्होंने कारण बताया है कि उस कारण से भी हमारे प्रांत में मंहगाई बढ़ी है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा सरकार को और माननीय राज्यपाल महोदय को यह कहना चाहता हूं कि आपके इस अभिभाषण में ये दो बातें तो आपने बता दीं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे यहां अकाल पड़ा है, पर कहीं यह नहीं बताया हैं कि इस सरकार ने जो कि यह सरकार इस मामले में हमारे जो फूडग्रेन्स के प्राइसेज़ है उनको कन्ट्रोल करने में नाकामयाब रही है, उस नाकामयाबी के क्या कारण थे, वह इस अभिभाषण में कहीं भी उन्होंने नहीं बताया है। और कितने आदमी हमारे राजस्थान के अन्दर ऐसे है जो कि इस महंगाई के कारण एक टाइम पेट भरते है और कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भूखे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि मौत के घाट उतर गये हैं। उनका कहीं इस अभिभाषण के अंदर जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की, जैसा कि इसके अंदर बताया गया हैं कि, हमारी नीति कितनी फूडग्रेन्स के मामले में ढिलमिल रही हैं, मैं उसको ढिलमिल नीति नहीं कहता, बल्कि सरकार को वह इसलिए लेनी पड़ी है कि इस अर्से में दो बार चुनाव हुए हैं इसलिए उनके वोटों के खातिर हमारे फूडग्रेन्स लाइसेन्स के अन्दर बार बार तरमीम करके हमारे यहां नाज की समय समय पर पूंजीपतियों को स्टोर करने की जो छूट दी गई और जब पूंजीपतियों ने नाज इकट्ठा कर लिया तब उसको बाहर निकालने के लिए उनको लाइसेंस दिये गये।

(व्यवधान)

और इस प्रांत के अन्दर गरीब लोगों को जो कि मोटा अनाज खाते हैं उनको भूखों मरने के लिए पाबन्द कर दिया और इस सरकार के मिनिस्टरों ने गलत नीतियां अपना कर लोगों के वोट हासिल करने के लिए, पूंजीपति और फूडग्रेन्स के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे चन्दा लेने के लिए, उनकी तिजोरियों को गरीब लोगों के खून से पैसों के रूप में भरने के लिए इस सरकार ने छूट दी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, आपका यह कहना कहां तक ठीक है कि आपने यह जो कहा है कि वोट लेने के लिए यह किया गया है; तो वोट तो व्यापारियों के थोड़े ही हैं। उनके तो बहुत कम वोट थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): पांच-पांच सौ आदमियों को खिलाया कहां से ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन–तीन सौ ट्रक चले वे किसके थे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात मेरे लिए पैदा कर दी कि मैं हाउस के सामने यह भी बताने के लिए मजबूर हो जाऊं कि किस तरह से पैसे वाले लोगों से यह सरकार पैसा और वोट लेती है। यह भी मुझे कहना पड़ेगा। भीलवाड़ा में संसद के लिए चुनाव हुआ। गुलाबपुरा के व्यापारी को मक्का का लाइसेन्स इसलिये दिया गया कि वह व्यापारी किसानों को उधार पैसा देता था और किसान उसके अधिकार में थे; इस कारण से किसानों के वोट उनको मिल सकते थे, इसलिये उसको मक्का का लाइसेन्स दिया गया....

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलत है

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनके द्वारा वहां के गरीब लोगों के वोट यह कांग्रेस सरकार ले कांग्रेस के केन्डिडेट के लिये, इसलिये ये सारी बातें की गई। इसलिये यह पैसा और वोट का बहुत बड़ा संबंध है और जब तक यह भ्रष्ट सरकार रहेगी तब तक यह संबंध दिन दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा।

आज हमारी पंचायत इलेक्शन का नतीजा बताता है कि जो पंचायतों के चुनाव हुए वे सारे के सारे वोट पैसों से खरीदे गये, किसी ने ये वोट मर्जी से नहीं दिये। राजस्व उप-मंत्रीजी मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मैं पूछता हूं, यदि आप भी हरिभाऊजी की तरह ईमानदार हैं तो आगे आवें। आपने दो महीनों तक कोई सरकारी काम–काज नहीं किया और चुनाव में लगे रहे और ऊपर से टी. ए., डी. ए. अलग लिया....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : गलत है, कोई टी. ए., डी. ए. नहीं लिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई....

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो लोग अपने आपको ईमानदार कहलाने की बात कहते हैं वे कितने भ्रष्ट हैं और कितने....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप कितने भ्रष्ट हैं, यह तो जनता ने पहचान लिया; तभी तो पंचायत चुनाव में वोट नहीं दिये।

Page No 63

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये पंडित जी बोल रहे हैं मेरी ताईद में, क्योंकि राजस्व मंत्रीजी की तलवार उनकी गर्दन पर चली, इसलिये ताईद में बोलते हैं। उनका केन्डिडेट गंगापुर में हार गया और मंत्रीजी का केन्डिडेट उनकी छाती पर बैठा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका क्या हुआ ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो बातें इसमें कही गई हैं वे सारी की सारी बातें यदि मन्त्री महोदय कहते, उनके सरकारी लोग अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में छापते तो मैं कहता कि शायद ठीक होंगी, लेकिन राज्यपाल महोदय के मुंह से इस तरह की बातें कहलाना हमारे सदन के लिये अपमानजनक है।

जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है, किसानों को सुविधाएं देने का सवाल है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं, इस आधार पर बोल रहा हूं।

यह रिपोर्ट १९६४ में ईरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से माननीय सदस्यों को दी गई थी जिसके अनुसार माइनर ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स तीसरी पंच वर्षीय योजना में बनाने थे उनका टोटल नम्बर ११२ दिया है और उनमें ४ करोड़ २८ लाख रुपये इस सरकार को खर्च करने थे। क्या इस भाषण में कहीं भी यह बताया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के चार साल समाप्त हो गये,इस अर्से में उन ४ करोड़ २८ लाख रुपये में से इतने करोड़ और इतने लाख रुपये माइनर ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स में खर्च किये और ११२ वर्क्स के जो आंकड़े दिये हैं उनमें से कितने माइनर ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन चार सालों में पूरे किये ? मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा प्लानिंग, जैसा कि स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता कहा करते हैं, ओवर एम्बिशियस प्लानिंग है, उसका आधार काम से नहीं है। मै यह कहना चाहता हूं कि सरकार स्वतन्त्र पार्टी के कथन को सच्चा साबित करना चाहती है, सही मानती है इसलिये गलत प्लानिंग हमारे सामने रखते हैं। मैं पूछता हूं प्लानिंग मिनिस्टर अपने जवाब में कहें कि उन ११२ में से कितने प्रोजेक्ट्स तैयार किये और उनसे कितना रिटर्न हुआ व कितनी जमीन ईरिगेट हुई और कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : जरूर बतायेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है वह तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि किसानों की हालत अच्छी नहीं होती। किसानों की हालत कैसे अच्छी हो सकती है ? आपका एग्रीकल्चर का प्लान पूरा नहीं है। जितनी जमीन उनको एलॉट करनी चाहिये वह एलॉट नहीं की गई है। किसानों को सही रूप में मुआवजा नहीं मिलता है। उनको तकावी समय समय पर नहीं मिलती है और उनको सारे दिन

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

तहसील में या एस. डी. ओ. व कलेक्टर के यहां अपने मुकदमों के लिये घूमना पड़ता है और समय खराब करना पड़े तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा ?

जो रेवेन्यू उप-मन्त्री हैं कानून के माहिर, उन्होंने टिनेन्सी एक्ट में तीन साल में कितने रद्दोबदल किये हैं और जो रद्दो-बदल किये हैं उनको किसान नहीं समझ सकते। क्यों कि राजस्थान के किसान अनपढ़ हैं, बहुत कम प्रतिशत पढ़े-लिखे हैं इसलिए उनको समय समय पर टिनेन्सी एक्ट में किये गये परिवर्तनों की जानकारी नहीं है और उनकी अनजानकारी के कारण जो लोग वकालत करनेवाले हैं या सेठ व जमीदार लोग हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए किसानों के विरुद्ध कानून में अमेन्डमेंट किये गये हैं। यही कारण है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, बल्कि बराबर कम होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण में अकाल का जिक्र किया गया। अकाल इस प्रांत में जरूर पड़ा और उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ काम करने की कोशिश की, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अकाल किस जगह पड़ा और किस जगह नहीं—उसकी घोषणा की गई उसमें भी पक्षपात किया गया। उसकी मैं एक नजीर सदन के सामने रखना चाहता हूं। आसीन्द तहसील के जिन गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि डिस्ट्रिक्ट में अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने वाले जिन तीन गांवों को घोषित किया गया उनमें एक गांव आसीन्द तहसील का वह भी शामिल है जिसको अकालग्रस्त गांव भी घोषित किया गया है। यह सरकार की नीति है। जो गांव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अधिक होने के कारण इनाम पाये, पंचायत समिति, जिला परिषद और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जिस गांव को अधिक प्रोडक्शन के लिये इनाम दिया, उसी गांव को सरकार ने अकाल-ग्रस्त घोषित किया और जहां-जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ और जहां वास्तव में अकाल की हालत थी उनको अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। यह राजनैतिक आधार पर बात करती है सरकार। यह सरकार राजनीतिक जीवन को भ्रष्ट बनाने वाली बात करती है।

यही नहीं, जो आंकड़े शिक्षा के मामले में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिये गये हैं उनके मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने हमारी एज्युकेशन में बढ़ोत्तरी की है, उन्नति की है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। पर एक बात कहना चाहता हूं। जहां ६ से ११ साल के बच्चों और ११ साल से १४ साल के बच्चों के पढ़ने का अनुपात है उसमें बढ़ावा हुआ है, लेकिन १४ से १७ साल के लड़कों का अनुपात है उसमें कमी हुई है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे प्रांत के लोगों की आर्थिक हालत अपने बच्चों को हायर एज्युकेशन देने लायक नहीं है।

वे लड़के ऊंचे स्कूलों के अन्दर, ऊंची

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

क्लासों में जाकर, इन बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जो कॉलेज आपने शहरों में स्थापित कर रखे हैं उन गरीब जनता के पैसे से, उन गरीब लोगों से टैक्स लेकर, उन कॉलेजों में और उन यूनिवर्सिटियों में गरीब आदमियों के लड़के ज्यादा तादाद में नहीं पढ़ सकते। यही एक कारण है, जो इस अभिभाषण को पढ़ने से जाहिर होता है, जो आपने इस किताब में आंकड़े दिये हैं उनसे जाहिर होता है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपका जो प्लान है, आपकी जो निति है, जो बात आपने इस पैराग्राफ में कही है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर और कहा है कि हम उनके अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में देश के अन्दर इस तरह चलना चाहते हैं, ऐसी आर्थिक नीति को लेकर चलना चाहते हैं जिससे हमारे प्रान्त में, हमारे देश में समाजवादी समाज व्यवस्था और वह भी लोकतांत्रिक आधार पर स्थापित की जा सके।

अब लोकतंत्र की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह सरकार लोकतंत्र के आधार पर राज्य चलाने की बात कहती है; मैं नहीं समझता लोकतंत्र किसको कहा जाता है? शायद इनका लोकतंत्र उस सीमा तक बराबर सीमित है जो कि पाकिस्तान में अयूब ने लोकतंत्र कायम करते वक्त, जिस तरीके को और जिस नीति को अपनाया था, उसने अपने आपको जिताने के लिए पाकिस्तान में कहा था—अगर तुम मुझे यहां का राष्ट्रपति नहीं बनाओगे तो मैं इस देश में मिलिट्री शासन वापिस कायम कर दूंगा। वही नीति हमारे यहां इन ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले इन अट्ठारह मिनिस्टरों की रही बराबर। इन्होंने गांवों में जाकर यह कहा अगर तुम कांग्रेस के लोगों को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे यहां पर विकास के काम नहीं होंगे, तुम्हारे यहां पर स्कूल नहीं खुलेंगे, तुम्हारे यहां पर जो काम हो रहे हैं वह बन्द हो जायेंगे और अगर कांग्रेस के लोगों को वोट दोगे तो तुम्हारे यहां पर काम हो जायेंगे। यह जो तरीका है, यह बिल्कुल वही तरीका है, वही एकतंत्रीय शासन का तरीका है जो पाकिस्तान में अयूब ने कायम किया था। आपने पंडित नेहरू का नाम लिया है। इससे पहले आप गांधीजी के नाम को लेकर कमाते और खाते रहे, अपनी कुर्सियों को बचाते रहे। अब पंडित नेहरू के नाम को लेकर अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को ढकना चाहते हो, उस पवित्र नाम को लेकर, उसकी छत्रछाया में, अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को दबाने की कोशिश मत करो। उस नाम को कायम रखने की कोशिश करो।

कल रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने और इस सदन के सामने रतनगढ़ में जो घटनायें घटीं, चूरू में जो घटनायें घटीं, नीम-के-थाने में जो घटनायें घटीं—उनके बारे में कहा था। ये सारी घटनायें जो हमारे राजस्थान में हुई हैं, ये सारे काम जो हमारे राजस्थान में हुए हैं—वे साबित करते हैं कि शासन चलाने वाले ये लोग, अपने जो राज्य

(श्री उमराव सह ढाबरिया)

कर्मचारी हैं, चाहे वे पुलिस वाले हों, चाहे कलेक्टर हों या एस. डी. ओ. हों या तहसीलदार हों—उन लोगों को भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार यह लोग करते हैं उनका सही प्रमाण अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फाइलों से दिला सकता हूं। जो राज्य की काम करने की फाइलें हैं उन फाइलों में सरकार के जो विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यह काम नहीं करना चाहिए। फिर भी चूंकि मंत्री महोदय चाहते थे कि लोगों को पैसा मिले। एक तरफ सरकार यह प्रचार करती है कि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट खरीदे जायं इसलिए कि उस पैसे से नेशनल डेवलपमेंट होता रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो इस तरह की बात कही थी उसकी इसके द्वारा अवहेलना होती है। जो देवस्थान विभाग नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट खरीद कर रखे थे तीस लाख रुपये के और वह तीस लाख रुपया नेशनल डेवलपमेंट में काम में आ रहा था वह सिर्फ एक आदमी को मिल खोलने के लिए देने से लिए विदड्रॉ किया गया। और नेशनल डेवलपमेंट के काम में आने वाला वह तीस लाख रुपया एक आदमी को अपना डेवलपमेंट करने के लिए, गरीबों का शोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मील खोलने के लिए दे दिया गया; वह नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट का पैसा एक पूंजीपति को दे दिया गया। फिर आप कहते हैं कि हम तो एक आर्थिक ढांचा समाजवाद के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं। वह कौनसा ढांचा है—यह मेरी समझ में नहीं आया। जिस राज्य के अन्दर मजदूर दुखी हैं, जिस राज्य के अन्दर राज्य का छोटा और बड़ा कर्मचारी दुःखी है, राज्य का पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी दुःखी हैं, जिस राज्य के अन्दर विद्यार्थी दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं और यहां पर बैठे रहने वाले लोग दुखी हैं, पत्रकार लोग दुखी हैं और इस राज्य की पूरी जनता और किसान दुखी हैं, उस राज्य के लिए किस तरह कहा जा सकता है कि वह इन्साफ और ईमानदारी का राज्य है ?

यह सरकार जो हैं, एक तरफ तो यह कहती है कि हमारी आर्थिक हालत खराब है, हमारे इस प्रान्त की आर्थिक हालत खराब है, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि जो साल हमारा बीता है वह साल राजस्थान के लिए आर्थिक परीक्षा का सा साल था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो—तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बात कही कि हमारी आर्थिक हालत खराब है, मैं उस सरकार से इस प्रान्त की आर्थिक हालत के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह यह निकम्मी सरकार टैक्स लगाती जा रही है किसान और मजदूरों के ऊपर, लेकिन ६५ लाख रुपये यह सरकार उन मोटर मालिकों से इकट्ठे नहीं कर सकती, जो कि मोटर मालिकों में पैसेन्जर टैक्स का ६५ लाख रुपया बकाया है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अब नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बड़े बड़े उद्योगपतियों और खनिजों के मालिकों में जो हमारी इस सरकार का, इस प्रान्त का एक करोड़ से भी ज्यादा पैसा रॉयल्टी की ड्यूज का बाकी है—उस रुपये को यह सरकार वसूल नहीं कर सकती। तीन करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव का बाकी है उसे यह सरकार वसूल नहीं कर सकती है। इस सरकार को जो सेल्स टैक्स का तीन करोड़ रुपया लोगों में बाकी है उसे यह वसूल नहीं कर सकती है। यह सरकार....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह गलत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सरकार किस तरह से कहती है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये आंकड़े एटरेन्डम दे रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कि हमारी आर्थिक स्थित कमजोर है। मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों को यह फायदा पहुंचाना चाहती है, उनको पालना-पोषना चाहती है, इसलिए ही सरके खजाने से लोगों को पैसा उधार दे देती है और उसको फिर वापिस वसूल नहीं करती है। एक तरफ तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा देने वाले मास्टर हैं उनका ३५ लाख रुपया बाकी पड़ा हुआ है जब कि हमारे जो बड़े विद्वान् उप-शिक्षा मंत्री हैं, वे इस सदन में कई बार कह चुके हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कि बहुत जल्दी पैसा दे रहे हैं। लेकिन वह लाखों रुपया अभी भी बकाया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो पहले कह चुके हैं वही रिपीट हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्या १ लाख के गबन वाली बात कहलाना चाहते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सरकार किस तरह से अपने लिए, अपने कामों के लिए कहलाना चाहती है कि हम अच्छी सरकार हैं, हमारा काम अच्छा है, हम नेकनीयत वाले हैं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रिपीट कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पचास दफा रिपीट करेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम प्रांत की उन्नति करना चाहते हैं।

डेमोक्रेसी की बात के सम्बन्ध में हमारी सरकार कहती है कि हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इस लोकतंत्र का मतलब है कि जनता को सर्वोपरि समझा जाता है। आज हमारे इन प्रान्त में दस साला योजनाओं के लिए मोहनलाल सुखाड़िया का स्वागत हो रहा है, लेकिन जनता का स्वागत नहीं होता। जनता ने दस साला योजनाओं के अन्दर राजस्थान में काम किया है, अगर कुछ विकास का काम किया है तो सिर्फ जनता ने किया है, मोहनलाल सुखाड़िया ने नहीं किया है। उनका नाम ले लेकर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की भावना हमारे राज्य के अन्दर पनपाई जा रही है उनके गुर्गों के द्वारा जिनको लाखों रुपया उन्होंने दिया है। वही इन्हें चांदी और सोने की सीली भेंट कर रहे हैं और उन्हें यह ले जाकर अपने घर में रखते हैं। वह इनकी सम्पत्ति नहीं है, इस सरकार की सम्पत्ति है, इस राज्य की, जनता की सम्पत्ति है। क्योंकि दस साला योजनाओं में विकास का काम जनता के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रजातंत्र के वास्तव में स्वामी हैं तो जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है वह इस सरकार के खजाने में जमा करायें ईमानदारी से और इस जनता को श्रेय दें। दस साला योजनाओं के अन्दर जो इन पिछले दस सालों में विकास हुआ है वह यहां की जनता के द्वारा हुआ है, वह मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा नहीं हुआ है। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किये गये विकास की तो भ्रष्टाचारों की कहानी है जो चन्द दिनों में हिन्दुस्तान के सामने रख दी जायगी। बी. एन. मिश्रा, आपके प्रतापसिंह कैरों, और आपके बख्शी गुलाम मोहम्मद की कहानी जिस तरह देश के सामने रखी गई, उसी तरह इनके काले कारनामों और भ्रष्टाचार की कहानी, मोहनलाल सुखाड़िया के दस साल की कहानी, चन्द दिनों के बाद देश के सामने और इस सदन के सामने आने वाली है जिसको इस सदन में अब तक नीचा मुंह करके सुनते रहे हैं और आगे भी सुनना पड़ेगा और उन्हीं के कारण इस कुर्सी से हरिभाऊ की तरह जाना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर : बोल सनातन धर्म की जय !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और आपको भी जाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको भी जाना पड़ेगा !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक जो यहां पर भाषण दिया है उसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव सामने आया है, मैं समझता हूँ कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिये। राज्यपाल महोदय ने जितनी बातें कही हैं और साफ ही है कि राज्य में जितना विकास इन पिछले १०–१२ वर्षों में हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। पिछले साल में कितना हुआ, उसके आंकड़े हमारे सामने हैं। पहले यह देश बराबर अनाज बाहर से मंगाता था मगर अब बाहर अनाज यहां से जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आज भी बहुत ज्यादा मिकदार में बाहर से आता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके समय में क्या होता था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप झूठ मत बोलिये...

(सर्व श्री गोकुलप्रसाद और महारावल श्री लक्ष्मणसिंह के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने पंचायत चुनावों में हार खायी इसलिये...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जूते खाये हैं तो खा लेंगे। मगर आप झूठ मत बोलिये।

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : महारावल साहब को यह जल्दी लग रही है कि मेरी बात पहले क्यों नहीं करते। ये भी करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : महरबानी करके आप झूठ मत बोलिये। आप सही बात कहिये। मेरा मतलब यह नहीं की बुद्धिमत्ता की मोनोपोली है। मगर मैं यह कहूंगा कि आप सच्ची बात कहिये, झूठ मत कहिये। आप दीदा–दानिस्तां झूठ बोल रहे हैं ; यथा-शक्ति झूठ बोलते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आंकड़े के आधार पर कहता हूँ। रेल्वे की रसीदों के आधार पर कहता हूँ कि जिससे किसानों की माली हालत सुधरी है। मगर ये लोग जो किसानों की माली हालत सुधरी है वह उनके अन्दर समा नहीं रही है और वे यह चाहते हैं कि किसानों की हालत क्यों सुधर रही है ? इसलिये आज कोई कहता है, मोटा अनाज बाहर जाना बन्द करो। मैं कहूँगा कि यह क्यों ? अगर आपने मोटे अनाज को बाहर जाना बन्द करवा दिया तो हम शिकायत करेंगे कि आपने उसको कैसे बन्द कर दिया।

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : अभी भी बाहर जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको उसको बाहर भेजना होगा। बाहर जाने से किसानों की माली हालत ठीक होगी और वह किसानों के हित में होगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप शांति से सुन लीजिए। गांव के आदमी खेती करते हैं, वे मजदूरी करते हैं। उनके यहां पर कोई कारखाना नहीं चलता, वे खेती के

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

काम से ही अपना गुज़र करते हैं। इसलिए किसान को बाजार में जहां भी ज्यादा दाम मिले बेचने दीजिये। किसान को उसकी पैदावार की सही कीमत और सही दाम मिले इसके लिए आप लड़ाई लड़ें। बिचोलियों को इससे फायदा हो, उसके लिए लड़ाई न लड़ें। गांवों में जैसा मैंने कहा कि कोई इन्डस्ट्री नहीं चलती है वे लोग खेती और पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं। अगर उनको ज्यादा दाम मिलेंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आप यह चाहते हैं कि उन किसानों का माल बाहर नहीं जावे और दूसरे प्रांतों में जहां से उनको ज्यादा पैसा प्राप्त हो सकता है नहीं होवे। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बाहर से अनाज लाकर लोगों को शहरों में दे, जैसा अभी कम आय वालों को देती है। इस समय जब अनाज की फसल आई है तो विरोधी पार्टी यह चाहती है कि इसको बाहर नहीं भेजा जावे और जहां पर वह माल सस्ता हो जावे और व्यापारी लोग उसको सस्ते भाव से खरीद कर होल्ड कर लें और बाद में मंहगे भाव से उनको बेचें। मैं यह कहूंगा कि यहां पर उन व्यापारियों की दलाली करने से काम नहीं चलेगा। आपको किसानों की वकालत करनी होगी। उन किसानों की वकालत करनी होगी जिनसे हम वोट लेते हैं....

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप एक जानकारी दे दें कि इस समय भी कोर्स ग्रेन बाहर जाता है या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह बात आप नहीं सुनते।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर!!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा।

इसमें दो राय नहीं कि बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिलों में प्रगति जनता के प्रयत्नों से हुई है और जनता के प्रतिनिधियों ने की है। जनता के प्रतिनिधियों ने और जनता ने की है यह उन्होंने मान लिया है। उन्होंने सुखाड़िया साहब की उन्नति हुई, यह नहीं मानते हैं। आप यह तो मानते हैं कि उन्नति हुई और जनता के प्रयत्नों से हुई और प्रतिनिधियों से हुई इसको उन्होंने मान लिया है। इस लिये यह तो प्रस्ताव धन्यवाद का आना ही चाहिये।

अब मुझे कुछ बातें रतनगढ़ के बारे में कहनी हैं। इसके बारे में कल माननीय सदस्य बोले उसको मैं गौर से सुनता रहा। मैं यह नहीं समझ सका कि रतनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य इतनी झूठी दास्तान कह सकते हैं। ऐसा भी कोई सदस्य बोल सकता है। वास्तव में रतनगढ़ में क्या हुआ, यह मैं आपके सामने रखता हूं।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): रतनगढ़ में क्या हुआ, उसका आपको कुछ

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

मालूम नहीं।

(सर्वश्री मोहनलाल और गोकुलप्रसाद के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं इनसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ये ऐसा कह रहे हैं कि ये बेशर्म; जिस तरह बोलेंगे, सुनेंगे। शर्मदार को भी शर्म आ जाती है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात सुनना पसन्द नहीं करते। मैं जब सारा रतनगढ़ का दास्तान सुनाऊंगा तो सदन शर्म से झुक जावेगा।

(व्यवधान)

ये सुनना नहीं चाहते। दास्तान इस तरह है कि रतनगढ़ के किले में वहां के नगरपालिका का दफ्तर है। वहां पर चौधरी साहब जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, गये। उनके साथ दौलतरामजी और नगरपालिका के चेयरमैन थे। उन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत के लिए कुछ भाइयों ने इनका विरोध किया और कह दिया कि लोग वहां पर न जावें। और गांव के लोगों को नहीं जाने दिया। लोग तो मानना नहीं चाहते और जाना चाहते थे। ये लोग वहां पर लाठियें लेकर बाहर खड़े हो गये कि तुमको जाने नहीं देंगे स्वागत के लिए।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप सरासर गलत कह रहे हैं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बदमाश बदतमीजी से बात करेंगे तो ठीक कर दूंगा।

ये लोग वहां पर लाठियां लेकर गये। लोगों ने इनका कहना नहीं माना। पता नहीं कहां से किसी विधवा का काला कपड़ा ले आये और उसके ५० टुकड़े कर दिये और उन फटे चिथड़ों को लटका कर कह दिया कि काले झण्डों से स्वागत करते हैं। इस तरह से काले झण्डे कह कर गढ़ के बाहर फहराने लगे। परन्तु वहां पर कुम्भारामजी का शानदार स्वागत हुआ।

शानदार कुम्भारामजी ने कहा कि लाठियां पड़ती होंगी, गाडी को ले जावे कौन टंटा करे। वे क्यों टंटा करने लगे। गढ़ के अन्दर पत्थर फेंकने लगे, मीटिंग हो रही थी इसलिए पुलिस के लोगों ने और मजिस्ट्रेट ने उन लोगों से कहा कि आप पत्थर मत फेंकिये। मगर उसका नतीजा क्या हुआ, आप नहीं माने। फिर तीन दफा पुलिस वालों ने वहां एकत्रित लोगों से कहा कि आप मान जाइये वर्ना हम एक्शन लेंगे। जब पुलिस-एक्शन लेने को कहा तो उनके पगड़ी कपड़े और जूतों तक का पता नहीं रहा और वे लोग पगड़ी व जूते तक छोड़कर भाग निकले। उनका कहीं ठिकाना

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं रहा। बाद में पुलिस ने कहा कि आप अपनी जूतियें और कपड़े लेने के लिए गये तो वहां पर खड़े हो गये और गालियें देने लगे। उस दिन तो चौधरी साहब चले गये। दूसरे रोज वे लोग सीधे सीधे एस. डी. एम. साहब के यहां पर गये वे कायस्थ भटनागर हैं। इनकी बराबरी के नहीं। इनके मुकाबले के नहीं थे। जिनके मकान पर ये लोग गये। वहां पर उनके कई महमान आये हुए थे। वहां पर इन्होंने गालियें दीं और उनकी बहिन बेटियां थीं उनको बाहर निकाला और उनके सामने कुछ लोग दिगम्बर हो गये। यह मैं शपथ-पूर्वक कहता हूं। वे शपथपूर्वक कह दें।

(शोरगुल)

मैंने सदन में शपथ ली है सही कहने की। मैं यह कहूंगा कि वे उनके मकान के सामने दिगम्बर हो गये।

(व्यवधान)

इस प्रकार बहिन बेटियों के सामने दिगम्बर हो जावें और सदन में आकर इस प्रकार की बातें करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सारस्वत : शर्म आनी चाहिये झूठ बोलते हुए।

(सर्वश्री मोहनलाल और गोकुलप्रसाद के एक साथ जोर जोर से बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में इस तरह...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर यह बात गलत हो तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अन्यथा जांच करवा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं कि आप यह स्पष्टी-करण कर दें कि एस. डी. एम. के ऑफिस के सामने या मकान पर मोहनलालजी सारस्वत दिगम्बर हो गये ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : १००-५० आदमी इनके साथ थे। मैंने उनके लिये कहा है। आप कान की खिड़की खोल कर सुना करिये। मैंने इनके लिये नहीं कहा। अब क्या होता है कि ये लोग एस. डी. ओ. के निवास स्थान पर जाते हैं। वहां उनके निवास स्थान के कांच तोड़े, बहिन बेटियों को निकाल कर बाहर लाये पर उस शान-दार आदमी ने संतोष रखा ऋषि की तरह। उसने कलेक्टर को फोन किया कि मेरे यहां पर तो यह हो रहा है। कलेक्टर ने पुलिस भेजी, पुलिस गई तो ये मीटिंग करने लगे। पुलिस लॉरी में गई तो पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर पत्थर क्यों बरसाते हो ? पुलिस कहती है तो उनको गालियां देते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : झूंठ बोल बोल कर मुंह काला हो गया है....

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा मुंह तो काला हो गया, पर आप तो डूब मर गये। किसी भले आदमी के घर पर जाकर दिगम्बर हो जाय बहिन बेटियों के सामने, इससे बढ़कर डूब मरने की बात और क्या हो सकती है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तुम मरे हुए हो, तुम्हारे जैसा नालायक आदमी कोई नहीं

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय अध्यक्ष, मैं वहां की बातें कह रहा हूं और ये मुझे बार बार गालियां दे रहे हैं, इनकी गालियां देने की आदतें हैं। इसी के लिए कई नये हॉस्पिटल खुले हैं और बड बढाए हैं। इनके लिए तो बैड बढ़ाना होगा, ये तो वहां भरती होने काबिल हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): जैसे नाटक के बीच में कोमिक होता है उसी तरह यहां कोमिक हो रहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : श्रीमान् सारस्वत साहब ने डी. एस. पी. साहब के लप्पड़ लगाया है। आप कहेंगे कि वे नौकरी करेंगे तो मार खायेंगे। मुझे पुलिस के होम मिनिस्टर साहब से शिकायत है कि आप कोई इन्तजाम नहीं कर पाये, किसी भले आदमी के घर जांय और बहिन बेटियों के सामने दिगम्बर हो जांय, डी. एस. पी. के लप्पड़ मार दें, इस तरह से तो कोई आपके यहां नौकरी नहीं करेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको शरीफ समझ लिया था, यह हमारी गलती हो गई।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने उन्हें कुछ भी समझ लिया हो पर यह हमारी शिकायत है कि आप इन्तजाम नहीं कर पाये।

इसके बाद शहर के कुछ भले लोग गये, उन्होंने माफी मांगी। पुलिस के साथ मार-पीट करेंगे, डी. एस. पी. के थप्पड मारा, इस तरह पुलिस के साथ मार पीट करेंगे तो आपके साथी पकड़े जायेंगे। फिर आपके आदमी माफी मांग कर आ जावें तो इसमें मेरा क्या कुसूर ? उन्होंने माफी मांगी। कहा-आये थे, गलती हुई, अब नहीं आयेंगे। अब गुप्त जांच की बात कहते हैं, चौड़े आने की तो हिम्मत नहीं है।

चुरू में क्या हुआ ? ये गये गांव में किसी ने इनकी सुनी नहीं तो नेतागिरी वापिस स्टेशन पर आ गई और कह दिया कि एक आदमी पुलिस की लाठी से मर गया। एक वृद्ध आदमी मर गया था उसके रिश्तेदार से कहा कि नाम ले लो कि पुलिस की लाठी से मर गया। उसके रिश्तेदार ने कहा कि यों ही कैसे नाम ले लूं। इस तरह की निराधार बातें यहां आकर कहते हैं। निराधार बातें नहीं चल सकतीं। मैं यह नहीं कहता कि आपको पुलिस बिल्कुल दूध की धुली हुई है, पर ये बातें तो निराधार हैं। यह तो इनमें हिम्मत नहीं कि बाहर जाकर घूम फिर कर पता लगायें। चलो चुरू कल ही साथ-साथ.......

श्री मोहनलाल सारस्वत : ये ढोल हैं चलने जैसे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरे तो डील हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : रोटियां खाते हो गुलामी करके.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हैं रोटियां खाते हो, मैं कहता हूं इन्हें कि धूल खाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़। माननीय सदस्यों से मैं, निवेदन करूंगा कि परस्पर इशारेबाजी और बात न करें, सदन की व्यवस्था को कायम रख।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर,....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई परस्पर बात नहीं की है। इन्होंने गाली दी है, या तो इन्हें गाली देने से रोकें या फिर मुझे छूट दें......

श्री उपाध्यक्ष : इनका पोइन्ट आॅफ आॅर्डर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी माननीय सदस्य ने रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के कल के भाषण को बिल्कुल गप्प की उपाधि दी है, उनको यह उपाधि देने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा कि यह सारी गप्प है और यहां आकर गप्प मारदी है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के किसी माननीय सदस्य के भाषण को गाप्प की उपाधि दे दें तो यह सदन के अधिकारों का हनन है और सदन की मान-मर्यादा के खिलाफ है। इसलिये 'गप्प' शब्द को डिलीट करा दिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने "निराधार" कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई 'गप्प' शब्द के बारे में कि किसी दूसरे सदस्य के वक्तव्य को 'गप्प' कहना उचित नहीं है। मैं इस विषय में निवेदन करूंगा कि वक्तव्य को जनरल तौर से 'गप्प' कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी माननीय सदस्य जिम्मेदारी से बोलते हैं। पर यह भी आशा की जाती है कि व्यवहार आपस में बराबर कायम रहे। स्वस्थ परम्परा को कायम रखने के लिये इस प्रकार के अभद्र वाक्य अलग रख कर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह हो सकता है कि किसी वाकई में सत्य-असत्य का इंगित हों; पर जहां तक हो वाक्य फूहड़ न हों, अभद्र न हों।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें निराधार कहा है।

बनेड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि अभिभाषण में झूठा लेला दिया गया है। उन्होंने पढ़ा नहीं, वे पढ़ें। इसमें यह लिखा हुआ है कि "यह भी व्यवस्था की गई थी किइस योजना की अवधि में राज्य के सभी गांव और ६७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में ले आया जावे।" यह तीन साल का ही लेखा-जोखा है। दूसरी जगह इसमें लिखा है कि "राज्य की ३० प्रतिशत जनता और ७६ प्रतिशत गांव सहकारिता के अन्तर्गत आ गये हैं।" ऐसा कहीं नहीं है कि जिससे इस तरह

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

से बड़े जोर से बोलें जो राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक भाषण दिया उसके लिये कि आंकड़े गलत दिये हैं।

तो मैं यह कहूंगा कि वे पढ़कर बोलें, आपने पढ़ा नहीं। दो पन्ने की किताब भी जो नहीं पढ़ेंगे वे क्या प्रान्त भर की सही बातें यहाँ आकर कहेंगे।

मैंने इस भाषण को पढ़ा, यह भी हो सकता है कि कोई गलती हो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उन्होंने जो मेरे ऊपर आक्षेप किया है कि मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं है और उन्होंने जो पढ़कर सुनाया है, मैं आपकी जानकारी के लिये कहता हूं। पैराग्राफ १० में पढ़कर देखें। साफ लिखा है कि "यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस योजना की अवधि में राज्य के सभी गांव और ६७ प्रतिशत ग्रामीण" यह कहां लिखा है कि "गांव आएंगे।" '६७ प्रतिशत ग्रामीण' लिखा है। तुमको बिना चश्मे भी नहीं दीखता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह योजना अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप इस तरह के आंकड़े रखने के आदी हैं। इस सदन के पहले बजट सैशन में जब आंकड़े रखे थे तो सदन के नेता ने फटकार दिया था ताकि आइन्दा वे आंकड़े ही नहीं रखें। कब से इनकी गुलामी स्वीकार कर ली ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आंकड़ों की बात जहां तक माननीय सदस्य ने कही वह बिना पढ़ी हुई थी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने पढ़कर सुनाया है। ये कहते हैं कि ३-४ साल के आंकड़े हैं।

श्री मथुरादास माथुर : १४ साल के आंकड़े नहीं आते हैं, वे कम्पाइल होकर आएंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने जो इसमें आंकड़े दिये हैं वे हम मानेंगे या तो नहीं दें।

श्री मथुरादास माथुर : अगर समझ में नहीं आये तो आपकी बुद्धि का ठेका तो हमने नहीं लिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने समझा होता तो आंकड़े गलत नहीं देते।

(घंटी)

आपकी समझ अपने पास रखिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां तक विकास की बात है मुझे एक बहुत बड़ा एतराज है कि राजस्थान में शूकर मांस का कारखाना क्यों खोला जा रहा है। यह धर्म-निरपेक्ष राज्य है और यहां मांस के कारखाने खोलने की बात राज्यपाल महोदय से कहलाई। मैं समझता हूँ, यह ठीक नहीं है। मैं आपके द्वारा राज्यपाल महोदय से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात का

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

विचार छोड़ा जाय, जिसमें कुछ लोगों के दिलों पर चोट न पहुँचे; खास कर हम वैष्णव जो कीड़ा-मकोड़ा मारना भी पाप समझते हैं। यह हो सकता है कि बनेड़ा वाले शूकर-मांस पसन्द करें, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता। सरकार का आमदनी का यही जरिया रह गया हो तो और टैक्स लगा दें।

आंकड़ों के बारे में गत वर्ष मैंने कहा था कि शिक्षा के मामले में जो १९४९ के आकड़े हैं वे सही नहीं हैं और इनको सही करवा दीजिए। उसके बाद फिर वही गल्ती हुई। सन् १९४९ में १,८४, ४६, ६२६ रुपये खर्च हुए हैं, ६२,६०,००० । नहीं और यह पेज भी बता दूं। । बजट एस्टीमेट १९४९-५० पेज ३० में और १९५०-५१ के बजट के पेज न०२३ में इन दोनों को देखने से साफ स्पष्टीकरण आ जाता है। उनके बजट में पहले वाला एक्चुअल खर्चा आ जाता तो अगर हम १,८४ लाख खर्च करें और ६२ लाख बताएं तो उस विभाग के लिए ठीक बात नहीं है। एक जगह लिखा हुआ है ६२,६०,०००। ६ माह के लिए बजट एस्टीमेट किया गया है उसको उठाकर यहां रख लिया, देखने की कोशिश नहीं की।

राज्यपाल महोदय के सामने बिल्कुल साफ चीज आनी चाहिए थी। आपका जो स्टेटिस्टिकल विभाग है, मैं समझता हूं कि वह सही काम नहीं करता है। अगर मुझे छूट दें तो मैं पचासों गल्तियां बताऊं। आपने खर्च किया है १९४९ में दो करोड़ का, उस वक्त जन प्रतिनिधियों का राज्य था, तो फिर आपने एक करोड़ क्यों बताया?

सिंचाई के बारे में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, भाखरा, चंबल, राजस्थान कैनाल बनने जा रहा है। इस कैनाल पर करोड़ो रुपए खर्च होंगे और ७-८ करोड़ रुपए ब्याज हर वर्ष चुकाना होगा, इसके बजाय हम छोटे छोटे कुंए खुदवाते तो ज्यादा अच्छा रहता। ज्यादा से ज्यादा पांच हजार रुपए एक कुएं पर खर्च होता है और पांच एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। भाखरा और राजस्थान केनाल के हिसाब से कुओं का हिसाब सस्ता पड़ता है। एक हजार रुपए लगाने से एक एकड़ की सिंचाई होती है। पूरे उदयपुर डिवीज़न में ४-५ जिलों के लिए, मत्स्य जिलों में, जयपुर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीकर, भरतपुर और अजमेर में आप कुओं पर खर्च करो तो अच्छा होगा। वहां पर बांध नहीं बांधे जा सकते। आपने सारा पैसा तो राजस्थान कैनाल पर खर्च किया और उसका ब्याज सारे राजस्थान की जनता दे तो ठीक नहीं है। इसलिए कुओं की तरफ भी आप ज्यादा ध्यान दें।

किसानों से वसूली ऐसी होती है जैसी पुरानी रियासतों में हुआ करती थी। आज नौकरी वाले हैं उनसे यदि १०० रुपए मासिक वेतन पाने वाले होते हैं तो आप १२ १।२ रु० माहवार से ज्यादा वसूल नहीं करते, लेकिन यदि किसान ५०० रुपये एकदम न दे तो उसके बैलों का नीलाम होता है। यह तय होना चाहिए कि किसान जितना लगान देता है उससे डबल वसूल नहीं किया जायगा। आप

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

५०० रु० एक साथ वसूल करते हैं। आपको किसान को उसी तरह से राहत देनी पड़ेगी जैसे दूसरे नौकरी पेशे वालों को देते हैं। किसान कुआं खुदवाने के लिए कर्जा मांगता है, आप उसे कर्जा नहीं देते हैं। आप यह घोषणा करें कि हर किसान को कुआं खुदवाने के लिए इतना कर्ज देंगे। किसान को जो आप पांच हजार देंगे वह उसका ब्याज देगा और अनाज की पैदावार बढ़ाएगा, उससे प्रदेश में अनाज की कमी नहीं होगी।

मजदूरों के मामले में राजस्थान सरकार बहुत ही चुप है। एमरजेंसी के समय जब चीन ने आक्रमण किया तो मजदूरों ने निश्चय किया कि हम हड़ताल नहीं होने देंगे, गो-स्लो नहीं करेंगे और मजदूरों ने ऐसा ही किया। लेकिन पैसे वालों ने कोई सहयोग नहीं दिया, उन्होंने कोई वेतन नहीं बढ़ाया। १९६२ में मिनिमम वेजेज़ कमेटी बनाई। अब १९६५ चल रहा है। तीन साल से कमेटी की रिपोर्ट झूल रही है। कितने उद्योगों में मिनिमम वेजेज फिक्स किए ?

आपने १९६२ में यह अनुभव किया था कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए। मंहगाई बढ़ गई है लेकिन आज इन्डस्ट्रीज के अन्दर मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ पा रहा है। उस सम्बन्ध में आयी हुई रिपोर्टों को साल डेढ़ साल से तय नहीं कर रहे हैं और कोई तवज्जोह नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में कोई टाइम निश्चित कर ले कि अमुक समय तक यह तय हो जायगा और यह न्यूनतम वेतन लागू हो जायगा।

जिन कारखानों के लिए कोई कमेटी नियुक्त नहीं की है; जैसे कपास के कारखाने हैं, वहां पर आज भी मजदूर और मजदूरनियां आठ आने के वेतन पर काम कर रहे हैं। आप बात करते हैं ? आज भी यहां पर मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं हुआ है। न तो उनको कोई संडे विय पे मिलता है और न ही उनको कोई ओवर टाइम। दस बीस फैक्टरियां होती हैं, सीजनल होती हैं उनमें न्यूनतम वेतन की सीमा लागू कर देनी चाहिए। श्रम नीति आज की नहीं है। कौटिल्य के समय की है। कौटिल्य ने कहा है कि न्यूनतम वेतन दिलाना पड़ेगा। जो सरकार न्यूनतम वेतन नहीं दे सकती वह अच्छी सरकार नहीं है। समय पर वेतन नहीं देने पर उसने उस समय आठ गुणा पैसा दिलाने का निर्णय लिया था। हम तो उससे नीचे उतरे हैं। मजदूर कुछ राजनैतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। कुछ मजदूर गद्दार पार्टियों के साथ भी जुड़े हुये हो सकते हैं, लेकिन वैसे अधिक देशभक्त पार्टियों के साथ हैं। मजदूरों के सम्बन्ध में जो रिपोर्टें हैं उनको आपने नहीं निपटाया है और उन पर चलने के लिये बाधित नहीं किया है। आपने अपने स्टाफ के पांच रुपया एक दफा और पांच रुपया दूसरी दफा बढ़ाये, उससे वेसंतुष्ट नहीं हैं। मंहगाई बढ़ गई है। निस्संदेह फोर्थ लोअर क्लास व मिनिस्टीरियल क्लास का आज की इस मंहगाई को देखते हुये वेतन बढ़ना चाहिये। लेकिन आपको और वेतन बढ़ाते समय जरूर ध्यान देना होगा कि जिन बड़े बड़े अफसरों को १५०), २५०) के

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

स्पेशल पे मिलते हैं वे मुंह फैलायेंगे। कहीं वे न मारे जायें। यदि इसके लिए कोई आन्दोलन के तौर पर कुछ होता है तो वह गलत है। लेकिन जो वास्तव में भूखे हैं। मंहगाई काफी बढ़ गई है और वेतन बढ़ना चाहिए।

आपने अपने स्टाफ के लिए तो सोचा, लेकिन क्या कभी आपने मजदूरों के लिये भी सोचा है कि ये जो हजारों मजदूर, जामसर के कारखानों को ले लीजिये, रुई के कारखानों को ले लीजिये, अन्य कई कारखाने हैं बड़े बड़े दस-पांच कारखानों को छोड़ दीजिये या अपने कारखानों के लिये छोड़ दीजिये, अन्य कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे हैं क्या उनके लिये भी आपने कभी सोचा है कि उनका वेतन क्यों नहीं मालिकों ने बढ़ाया ? क्या आपने कभी मालिकों को कहा कि इनको भी आपको न्यूनतम वेतन तो देना होगा ? ५) रु० कुछ कारखानों ने बढ़ाया) लेकिन आम लोग तो इस प्रकार के हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जिस प्रकार भेड़िये को शिकार की छूट दी जाती है उसी प्रकार उनको छोड़ दिया गया है। उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये और इस काम को हाथ में शीघ्रता से लेना चाहिये। आपके सर्विस वाले आपके साथ रहेंगे और रहे हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों में विश्वास पैदा कीजिये। वहां पर मिनिमम वेजेज़ एक्ट तुरन्त लागू करिए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई और यदि इसमें देर हुई तो उनका सन्तोष उखड़ने जा रहा है। आप भी सोचिए आज इस मंहगाई के जमाने में ८ आने रोज में रुई के कारखाने में कोई काम करे ? गावों में कृषि मजदूर आज सैंकड़ों लोग आठ आना, बारह आना रोज में भीलवाड़ा में काम कर रहे हैं। तहसीलदारों को आपने कृषि मजदूर का मिनीमम वेजेज़ इन्सपेक्टर बनाया। उनसे पूछा गया तो कहते हैं हमें मालूम नहीं, हम कब से हो गये। उनको ध्यान ही नहीं है। ब्लॉक्स बनने के बाद में अब वैसे तहसीलदारों के पास भी बहुत कम काम रह गया है। जहां से किसानों के प्रतिनिधि बनकर, बड़े बड़े नेता बनकर लोग आते हैं तो उन्हीं लोगों के मेहनत पर तो नेतागिरी लगाते हैं। यहां जो कृषि मजदूर काम करते हैं, उनका संगठन नहीं होता है। कोई ५) रु० और खाना माहवारी देकर, कोई आठ आना रोज देकर उन लोगों को नौकर रख लेते हैं और इस प्रकार सैंकड़ों हजारों आदमी-औरतें अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। आज मजदूर देश भक्ति की वजय से चुप है। मैं समझता हूं कि आप उनकी भावना का आदर करेंगे और इस ओर ध्यान देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके विरोध में अपने विचार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का यह भाषण उनके काल के अभिभाषणों में सबसे अर्थहीन कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इस भाषण में न किसी प्रकार की प्रेरणा है, न किसी प्रकार का उत्साह है और न किसी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार का भविष्य के लिये मार्गदर्शन है; बल्कि यदि यह कहूं कि बाजार में बिकने वाली दो दो आने की जो किस्से-कहानियों की पुस्तक है, इस भाषण का महत्व उस किताब के महत्व से अधिक नहीं है····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : This is very contemptous, Sir, that...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हिन्दी में बोलना चाहिये। २६ जनवरी से यहां पर हिन्दी हो गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, हिन्दी में ही बोल रहा हूँ। यह प्रथा और परम्परा का सवाल है। उस परम्परा में दिए गए अभिभाषण के लिये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। दूसरी तरह से बात कह सकते थे लेकिन यह कहना कि यह भाषण तो बाजार में दो आने में बिकने वाली किताब की तरह का है, मैं इसके लिये प्रोटेस्ट करता हूं और इसको पसन्द नहीं करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : ये आपने नहीं कहे हैं, मैंने कहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : हमने रिक्वेस्ट का है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस भाषण में, जैसा मैंने कहा है, भविष्य के बारे में कोई किसी प्रकार का संकेत नहीं है। स्वयं राज्यपाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछला वर्ष एक परीक्षा का काल रहा है। उस परीक्षा-काल से हम निकले कि नहीं और निकलकर आगे काम क्या करने वाले हैं इसका कोई संकेत नहीं है। हां, यह बात अवश्य है, इसमें दो-तीन रिलीफ की बातें हैं। जैसे अलवर के सुअर बड़ी बदमाशी करते थे उनके खाने और काटने का इन्तजाम कर दिया। इसी तरह से जोधपुर के पागल भी परेशान करते थे उनके लिए ५० सीट निर्धारित कर दीं।

इसके साथ उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्त में कहा है जिस मुख्य कार्य के लिये आपको यहां आमन्त्रित किया गया है वह आगामी आर्थिक वर्ष में इस राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करना एवं तत्संबन्धी आवश्यक कानून बनाना है। अब आखिर हम यहां पर किस बात पर विचार करेंगे, इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। राजस्थान में वित्तीय संकट अवश्य है, उसके निवारण के उपाय उन्होंने बताये हैं; मत्स्य-पालन उद्योग द्वारा राज्य की आर्थिक समृद्धि में काफी योगदान की आशा है। राजस्थान का आर्थिक संकट और मत्स्य पालन से उसे दूर करने की सोचते हैं। आप मत्स्य-पालन बढ़ाकर आर्थिक संकट का मुकाबला कर सकते हैं, इस बात का संकेत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से मिला है। मैं ऐसा समझता हूं राजस्थान सरकार ने राज्यपाल

(श्री भैरोंसिंह)

द्वारा यह बताने की चेष्टा की है कि राज्य में सम्पूर्ण आनन्द है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं राज्य में सम्पूर्ण आनन्द नहीं राज्य में सम्पूर्ण अनर्थ है। उन अनर्थों को लेकर राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उसके लिये हम किसी प्रकार भी धन्यवाद देना उचित नहीं समझते।

राजस्थान की तृतीय योजना का लक्ष्य और उसकी उपलब्धियां इन दोनों का विवरण देने की राज्यपाल महोदय ने चेष्टा की है। सदन को किस तरह से गुमराह किया जा सकता है उसकी इसमें चेष्टा की गई है। एक तरफ तो तीसरी योजना का निर्धारित लक्ष्य बताया गया है दूसरी ओर अब तक जो समय निकल गया है उसमें योजना के लक्ष्य को कहां तक प्राप्त कर पाये हैं इसकी ओर संकेत किया गया। यह बात बताने की चेष्टा नहीं की गई कि तीसरी योजना के लक्ष्य-प्राप्ति में हम कितने सफल हुए हैं। अगर इस समय राज्यपाल महोदय यह बताते तो बहुत अच्छा होता। वह इसलिए था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर हम विचार कर रहे हैं। चौथी योजना के लिये वित्तीय साधनों के जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं; वैसी हालत में चौथी योजना और तृतीय योजना की उपलब्धि का सही चित्र प्रस्तुत किया जाता तो हम यह मानकर चल सकते थे। और विचार कर सकते थे। सरकारी योजना के अन्दर खामियां हैं, उनको दूर करने की चेष्टा कर पाते। इस ओर राज्यपाल महोदय ने किसी प्रकार का कोई संकेत तक नहीं किया। राज्य सरकार शायद इस बात का गौर करती है कि तीसरी योजना में जो खाद्य उत्पादन का लक्ष्य बताया है वह भी पूरा कर लिया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार द्वारा जो तीसरी योजना का मेमोरेन्डम तैयार किया गया उसे मेमोरेन्डम के अन्दर १९६५ का एज्यूम्ड लेवल है। खाद्य पदार्थों का, अनाज का, तिलहन का, गन्ने का, रूई का—उस लेवल तक राज्य सरकार नहीं पहुंच पायी है। जहां हमारा लक्ष्य ६६.३५ का था वहां ६१.९५ तक ही हम पहुंच पाये हैं, इसमें डेफिसिट है ४.४१ का। तिलहन में हम नहीं पहुंच पाये हैं। कॉटन और शुगरकेन इन तीन चीजों के अन्दर जो एज्यूम्ड लेवल था उस लेवल को हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं। राज्यपाल महोदय ने इस वर्ष के अन्दर निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाने की आशा व्यक्त की है। जब राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि खाद्य उत्पादन की सीमा तक हम नहीं पहुंच पायेंगे वहां इस साल में कैसे पहुंच पायेंगे; यह समझ में आने वाली बात नहीं।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन पर—केपिटा इन्कम के बारे में भी रेज हुआ है; यह बात कही गई है। राजस्थान में इन्डस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री को मालूम होगा कि अभी नेशनल कौन्सिल ऑफ इकोनोमिक रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट निकली है, जिसके अन्दर राजस्थान का चित्र खींचा गया है। पर केपिटा इन्कम कितनी बिजली की खपत होती है; उसका विवरण दिया गया है। कितना इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, ये सब बातें उसमें बतायी गई है। उसको देखने के बाद पता लगा है बाकी के राज्यों

(श्री भैरोंसिंह)

के मुकाबले राजस्थान का कोई ठिकाना नहीं है। उन राज्यों में सिवाय बिहार को छोड़कर जिस राज्य की पर–केपिटा इन्कम सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले कम है उस रिपोर्ट के बेसिस पर पर-केपीटा इन्कम हमारे यहां की २६७ है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां बिजली के कन्ज़म्प्शन का सवाल आता है वहां वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ६१ किलोवाट का है।. इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन महाराष्ट्र का २७.६८ है, वेस्ट बंगाल २२.२६ है वहां राजस्थान का केवल १.०० है। उस पर राज्यपाल महोदय कहते हैं कि हम तीसरी पचवर्षीय योजना में सफल हो रहे हैं। क्या आप इसी सफलता के आधार पर बढ़ रहे हैं ? मुझे इस बात का खेद है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके सदन को गुमराह करने की चेष्टा सरकार द्वारा की गई है जो किसी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर के अन्दर परिवारों की संख्या बढ़ा ली है लेकिन जो तीसरी योजना में लक्ष्य प्राप्त करने का था वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

राजस्थान में प्राइमरी स्कूल्स जाने का एजग्रूप है; तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह किसी प्रकार पूरा नहीं कर पायेंगे, यह मैं उस आधार पर कह रहा हूँ जो राज्य सरकार ने शिक्षा कमीशन के सामने ड्राफ्ट दिया है, उसमें यह दिया हुआ है।

एक तरफ योजना के माध्यम से खाद्य की समस्या हल करने की चेष्टा कर रहे हैं फिर भी हम उसमें सफल नहीं हो पाये। हम योजना द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहते है। यह सही है, आप योजना द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाइये, इसमें हमें आपत्ति नहीं। आज हमारे सामने अनाज की भीषण समस्या है, इस महंगाई की समस्या और अनाज की समस्या को किसी प्रकार हल कर सकें, इस बारे में स्वयं सरकार कहती है कि अक्टूबर १९६४ के अन्दर हमको पचास हजार टन इम्पोर्टेड व्हीट मिलता था। जनवरी, ६५ में वह जाकर १५ हजार टन तक रह जाता है। वह भी उस हालत के अन्दर जब कि राजस्थान के अन्दर गेहूँ के भाव आसमान छू रहे हैं। कन्ज़्यूमर प्राइस इन्डेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार पर हमारी सरकार दबाव नहीं डाल सकती, अक्टूबर में जब पचास हजार टन मिलता था वही जनवरी में मिलता रहे। इस कमी के कारण समूचे राजस्थान के अन्दर गांवों में जहां सरकारी दुकानें खुली हुई हैं उनको बन्द कर दिया गया, अनाज की मात्रा कम कर दी गई। आज जनता अनाज के लिए त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन राजस्थान की हुकूमत को चिन्ता नहीं; राजस्थान सरकार कहती है, हम अनाज की समस्या का समाधान कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं ? कानून के जरिये कर रहे हैं, गेहूं का निर्यात बन्द कर दिया ठीक है। उसके बाद फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर जारी कर दिया, इसके अन्तर्गत स्टॉक का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कितने कानून जल्दी जल्दी बनाये गये। ग्राम बारली के

(श्री भैरोंसिंह)

एक्सपोर्ट को बन्द कर दिया गया, पन्द्रह दिन बाद खोल दिया गया; बीस दिन बाद फिर बन्द कर दिया, उसके दो महीने बाद यह ऑर्डर निकाला कि ३३ पर्सेन्ट बाहर जा सकता है, पच्चीस पर्सेन्ट जो बाहर जा सकता है फिर ऑर्डर निकाला कुछ नहीं जा सकता। उसके बाद आज्ञा निकलती है पचास पर्सेन्ट हुकूमत के पास डिपोजिट करवा कर पचास पर्सेन्ट भेजा जा सकता है फिर पच्चीस पर्सेन्ट जमा करा कर बाहर ले जा सकते हैं। इस तरह से सरकार बार बार आदेशों को बदलती रही मानो राजस्थान में चलता फिरता चित्र बन रहा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ब्लेक मार्केटियर्स और होर्डर्स जनता का शोषण कर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर हमारी हुकूमत चलती है। यह हुकूमत चल ही इस पर रही है कि कांग्रेस पार्टी को यही ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स ने पिछले तीन वर्षों में ६८ लाख रुपया चन्दे के रूप में दिया है। इसलिये सरकार इनको नाराज नहीं कर सकती उन्हीं के इशारों पर इनको चलना पड़ता है। हुकूमत को किसी प्रकार चिन्ता नहीं जनता भूखे मरे उनको कुछ भी खाकर गुजारा करना पड़ रहा हो, यह चिन्ता नहीं।

आज राजस्थान सरकार के समस्त सरकारी कर्मचारी जिनको माननीय मुख्य मंत्री ने २२-२३ जनवरी को आश्वासन दिया था कि तुम्हारी मांगे जो महंगाई के संबंध में उस पर १५ दिन के भीतर निर्णय हो जायगा। जब उनका स्टेटमेन्ट अखबारों में पढ़ा, हमने देखा राज्य सरकार कुछ करने वाली है।

आज कर्मचारी संघ मुख्य मंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों के बारे में इन्तजार कर रहा है कि कब निर्णय होने वाला है....

(३. म. प.)

राजस्थान के ८७ हजार शिक्षक आज राजस्थान सरकार के आदेशों का पालन कराने को रो रहे हैं, डी. ए. और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। पटवारियों के लिये सरकार का आदेश निकल जाता है। पर उसकी तामील नहीं होती। तामील कराने की बात आती है तो कह देते हैं कि इसके लिये लड्ढा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठादी है। उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं कि दो-तीन वर्ष पहले जो आदेश जारी कर दिये गये तो अभी तक उनकी तामील नहीं हुई!

इधर सरकारी कर्मचारियों के लिये दिये गये आश्वासनों, आदेशों की तामील नहीं, उधर पुलिस कर्मचारी दुखी, स्टेट के कर्मचारी दुखी, पी. डब्लू. डी. रोडवेज आदि में काम करने वाले कर्मचारी दुखी, पब्लिक इन्टरप्राइजेज में काम करने वाले कर्मचारी मंहगाई से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। अब और हमारी सरकार उन हर महरबान हुई तो अधिक से अधिक यह कर देगी कि बजट

(श्री भैरोंसिंह)

पेश करने के समय कह देगी कि ५) रुपये की मंहगाई में वृद्धि की जाती है। माथुर कमेटी ने सिफारिश की। उसे मजदूरों पर लागू करने की सरकार चेष्टा करे या न करे यह नहीं, वहां तो करना पड़ेगा। पर उसी आधार पर मंहगाई के आधार पर इन सरकारी कर्मचारियों को इन सरकारी एन्टर-प्राइजेज में काम करने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिले। इस बात को भी सरकार स्वीकार करके चलना पड़ेगा। अगर यह कम रहेगा तो जरूरत की चीजों को अवेलेबल कराने पर सब्सिडाइज्ड तौर पर देना पड़ेगा। यही तरीका हो सकता है ठीक। पैसा बढ़ाने से ही किसी प्रकार से सहकारी कर्मचारियों की समस्या का पूर्ण समाधान सम्भव नहीं है। जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिये सब्सिडाइज्ड तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनका वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा।

(३. १२. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

पर हमारी सरकार यह नहीं कर सकती और इसलिये नहीं कर सकती कि इस सरकार में करने का दम नहीं है। या तो यों कहना चाहिये कि यह सरकार नहीं है या यों कहना चाहिए कि कर्मचारियों में दम नहीं है। सेन्टर में दास कमीशन की रिपोर्ट आई, सरकार ने आनाकानी की मानने में, हड़तालें हुई, गोदी कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार झुकी। यह सरकार दबाने से कुछ करती है। मुझे इस सरकार के लिये भी यह बहम हो रहा है कि हमारी राजस्थान की हुकूमत भी यह चाहती है कि सरकार के नीचे काम करने वाले सारे कर्मचारी इस राजस्थान की हुकूमत को चुनौती जिस दिन दे देंगे उस दिन सुखाड़ियाजी नत मस्तक होकर उनकी बात मानेंगे। पहले शायद समझ नहीं आवेगी। और इसलिये नहीं आवेगी कि यह सरकार दबाव की भाषा में समझती है। दबाव जब तक नहीं दिया जावे तब तक यह समझती नहीं, सुनती नहीं।

बाहर आप गांवों में जाइये। किसान कहता है, सेंटलमेन्ट कराओ। राजस्थान की हुकूमत ने सेटलमेन्ट कराया। इसकी कई बातें हैं। सारे राजस्थान में ३२,२४० गांव हैं। इनमें से २० साल के बेसिस के आधार पर सभापति महोदया, १४८४६ गांवों का सेटलमेन्ट होना डयू है उनका यह सरकार सैटलमेन्ट नहीं करा सकी। इस आधार पर २०२० सम्वत् में और २०२१ और २०२२ में ६,२७५ गांवों का सैटलमेन्ट करना है, करना है, इसको भी नहीं करा सकी यह सरकार।

आज जो रेटें दी है सेटलमेन्ट की, उनके लिये रिविजन की व्यवस्था की है। वह भी यह हुकूमत पूरी नहीं कर पाती। तो आज वह किसानों से किस बात की उम्मीद करती है कि वे अन्न का उत्पादन बढ़ायें और हुकूमत के साथ हों। राजस्थान की हुकूमत के साथ नारे के साथ नारा लगाकर कैसे उत्पादन में सहयोग दे। हमारी सरकार इस बात को भी नहीं सुनती।

पर हमारी सरकार इन बातों को जरूर सुनती है कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को कम कैसे किया जावे। सन् १९५१

(श्री भैरोंसिंह)

और ६२ से पहले काम करने वाले एल. डी, सी. का इम्तिहान होता है ६४ और ६५ में। ६ वर्ष के बाद फिर उनको फेल किया जाता है और फिर बाद में २२५ कर्मचारियों की सर्विसेज को इस तरह से टर्मिनेट किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो ५६, ६० और ६१ से काम कर रहे हैं उनके लिये कायदा है कि भरती के ६ महीने के बाद टेम्पोरेरी रिक्रूटमेन्ट को कन्फर्म किया जावे। तो छः महीने के अन्दर अन्दर परीक्षा लेकर क्यों नहीं कन्फर्म किया गया। नहीं लिया, नहीं किया सरकार ने। इसका कोई कसूर यह अपना नहीं मानती। और इसका दोष भी उन गरीब कर्मचारियों पर डालती है। परिणाम यह हुआ कि जिसकी उम्र ५६ के अन्दर सरकारी मुलाजिमात में शामिल होने की थी ६४–६५ में सर्विसेज से टरमिनेट का नोटिस मिलने के समय ओवर एज हो गये। आज उनको दूसरी जगह नौकरी कौन देगा ? आपने उनको भिखारी बना दिया, वे अब किससे घर जावेंगे। जहां जावेंगे वहीं ओवर एज का प्रश्न पैदा होगा। आपको इसकी चिन्ता नहीं। आपको चिन्ता निकालने की है। नई भरती भी हो जावे, इसकी भी चिन्ता नहीं।

माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस स्टेट की लॉ और ऑर्डर की स्थिति अच्छी बताई। लॉ और ऑर्डर के बारे में कहा है कि राजस्थान में डाकू पकड़े गये। डाकुओं की संख्या देखते हुए उन्होंने बताया कि डाकू पकड़े गये २००। मेरे यह समझ में नहीं आता कि इस सरकार की ओर से डाकू पैदा करने की इन्डस्ट्री खोल दी गई है क्या ? ६१–६२ में १०७ डाकू पकडे गये, पांच मारे गये और २ ने आत्मसमर्पण किया। ६२-६३ में १०४ डाकू पकड़े गये, दो मारे गये और १० ने आत्मसमर्पण किया। ६३–६४ में ११६ डाकू पकड़े गये, दस मारे गये और २६ ने आत्मसमर्पण तिया। टोटल मिला कर ५६० डाकू हुए जो इन तीन सालों में पकड़े गये। इन ५६० में इस साल पकड़े गये २०० और। कुल ७६० डाकू हो गये। मैं पूछना चाहता हूं कि ७६० डाकू राजस्थान में पैदा कैसे हो गये। कभी आपने इस के कारण की जांच की है ? डाकू इतने पकड़े गये इसके फिगर आप देते हैं पर कभी ये फिगर्स देने की भी आपको चिन्ता हुई कि इस हुकूमत में जितने डाके डाले गये उनमें कितनी बरामदगियां हुई, कितने डाकुओं को सजा हुई। मैं दावे से कहता हूँ कि डाकू पकड़े गये दस पर्सेन्ट और बीस पर्सेन्ट से ज्यादा माल नहीं मिला।

कोटा के इलाके में से डाकू आदमी को उठाकर ले गये। दो लाख रुपया देकर उसकी छुट्टी कर दी गई। आप उसकी तफतीश करके आज दिन तक डाकूओं को पकड़ नहीं सके, न पैसा ही बरामद करा सके और कहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था बहुत बढ़िया है।

रतनगढ़ में शान्ति व्यवस्था थी। भीलवाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने न जाने किसके बहकाने से कुछ कह दिया पर जिन्होंने जाकर रतनगढ़ चुरू की

(श्री भैरोंसिंह)

प्रत्यक्ष हालत देखी है वे कह सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं वे यह नहीं कह सकते कि वहां जनता की गल्ती के कारण प्रहार हुए। यह मानकर चलें आप कि निरंकुश हो गई हैं यह हुकूमत। इस हुकूमत पर मन्त्रियों का रोब नहीं रह गया है। सरकारी अफसरो का रोब रह गया है और वे डंडे के बल से हुकूमत चलाते हैं। अफसोस केवल इतना है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी जो हमारी ही तरह जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारी ही तरह जनता में से निकलकर आते हैं वे जनमत की बात पर जन प्रतिनिधियों की बात पर विश्वास नहीं करते और उसके विपरीत एक मामूली से एल. डी. सी. लिख देगा, एक पटवारी लिख देगा एक मामूली हेड कॉन्स्टेबल लिख देगा, उसको ज्यादा वेट देंगे, उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। सुखाड़िया साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप यह मानकर चलिये कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका कोई जन्म जात ठेका नहीं है।

ये कुर्सियां बदल सकती हैं और यदि आपने जनता के प्रतिनिधियों की सरकारी अफसरों के सामने प्रतिष्ठा गिराई तो इसका परिणाम वही होगा जो प्रतापसिंह कैरो के गद्दी से चले जाने से हुआ। प्रतापसिंह कैरों गद्दी से चले गये, चले जाने के बाद उनके मकानों की तलाशियां ली गईं, बच्चों को पकड़ा गया, हैरान किया गया और इस पर कैरों साहब को यह कहना पड़ा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। पर मैं पूछूं कि यह किसने सिखाया? यह सब कैरों साहब ने सिखाया था कि जनता के प्रतिनिधियों के साथ यदि सरकारी अधिकारियों की तुलना हो तो सरकारी अधिकारी को वेट दिया जावे। उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर दी। उस समय तो वे गये। जिस गोली से वे गये और जिस तरह से गये उसका दुख है सब को। यह लोकतंत्र के लिये एक कलंक है। वे चले गये, पर पीछे वालों के लिये एक सबक छोड़ कर गये कि वे मुझसे सबक लें। जनता के प्रतिनिधियों को हैरान करेंगे तो क्या होने वाला है? जनता को परेशान करेंगे तो क्या होने वाला है? वे तो उस सबक को ले गये पर औरों के लिये उदाहरण छोड़ करके गये। आप उसको भी मानें, पर आप नहीं मान सकते, ऐसा लगता है।

सभापति महोदया, कैरों साहब की मृत्यु हुई, १२॥ बजे करीब गोली चलाई गई और जिस समय गोली चली, गोली की घटना के समाचार पत्रों में आये। सबको बड़ा दुख हुआ। सबने इसकी निन्दा की। इसे लोकतंत्र के लिऐ एक कलंक बताया। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने और गवर्नर महोदय ने और सभी पार्टियों के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलियां अर्पित की, इस घटना की निन्दा की। परिवार वालों के लिये सम्वेदना प्रकट की।

लेकिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनकी मृत्यु के बाद एक झंडी वाली गाड़ी उस सड़क पर से जा रही थी। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि कोई झंडी वाली गाड़ी नहीं थी। मैं ऐसा समझता हुं कि मैं यदि वह सारी घटना यहां नहीं रक्खूंगा तो अपने कर्त्तव्य को निभाऊंगा। मुझे जानकारी मिली है और मैं समझता

(श्री भैरोंसिंह)

हूं कि वह १०० प्रतिशत सही है। वह झंडी वाली गाड़ी और किसी की नहीं थी, राजस्थान के उपमन्त्री, श्री दिनेशराय डांगी, की थी। ढांगीजी उस गोलीकाण्ड के २५ मिनट बाद स्पोट पर पहुंचे। लोगों ने कहा कि कैरों साहब की हत्या कर दी गई है, आप यहां रुकिये और यह बतावें कि डाकू इधर जा रहे हैं, आप उनको पकड़वाइये। डांगीजी ने कहा कि उनको पकड़वाने का काम तो दूर रहा, लोग मुझे नहीं पकड लें। वहां से कार से झंडी उतार कर किष्किन्धा हुए और किष्किन्धा कहां हुए, सभापति महोदया ? लुधियाना ! और लुधियाना किसलिये ? नर्गिस का प्रोग्राम था वहां आज मैं ऐसा समझता हूं यदि....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): किसका कार्यक्रम था ?

श्री भैरोंसिंह : नर्गिस का।

सभापति महोदया, मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी क्रूर हृदय पुरुष ऐसा नहीं होगा। श्री प्रतापसिंह कैरों, पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, उनके बजाय कोई और भी व्यक्ति हो तो भी यदि कोई व्यक्ति मृत पड़ा हुआ मिल जाय तो अनुशासन का फर्ज है कि जब तक उस मृत व्यक्ति का कोई वारिस न आ जाय या जब तक उसकी रिपोर्ट पुलिस को न हो जाय तब तक वहीं खड़ा रहे, लेकिन हमारे राजस्थान के एक डिप्टी मिनिस्टर वहां से चले जायें और थाने में रिपोर्ट नहीं करायें और एक महिला जाकर पुलिस को इत्तला दे; यह हमारे प्रान्त के लिए एक कलंक की बात है। सभापति महोदया, मैं जो यह बात कह रहा हूं इसका माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पता है ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): मैं निवेदन कर दूं मुझे जितना मालूम है। उसके बाद मैंने डांगी जी से जानकारी की और उन्होंने बताया कि करीब पौन या एक घंटे बाद वे वहां से निकले थे और उस समय पुलिस वगैरह स्पोट पर उनको मिली थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता दूं कि जिस समय वहां पर डांगीजी थे उस समय पुलिस नहीं पहुंची थी और इसके आगे और भी बता दूं कि आप क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि उसमें आपके साले साहब के पुत्र श्री बसन्त कुमारजी थे। इस कारण आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात को तो बरदाश्त कर सकता हूँ कि आप डांगीजी के दुनियां भर में कारनामों को बरदाश्त करें आप इस चीज को बरदाश्त करें कि वह गांधीजी के निर्वाण दिवस पर मांस का प्रयोग करें, मैं इसको बरदाश्त कर सकता हूँ कि जहां उन्होंने मकान बनाया वह चाहे नगरपालिका की जमीन हो या सरकारी जमीन हो, मैं इसको बरदाश्त कर सकता हूँ कि बाली और देसूरी में रंगरेलियां मनायें, मैं इसको बरदाश्त कर सकता हूँ कि जोधपुर के सर्किट हाउस में गलीचे पर शराब पी कर उल्टी कर दें, लेकिन मैं

Page No 87

(श्री भैरोंसिंह)

इसको बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जिस व्यक्ति ने राजस्थान के नाम को कलंकित कर दिया इस घटना से कि प्रतापसिंह कैरों सड़क पर मरा हुआ पड़ा रहे और वह नर्गिस को देखने चले जायें। इससे बड़ा कलंक राजस्थान के लिए और नहीं हो सकता। इस कलंक को हटाने का केवल मात्र एक तरीका है और वह यह है कि सुखाड़िया साहब इस मरी हुई बंदरिया के बच्चे को छाती से मत चिपकाओ और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक्शन लें। लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, यह मुझे मालूम है। क्योंकि आपका कुछ वतीरा इस प्रकार का है कि शासन में हर प्रकार से ज्यादतियां की जायें।

सभापति महोदया, ज्यादतियां कैसी हों, किस प्रकार की ज्यादतियां की जायें, मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। राजस्थान में एक महिला है वह जयपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार की अध्यक्षा है। माता स्वरूप रानी नेहरू-सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जयपुर जो कि महिलाओं की केवल मात्र एक संस्था है उसकी अध्यक्षा हैं। राजस्थान स्टेट कन्ज़्यूमर्स कोआॅपरेटिव स्टोर्स कोआॅर्डीनेशन कमेटी जिसके अध्यक्ष उप-मंत्री तथा आई. ए. एस. आॅफिसर सदस्य हैं, यह भी उसकी सदस्या हैं, बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स-राजस्थान राज्य सहकारी औद्योगिक संघ जिसके अध्यक्ष रजिस्ट्रार हैं उसकी भी सदस्या हैं। इसके अलावा बनी-पार्क बाल निकेतन सोसाइटी की संस्थापिका, मंत्री हैं जिसके अध्यक्ष श्री नाथूरामजी मिर्धा हैं। राज्य से मान्यता प्राप्त हैं और सरकारी सहायता पिछले आठ वर्ष से मिलती है। वे जयपुर जिला खाद्य सलाहकार समिति की सदस्या भी हैं, सन् ६०,६१,६२ में प्रदेश कांग्रेस की निर्विरोध सदस्या भी चुनी गई। सन् ६०-६१, और ६२ में जयपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की सदस्या रहीं और हवाली शहर (किशनपोल) मण्डल की अध्यक्षा भी रहीं। १९६२ के अन्दर जयपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस द्वारा किशनपोल के लिए नाम प्रस्तावित किया गया और सन् १९६२ में जिस क्षेत्र से सुखाड़ियाजी जीत कर आये हैं वहां से ५ कांग्रेस के लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसी महत्वपूर्ण हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस महिला का चालान किया गया, किस जुर्म में ? इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट में पुलिस ने चालान किया और किसके गृह मंत्रित्व में किया गया ? राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के गृह मंत्रित्व काल में। मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं सुखाड़िया साहब कि आपने उस महिला का चालान इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट में करवा दिया। मैं इस बात की निश्चित रूप से दाद देना चाहता हूं कि आप ऐसी महिलाओं से बहुत स्नेह रखते हैं, बड़ा आपका प्यार है और जब भी आप कभी सफर में जाते हैं तो तत्काल कष्ट भी बरदाश्त करके उसको समय देते हैं चाहे, नाथद्वारा में पत्थर फेंके जायें या रोहतक में। चाहे आपको कष्ट हो जाये फिर भी आप महिलाओं को समय देते हैं। मैं इसकी तो दाद देता हूं लेकिन मैं आपको बता दूं कि चालान इस बात के लि

Page No 88

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं था। चालान इस बात के लिए किया गया कि उदयपुर से कांग्रेस के लिए, सदस्य कैसे खड़ा करने के लिए नाम कैसे प्रस्तावित करा दिया। चालान उसका इसलिए कराया कि उनके साथ रहने वाले श्री बजरंगलाल शर्मा का ४२० का मुकदमा है उसमें गवाही कैसे दें। चालान उसका इसलिए कराया गया कि श्रीमती पुष्पा शर्मा ने क्रय-विक्रय संघ की पोल किस तरह से खोली। आपने उसको बुलाकर धमकाया, बजरंगलाल शर्मा को बुलाकर धमकाया लेकिन गवाही दे दी गई। धमकाने की बात का कोई असर नहीं हुआ तो इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट में चालान कर दिया गया और सभापति महोदया, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि कोर्ट ने उस महिला को यह कह कर बरी कर दिया कि इस महिला का जो सोशियल स्टेट्स है वह इसका तकाजा नहीं करता कि उसका इम्मोरल ट्रेफिक में चालान होगा।

यह फैसला देकर भी उसने सुखाड़िया साहब को बचाया और बचाया इसलिए कि जिस समय नोटिस दिया गया तो वहां कोई दर्ख्वास्त दस्तखत की हुई नहीं थी। बिना दस्तखत की दर्ख्वास्त पर चालान किया। ट्रान्सफर एप्लीकेशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और एफीडेविट के साथ जो बातें कह रहा हूं वह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। मैं सुखाड़िया साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एप्लीकेशन में सारे चार्जेज़ लगाये गये हैं वे किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जेज़ नहीं लगाये, वे मुख्य मंत्री महोदय के खिलाफ चार्जेज़ हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उसका स्पष्टीकरण कर दें। लेकिन डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में फंस गये तो हालत खराब होगी और उससे कैसे बचा जाये तो उस कोर्ट के जज को कहते हैं कि तुम तो नोटिस को खारिज कर दो। श्री सतीशचन्द्रजी कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट जिस समय फैसला लिख रहा था उस समय ५–५ मिनट में फोन हो रहे थे और रात को ७ बजे फैसला दिया गया। जबकि कोर्ट्स ४ बजे बन्द हो जाती हैं, फैसला ७ बजे दिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि इस मामले में शुरू से अंत तक राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की क्या कार्यवाही रही? मैं कहना चाहूंगा कि सहकारी विभाग ने इसमें कोई कसर छोड़ी हो, ऐसी बात नहीं है। आपने ६ महीने पहले नोटिस दिया कि इस बोर्ड को भंग किया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक क्या हुआ? ६ महीने के बाद दूसरा नोटिस और पहले वाला नोटिस गायब। क्रय-विक्रय संघ का क्या किया, उस पर आप चुप क्यों है? आखिर किसके घोटाले ज्यादा हैं; उपभोक्ता भण्डार के या क्रय विक्रय संघ के? मानी हुई बात है कि क्रय विक्रय संघ इसमें बाजी ले जाता है। लेकिन उसको नोटिस नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदया, कि राजस्थान का पुलिस विभाग, राजस्थान का सहकारी विभाग, राजस्थान का मजिस्ट्रेट यह सब इस कॉन्सिपिरेसी में शामिल होकर एक व्यक्ति को किस प्रकार से दबाया जाये, इस बात की चेष्टा की और यह इसका प्रमाण है कि जिस पर सुखाड़ियाजी को त्यागपत्र देने की मांग की जाये और मैं तो राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनको हटा दें।

(श्री भैरोंसिंह)

आज एक महिला के साथ यह घटना हो सकती है, कल दूसरी के साथ हो सकती हैं और परसों तीसरी के साथ हो सकती है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्तियों को नहीं रोकेंगे तो माननीय सदस्यों को यह समझ कर चलना चाहिए कि राजस्थान की हुकूमत के हाथों वे सुरक्षित नहीं हैं। आज किसी के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है।

पिछले दिनों बड़ा शोर मचाया गया था कि हमने बीकानेर के रामरतन कोचर को गिरफ्तार किया। सारे अखबारों में प्रशस्तियां निकलीं राजस्थान के उस समय के गृह मंत्रीजी की। उस प्रशस्ति को लेकर हमने भी सदन में तारीफ की उनकी कि भाई बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उस केस का जो जजमेंट हुआ है सभापति महोदया, अब पढ़ने में तो उसको बहुत समय लगेगा लेकिन जजमेंट में पुलिस पर जो स्ट्रिक्चर्स पास किये गये हैं वे ये पास किये गये हैं कि वहां के एस० पी०, सी. आई. और एस. आई. तीनों के खिलाफ, जब केस रजिस्टर्ड हो गया डाकुओं को पनाह देने का और स्मगिलग का तो इस केस से पुलिस को कैसे मुक्त कराया जाय, केवल मात्र तरीका यह था कि इस केस को दुनिया भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करा रहे हैं। श्री रामरतन जी कोचर, तो उनको गिरफ्तार किया जाय। मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि केस फेब्रिकेटेड है, मोटिवेटेड है और झूठा है और जानबूझ कर उस व्यक्ति को बदनियती से फंसाने के लिए यह किया गया है। यह सेशन्स कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला नहीं है लेकिन राजस्थान की हुकूमत हाई कोर्ट में नहीं गई है। पुलिस की तरफ से लिखा गया कि अपील की अनुमति दी जाय तो सुखाड़ियाजी की तरफ से लिखा गया कि अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं. महाराज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है तो जिन लोगों ने, पुलिस के लोगों ने, झूठे मुकदमे बनाये हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?और आपके जो साथी थे उनके खिलाफ नहीं लिया गया। या तो आपको पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और यदि नहीं लेते हैं तो आपको अपील करना आवश्यक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि हम सुरक्षित है।

चार-पांच दिन पहले हमने हमारे एक मित्र श्री हरदत्तसिंहजी को श्रद्धांजली अर्पित की। बड़ा शोक है कि वे हमारे बीच में नहीं है। सभापति महोदया, आपने एक बार समाचारपत्र में पढ़ा होगा कि श्री हरदत्तसिंहली पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई, बात क्या है? तो पहले तो बताया नहीं, लेकिन अभी एक महीने पहिले मैं, मानिकचन्द सुराणा, केदारनाथजी, मुरलीधर व्यास ने बाद में पूछा कि बात क्या है?तो वे कहने लगे कि बात सही है। यह कैसे पैदा पैदा हुई ? उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में जिस समय अस्वस्थ थे तो चौधरी कुम्भाराम जी मेरी तीमारदारी के लिए आया-जाया करते थे। मैंने कहा कि आपके उनके तो झगड़ा है, तो कहने लगे कि झगड़ा किसी आगे के लक्ष्य को सामने रखकर मिटाने

(श्री भैरोंसिंह)

का यह पूर्वाभ्यास है। उस समय उनके दिमाग पर यह असर पटका गया कि एम. एल. ए. रहोगे तो मर जाओगे, इसलिए त्यागपत्र दे दो और सीट खाली करदो और मुझे मौका दो। उसके बाद स्थिति क्या होती है, सभापति महोदया, कि उनको राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी के पास ले जाया गया और इस्तिफे के बाद यह तय होगा कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चैयरमैन बनाया जायगा। यह भी निश्चित हो गया लेकिन रात में आने के बाद उनके दोस्तों ने उनको बताया कि कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर नहीं बनाया जायगा तो सुबह ही, सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष को उन्होंने एक पत्र लिखा कि मेरे नाम से एक त्यागपत्र आने वाला है उसको मंजूर नहीं किया जाय क्योंकि वह मैंने धोखे से दे दिया। ये राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर नहीं बनायेंगे।

इतना ही नहीं आगे का किस्सा और भी खतरनाक है। त्यागपत्र नहीं दिया तो खूब पर्सुएड किया गया कि त्यागपत्र दे दो। त्यागपत्र नहीं दिया गया। वे नौहर गये तो नौहर में उनके पास दो व्यक्ति हथियारबन्द पहुंचे और कहा कि तुम्हारा ट्रेक्टर खरीदना है तो उस ट्रेक्टर को बता दो। उनका विचार था कि ट्रेक्टर में बिठा कर कहीं चलें और इनके गोली मार दें। संयोग से बरसात आ गई। वे जयपुर आये तो जयपुर आते ही टेलिग्राम आ गया कि जयपुर से हिलना मत, नहीं तो मार देंगे और बाद में पता लगा कि दो डाकू मफरूर रोहतक या हिसार के उनके मकान पर मास्टर बन कर पहुंचे। यह मैं ही केवल नहीं कहता हूं, उन्होंने स्वयं ने माननीय मुख्यमन्त्रीजी से लिखित में यह शिकायत की है। तो उन्होंने श्री सन्तराम शर्मा को वहां नियत किया था। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री को कहूंगा कि वे सारे कागजात सदन की मेज पर रखे जायं ताकि हम यह देखें कि हमारे एक स्वर्गीय साथी के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है।

सभापति महोदया, राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं, राजस्थान में इस प्रकार के केसेज़ कब हुए ? राजस्थान में हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम ऐसी आर्थिक प्रणाली लाना चाहते हैं जिससे कि समाजवादी समाज-व्यवस्था की स्थापना होगी। "यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि एक प्रशासन जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है, कुशलतापूर्वक चले, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो तथा निर्विवाद रूप से सत्यनिष्ठ हो।" इस हुकूमत के लिए ये शब्द नहीं लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। यह हुकूमत न तो कर्त्तव्यनिष्ठ है और न सत्यनिष्ठ है, यह तो स्वार्थनिष्ठ है। इसके स्वार्थ जहां पड़ते हैं तो वहां पर पूरी तरह से जनता का नाम लेकर अपने स्वार्थों को पूरा करती है। ऐसी हालत में इस विधान में, सभ ासभापति महोदया, एक मेम्बर जमुआ रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने कुछ आरोप लगाये थे एक मन्त्री पर और वे आरोप किस बात के लगाये थे कि

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्री महोदय स्थानान्तरण के अन्दर, डॉक्टर्स के स्थानान्तरण में पैसा लेते हैं और उस समय वे मन्त्री महोदय तत्काल खड़े होकर कहने लगे कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाऊंगा। मैंने उसके बाद जांच करने की कोशिश की कि आखिर ट्रांसफर्स में गड़बड़ क्या है? मेरे पास उसकी कम्प्लीट लिस्ट है—

१. श्री के० सी० पारीख के २६-७-६१ से २६-१०-६२ तक चार बार ट्रांसफर्स हुए।

२. ६२-६३-६४ में श्री रामस्वरूप सिंगल के चार बार ट्रांसफर्स हुए।

३. श्री एस. एस. देवड़ा के ७ बार ट्रांसफर्स हुए, ३-७-६१ से २१-५-६४ तक।

४. श्री मोहम्मद हबीब के ८ बार ट्रांसफर्स हुए, दो वर्षों में।

५. श्री श्यामलाल के दो वर्ष में तीन बार ट्रांसफर्स हुए।

६. श्री सुल्तान मिर्जा के ६ बार ट्रांसफर्स हुए, दो वर्ष में।

यह लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। इसको आप देखें तो डॉक्टर्स का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वहम होता है और वहम होता है इसलिए कि सदन में यह कहकर कि प्रिविलेज मोशन लाऊंगा वे प्रिविलेज मोशन नहीं लाये। सत्ता और उच्चतम अधिकार प्रिविलेज मोशन की धमकी का दुरुपयोग किया गया। क्यों नहीं प्रिविलेज मोशन मूव किया गया? यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, आज सदन में प्रिविलेज मोशन लाने की हिम्मत नहीं है। उनके पेट में काला है यह इस बात ने प्रमाणित कर दिया। डॉक्टर्स के ट्रांन्सफर्स की लिस्ट राजस्थान के मुख्य मन्त्री मंगा लें डाइरेक्टोरेट से कि मन्त्री महोदय के आने के बाद में एक एक डाक्टर के स्थानान्तरण के बारे में कितनी बार आदेश जारी किये गये हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन का, जिस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि पैसा खाकर डॉक्टर्स के ट्रांसफर्स किये हैं ऐसा मन्त्री महोदय को राजस्थान की विधान सभा से निकाल दिया जाना चाहिए।

यह हमारी और आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सदन में किसी चीज को चुनौती दें और चुनौती के अनुरूप उसको कार्य रूप में परिणत न करें, ये दोनों चीजें एक साथ चलें, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है लेकिन माननीय मुख्यमन्त्रीजी की आदत है कि वे बातों को हजम कर जाते हैं। जिस समय सदन में कोई जोरदार बात उठती है उस समय वे कह देते हैं कि अमुक कॉम को मैं करने वाला हूं और उसके बाद उस काम का पता नहीं। हरिदेव जोशी की जमीन के मामले में क्या हुआ? तीन वर्ष पहले यह मामला उठा

(श्री भैरोंसिंह)

था तब आपने यह आश्वासन दिया था कि आप जांच करेंगे। क्या हुआ उसका ? उसी प्रकार से शाहबाद के मामले में आपने प्रोमिज किया था कि उसकी जांच की कार्यवाही हम करा रहे हैं। उस मामले में कुछ नहीं किया गया। श्री एस० के० डे ने जो जमीन पर कब्जा कर लिया है उसके बारे में आपने कहा था, उसका नहीं किया। इसके साथ साथ कौल साहब के ऊपर शराब की दूकानों के लाइसेन्स का झगड़ा चला, उसके बारे में आपने कहा था कि स्वयं कागज देखूंगा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। आपने खादी बोर्ड के बारे में समिति नियुक्त की, मगर उसको आज तक अधिकार नहीं दिया। मैंने कई बार कहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं। डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स में समझता हूं, हिन्दुस्तान में ऐसा कोई केस नहीं होगा लेकिन उसके बारे में भी कोई जरूरत नहीं जब तक राजस्थान में सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री हैं। वह सुबह उठ कर भगवान की सेवा पूजा का नारा नहीं लगाता है लेकिन सुखाड़िया-जी का नारा लगाता है। उनके खिलाफ चैप्टर के चैप्टर भर गये, चार्ज शीट की भी कमी नहीं लेकिन वे अब तक हेड ऑफ दि डिपार्टमेंट चल रहे हैं। सुखाड़ियाजी हैं तब तक परवाह नहीं।

कोटा ट्रान्सपोर्ट में आपके २ लाख के शेयर्स हैं, गाड़ियां बेची गई, जिनकी ५ लाख की बिक्री बुधसिंह बापना हजम कर गये। आपने सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इसका कुछ नहीं हुआ।

इसी तरह खंड बावड़ी के मामले में पंचायत की जमीन बेच दी, पुलिस में रिपोर्ट हुई, अदालत में रिपोर्ट हुई, उसका कुछ नहीं हुआ।

इसी तरह जोधपुर की फिजीकल ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में हरिभाऊजी ने कुछ दिन पहले पत्र मुझे दिया था कि जांच करूंगा लेकिन जांच कब होगी, कौन करेगा इस बारे में सभापति महोदय, कोई जानकारी नहीं।

अब मैं एक बात कहना चाहूंगा लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में वह क्या है। मैं कुछ दिनों से यह महसूस करके चल रहा था कि राजस्थान में व्यवस्था की कोई बात नहीं और यह महसूस करके चलता था कि राजस्थान में पाक स्पाइज़ की हलचलें इतनी बढ़ी हुई हैं जिसके बारे में राजस्थान की हुकूमत को मालूम होगा। मैं उन बातों को रिपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ जो नाथद्वारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कही हैं पर उनके अलावा और भी कई बातें हैं जिनको मैं यहां बताना नहीं चाहता लेकिन एक पाकिस्तान का रहने वाला मुहम्मदखां सन् ६१ में पुलिस में सिपाही भर्ती किया गया, सन् ६३ में वह हेड कांस्टेबल बना और सन् ६३ में ही उसकी नियुक्ति जयपुर में हो गई और ३ महीनों पहले वह अचानक पकड़ा गया पर उसके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं किया गया और उसको पकड़ कर बाड़मेर ले गये और गडरारोड से पाकिस्तान में धकेल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ५ वर्ष तक पाकिस्तान का नागरिक किस तरह से पुलिस में नियुक्त होकर रहा और

Page No 93

श्री (भैरोंसिंह)

उसके खिलाफ मुकदमा चलाये बिना कैसे उसको भेज दिया ? कौन उसका समर्थक है ? कौल साहब के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा रोकने की क्यों व्यवस्था की जा रही है ? सारी चीजें चाहे राष्ट्रीय हित के खिलाफ हों, चाहे समाज विरोधी हों पर वे यदि कांग्रेस के हित में है और सुखाड़ियाजी के हत में हैं तो बर्दाश्त की जा सकती हैं।

पाकिस्तान से एक किताब निकली है। जिस तरह से नेहरूजी ने डिस्कवरी ऑफ इन्डिया निकाली थी उसी तरह से पाकिस्तान के अहमद अजीज ने डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान नाम की किताब लिखी है जो पढ़ने लायक है। उसमें हिन्दुओं को किस प्रकार पोइन्ट आउट किया है, नेहरूजी के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। राजस्थान में मुसलमानों पर वहां की पुलिस और फौज ने किस प्रकार के अत्याचार किये हैं, यह सब इस किताब को पढ़लें, तो पता चलेगा। यह किताब इसलिये लिखी गई है कि हिन्दुस्तान में अराजकता फैले और मुसलमानों में अविश्वास पैदा हो और हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जायं। मैं एक चैप्टर जो सबसे सीरियस है वह हैं हिन्दुओं के बारे में, वह पढ़कर सुनाना चाहूँगा उसमें लिखा है : " 'Hinduism neither was and nor is a religion; nor is it an institution, a creed or a doctrine. 'Hindu' is a word of Persian language (not Sanskrit), meaning an inhabitant of Hind (India); black; thief. The various tribes living on the borders of the Indus Valley were addicted to theft and often pillaged the caravans...... "

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह किताब प्रेस्काइब्ड है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किताब पब्लिक लाइब्रेरी में शोभा दे रही है, वहीं से लाई गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किताब ऑफिशियली प्रेस्क्राइब्ड है क्या गवर्नमेन्ट की तरफ से ?

श्री भैरोंसिंह : प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। इसमें लिखा है-"......pillaged the caravans that used to traverse on the trade-routes between India and Persia. Those thieves and robbers, residing, as they were within the borders of 'Hind' were in 'slow process of time called by the contemptible name of 'Hindu'. The name or the epithet of Hindu signified thiefish character. The Persians and Rajputs employed the appellation of 'Hindu' as an abuse. As often as they expressed their most bitter contempt of a mean person they called him a 'Hindu' and in this name was included 'whatever is base, whatever is cowardly, whatever is perfidious; the extremes of meanness and avarice, and every vice that could prostitute the dignity of human nature."

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदया, यदि आपकी अनुमति हो और समय का तकाजा नहीं हो तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू के बारे में लिखा है वह भी मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। नेहरूजी के बारे में यह लिखा है :

"Mountbatten arrived in Delhi on March 22, 1947. The first politicians he received was the Brahman Nehru. The artful Brahman flattered the vanity of the royal sailor, seized the ungarded moment to poison the Viceroy's mind and by the arts of deceit and cunning converted the mediator into a 'partisan'. Before Nehru left, the new Viceroy pledged, "Mr. Nehru, I want you to regard me not the last Viceroy winding up the British Raj; but as the first to lead the way to a new India". The Brahman Press lavished homages of praises and raised him to the stature of an Aryan god. At the same time every avenue of the Viceroy's House was assaulted with gold and, under the decent names of 'presents' and 'gifts', the dignitaries were bribed according to the measure of their rapaciousness. The attachment of Lady Mountbatten to the Brahman, which has attracted the world's notice, overleaped the bounds of modesty and caution and has deserved her the name and honours of Brahman goddess except that, instead of the votary moving to the feet of the goddess for offering an annual tribute, the goddess moves to the votary."

आगे और भी काफी भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है.........

श्री सभानेत्री : यह पुस्तक प्रिन्ट कहां हुई है ?

श्री भैरोंसिंह : पाकिस्तान में लाहौर, पेशावर और करांची में। इस प्रकार की पुस्तक पाकिस्तान में प्रकाशित होकर हिन्दुस्तान में बिके, यह इस बात का सुबूत है कि राजस्थान की हुकूमत और भारत की हुकूमत सतर्क नहीं है। इस प्रकार की पुस्तक से हिन्दुस्तान के हिन्दुओं के प्रति पाकिस्तान के मुसलमानों में घृणा उत्पन्न की जाती है। इस बात की कोई चिन्ता नहीं की जाती है, उसकी मुझे चिन्ता नहीं। अभी पाकिस्तान से एक एट्लस निकला है वह काफी मोटा है, इसलिये मैं लाया नहीं हूं उसमें वर्ल्ड के रिलीजियन्स बताये है। उसमें हिन्दुस्तान का मेप भी दिया है जिसमें हिन्दुस्तान के रिलीजियन बताये हैं, पाकिस्तान के मेप में पाकिस्तान के रिलीजियन बताये हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिन्दुओं का उल्लेख नहीं है और न उसके लिये कोई कलर डिपिक्ट किया है लेकिन हिन्दुस्तान के मेप में यह दिखाया है कि हैदराबाद में मुस्लिम धर्म अधिक है, जूनागढ़ में मुस्लिम ज्यादा हैं, बम्बई में मुसलमान ज्यादा हैं। यह तो कोई इसलिए नहीं किया गया कि लोग इन चीजों को जानते नहीं। लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं और जान कर, समझ कर कि हिन्दुस्तान की हुकूमत में इतनी अक्ल नहीं है इसलिए जो नक्शे बनाये जा सकते हैं वे

(श्री भैरोंसिंह)

बनायें और वे भी राजस्थान में काफी मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान की हुकूमत है जिसको अब जनता नहीं चाहती, यह राजस्थान की हुकूमत है जिसको सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते और इसलिए नहीं चाहते कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों को लेकर, सभापति महोदया, आज तक लोग रिप्रेजेंटेशन करते थे। लेकिन अब राजस्थान के गरीब कर्मचारी गाड़ियों और रेलगाड़ियों के नीचे आकर आत्म-हत्या करते हैं। वे इसलिए करते हैं कि पदोन्नतियों के मामलों के अन्दर उनके साथ न्याय नहीं किया गया।

आप नाम जानना चाहें, जो अजमेर के एक अध्यापक, जगदीश मेहरा, जिसको अपोइन्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट चूरू में, जिनको नशीली चीजें खिला खिला कर फोटो ले लिये गये, उनको परेशान किया गया। वह दौड़ कर अजमेर आया और शिक्षा अधिकारी से मिला। लेकिन उसको सुना नहीं और डिमोट कर दिया गया। डिमोट होने के बाद वह रेल के नीचे आ गया और जेब में एक खत छोड़ गया जिसमें लिखा था कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अन्याय के कारण से मैंने आत्म-हत्या की है।

सभापति महोदया, अन्याय चरम सीमा में राजस्थान में, यहां राजस्थान की २६ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए प्रमोशन और फिक्सेशन के सोलह वर्ष बीत जाने पर भी इस हुकूमत ने नियम नहीं बनाये हैं। राजस्थान में लगभग ३२३ ऐसे कर्मचारी हैं जो १९६३ के पहले से सस्पेन्शन में पड़े हैं। उन सबकी राजस्थान की हुकूमत को कोई चिन्ता नहीं है और जो प्रोमोशन देते हैं, पी० डब्ल्यू० डी० में इन्जीनियर्स को प्रोमोशन देते हैं उसके लिए एक शानदार कमेटी बनी। लोगों की जांच हुई और नम्बर दिये गये। और नम्बर देने में और नम्बर जोड़ने में गलती की गई, साठ वाले को साढ़े इक्सठ और साढ़े इक्सठ वाले को साठ। जिन इन्जीनियर्स की सर्विस उस सिलेक्शन कमेटी के पर्व्यू के बाहर थी और उनका सिलेक्शन किया गया जिनकी सर्विस शीट खराब थी और जिनकी सर्विस शीट अच्छी थी उनको एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के पद से डिमोट किया गया और असिस्टेन्ट इंजीनियर बना दिया गया और जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर की पोस्ट डिजर्व नहीं करते थे, बल्कि जिनकी सर्विस शीट्स खराब थीं, उन इन्जीनियर्स को, सभापति महोदया, प्रोमोशन दिया गया। इन्जीनियर्स ने देखा-पोल है। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की। हाई कोर्ट में रिट करके उन्होंने चार्ज लगाया कि राजस्थान के चीफ इन्जीनियर ने सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर से एक एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर की सर्विस शीट को खराब कराया। इसका हलफनामा पेश किया गया और सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर के ऊपर दबाव डाला गया कि उस एफीडेविट के ऊपर काउन्टर-एफीडेविट पेश करे और वह एफीडेविट पेश किया गया। उसको वापिस लिया गया और वापिस ही नहीं लिया, राजस्थान की हुकूमत ने हाई कोर्ट में यह स्वीकार किया कि प्रोमोशन में गलती हुई

(श्री भैरोंसिंह)

है। हाई कोर्ट इसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास करती है क्योंकि प्रोमोशन में लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया। सभापति महोदया, यदि मुख्य मंत्रीजी चाहें वह मार्क-शीट है जिसमें नम्बर गलत जोड़े गये हैं और उसमें काट-फांस की गई है उसकी फोटोएस्ट कॉपी मेरे पास है। उन्होंने स्वयं भी उस फाइल पर नोट लगाया था कि जिन लोगों के खिलाफ एड्वर्स एन्ट्रीज है और जिनको कॉम्युनिकेट नहीं किया गया है उनको इस आधार पर डिमोट नहीं किया जाय। लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई और लोगों की सर्विस शीट खराब की गई और उनको डिमोट किया गया, इस तरह अन्याय किया गया कमेटी के नाम पर। आज लोग हैरान होते हैं। उन लोगों के साथ न्याय या अन्याय होता है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जिस व्यक्ति ने राजस्थान के इन्जीनियर्स की सर्विस-शीट खराब की, जिसके द्वारा नम्बरिंग में गलती की गई और लोगों के साथ पक्षपात किया गया राजस्थान में हाई कोर्ट में सरकार को नीचा दिखाया, केस की पैरवी करने में गरीब जनता का हजारों रुपया खर्च कराया—उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है ? वह एक्शन भी आप नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में इस हुकूमत के बारे में, सभापति महोदया, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि सुखाड़ियाजी तो दिल्ली जाने वाले हैं। यह मैं यह नहीं कहता। मैंने भी यह सुना है और कांग्रेस के एक सदस्य के मुंह से सुना है कि सुखाड़ियाजी दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा, नहीं जा रहे हैं। तो नहीं साहब, मेरे से बात नहीं कही, लेकिन जिनसे कही, उन्होंने कहा—नहीं जा रहे हैं; नहीं जायं, भाड़ में जायं। हमें क्या है...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मर्जी आये सो कहते जाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप जो कह रहे हैं, यह एक इन्सीनुएशन है, एक मेम्बर के नाम पर कह रहे हैं। आपको साफ नाम बताना चाहिये और लिहाज नहीं करना चाहिये।

(विराम)

बात सुनिये, I Understand.

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप जानते हैं उनका नाम ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सदन के लिए काफी महत्व की बात है। तो, इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार आपस में मेम्बर इन्सीनुएशन लगायें तो उन मेम्बर का कर्त्तव्य है कि वे सीधा नाम लें। इस तरह जो आप एक धुंआ उठाते हैं और उसके नीचे आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप एक एटमोस्फियर क्रियेट करना चाहते हैं, धुंआ उठा कर सत्यता लाने के लिये इस प्रकार असत्य वाचन को अपने लिये काम में लाना चाहते हैं। इसलिये ठीक है कि आप उसका नाम बतावें और इस तरह की गैर-वाजिब प्रेक्टिस को हमेशा के लिये छोड़ दें।

श्री भैरोंसिंह : आपका नाम नहीं है। आप चिन्ता क्यों करते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सदन के सब सदस्यों के लिये कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन के सब सदस्य इन्कार कर दें कि किसी ने कहीं कहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदया....

श्री भैरोंसिंह : कोई इन्कार कर दे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन को स्कूल की तरह काम में लें और इस तरह सदन में बात करें, जो प्रोप्राइटी के खिलाफ है। आप नाम ले दें और फिर कहें कि सदन के सदस्य इन्कार करते जायं। इस तरह आप सदस्यों के साथ बर्ताव करते हैं—यह गलत है और मैं आपको कल जवाब दूंगा, जो आप कह रहे हैं।

(हिअर, हिअर)

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके लिये सदा तैयार हूं।

तो ऐसी हालत है।

(विराम)

मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अब खत्म करता हूं।

ज्यादा अच्छा यह है कि हम सब आपके कारनामों से अच्छी तरह सन्तुष्ट हो चुके हैं, आप कहीं जाइये। ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी दस वर्ष की प्रशस्तियां लें। सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से नेहरूजी के ऊपर पुस्तकें नहीं निकलतीं लेकिन आपके लिये निकलनी चाहिये। यह भी खर्च करें। जाते वक्त तक जो खर्च करेंगे उसे बरदाश्त करेंगे, स्पेशल डिमाण्ड आयेगी तो उसको भी स्वीकार करेंगे। लेकिन पधारिये। इसलिये पधारिये कि ज्यादा दिनों टिकने से यह स्वाभाविक हैकि कुछ खराबियां आती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कहां भेज रहे हो ? वहां तो और बरबादी करेंगे। कहां भेज रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो मैं विश्वास नहीं करता हूं।

ऐसी हालत में मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदया...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उसको भी बिगाड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत राज्य के बारे में दो मिनट में कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

पंचायत समितियों के पंच और सरपंचों के चुनाव हुए। राजस्थान में ७३८५ पंचायतें है और ८० हजार पंच चुने गये हैं। राजस्थान में पंचायत समितियां २३२ हैं और २३२ पंचायत समितियों के लिये हर आदमी मान कर चलता है कि पंच, सरपंच और पंचायत समिति के इलेक्शन में एक पंचायत के ऊपर एक लाख से कम खर्च नहीं हुआ है। बल्कि

(श्री भैरोंसिंह)

हिज् हाइनेस झालावाड़ स्वीकार कर सकते हैं कि कोटा की सालोदा पंचायत के चुनाव पर १ लाख खर्च हुआ है। खानपुरा के पास सालोदा। २३२ पंचायत समितियों पर २३२ लाख रुपया राजस्थान की गरीब जनता का खर्च करवाया, इसके लिये दोषी कौन है? दोषी हम भी हैं, इससे हमें इन्कार नहीं है......

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : दोषी इसलिए हैं कि केलकुलेशन गलत होगा। दूसरे केलकुलेशन गलत होने का कारण यह था कि रात के ग्यारह बजे तक बैठ कर कानून पास करना पड़ा और वह रोंगफुल कन्फाइनमेंट में करना पड़ा। उसका परिणाम यह था कि २३२ लाख खर्च करके ८० हजार पंच, सरपंच का ईमान लिया गया, क्रय-विक्रय हुआ, रोंगफुल कन्फाइनमेंट हुआ और एबडक्शन का नेशनलाइजेशन किया गया......

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने नहीं किया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इसलिये इनको बनाया गया।

श्री भैरोंसिंह : इसकी कोई चिन्ता नहीं। ऐसी हालत में कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते हैं कि बहुमत बना कर आये, जिला परिषद् में जीते और पंचायत समिति में जीते। मैंने जिलेवार इसके आंकड़े तैयार किये हैं। इसीलिये यह बताने की जुर्रत रखता हूं कि लोगों ने चुना है, उन्होंने पंचायत राज के प्रति अविश्वास प्रगट किया है, आपके पुराने सरपंच थे जो चुनाव में खड़े हुए थे उनमें से २८ प्रतिशत जीते हैं ७२ प्रतिशत हारे हैं। ये हारने वाले भी कांग्रेसी हैं......

श्री रघुनाथ विश्नोई : खड़े भी नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह : हारने वाले सरपंच थे, उनको हरा कर पंचायत राज्य में अविश्वास प्रगट किया और कांग्रेस जीती तो प्रजातंत्र की लाश पर पैर रख कर, धन के ऊपर, अनैतिकता के ऊपर। और आप खुशियां मनाते हैं। यह कांग्रेस को मुबारिक हो, हम खुशियां नहीं मनाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खर्च करने को कहा किसने था?

श्री भैरोंसिंह : जिनको ८८ लाख रुपये पूंजीपति दें वह सरकार आसानी से जीत सकती है। इसका मुझे दर्द नहीं है। ऐसी हालत में सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की हालत खराब है, राजस्थान के सामने अन्न की समस्या है, राजस्थान के सामने मंहगाई की समस्या है, राजस्थान के सामने प्रशासन की समस्या है, राजस्थान के सामने मजदूरी की समस्या है, ये सब इस बात को साबित करती हैं कि राजस्थान परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया है। यह हुकूमत फेल होगी और राजस्थान की जनता तबाह होगी।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है और जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है . मैं उसका विरोध करता हूँ और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको पारित नहीं किया जावे ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गिरधारीलाल व्यास ।

(श्री दिनेशराय डांगी अपना स्पष्टीकरण करने खड़े हुए)

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई) : सभापति महोदया, श्री भैरोंसिंह जी ने मेरे बारे में अभी जो कुछ कहा है वह अपनी आदत के अनुसार झूठ कहा है । वे सदा झूठ बोलते हैं और उनकी आदत झूठ बोलने की पड़ी हुई है उसी के अनुसार कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : आप अपना स्पष्टीकरण दीजिये ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं कह रहा हूं आप सुनिये ।

जहां तक मेरे प्रोग्राम का प्रश्न है आपको मालूम नहीं था कि मेरा क्या प्रोग्राम था । आपने जो इल्जाम लगाया कि मैं वहां घटना के १० या १५ मिनट बाद पहुंचा और मेरी उनके प्रति कोई भावना नहीं थी । इस प्रकार की कोई बात नहीं थी । मैं १२ बजे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और श्री नाथूराम मिर्धा से मिलने के बाद एक बजे वहां पहुंचा । मुझको सपना नहीं आता था । वहां ५० ट्रक्स मेरे आगे खड़े थे और १५ गाड़ियां और खड़ी थीं । मैंने वहां लोगों से पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि तीन-चार आदमियों को मार दिया गया है । मैंने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कैरों मारे गये हैं । तो मैंने इन टोकन ऑफ रेस्पेक्ट फ्लैग बन्द किया और वहां १५ मिनट ठहर कर १५ मिनट बाद वहां से रवाना हो गया । इसके सम्बन्ध में आपने कल भी मुझे फोन से पूछा था और मैंने आपको बताया था । उसके बाद भी आपने झूठा स्टेटमेंट दिया है । आप सारे सदन में इस प्रकार झूंठी बात कह कर अपनी जमाना चाहते हैं । इसीलिये आपको हर साल अपना चुनाव क्षेत्र चुनाव के लिये बदलना पड़ता है । इसलिये आपके लिये यह शर्म की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो आरोप लगाये उनको इन्होंने स्वीकार किया । मैंने १२॥ बजे कहा और उन्होंने आध घन्टे बाद की बात को स्वीकार किया । अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सिपाहियों के नाम तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां पर कोई अफसर भी उनके साथ था क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : वहां पर तीन-चार पुलिस के कर्मचारी थे ।

श्री भैरोंसिंह : वहां पर सिपाही नहीं थे । अफसर होता तो आप नाम बताते ।

श्री दिनेशराय डांगी : मिलिट्री के ट्रक और गाड़ियां ५० थीं ।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस के कितने सिपाही थे ?

श्री दिनेशराय डांगी : कम से कम तीन-चार सिपाही थे।

श्री भैरोंसिंह : जहां तीन चार व्यक्तियों की लाशें पड़ी हों और उन लाशों को छोड़ कर जाने वाले राजस्थान के उपमंत्री, राजस्थान मंत्रि-मंडल में रहें, यह तुम्हारे पर कलंक है। आप कहते हैं कि तीन चार पुलिस के सिपाही थे। जहां तीन-चार पुलिस के सिपाही हों वहां भी लाश को छोड़ कर चले जावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : मैं समझता हूं कि कार पीछे से गई, डाकू भागे जा रहे हों और उन्होंने देखा हो, ऐसा तो इससे आशय नहीं निकालना चाहते हैं। यह बात स्पष्ट है कि जब वे वहां पहुंचे तो झन्डेवाली गाड़ी कौनसी गई, उस बारे में क्या हो रहा है, इस सब के बारे में पंजाब की पुलिस और सेन्टर इन्टेलिजेन्स से जानकारी की है और इन सारी चीजों के पूरे डिटेल्स उन्हें मालूम हैं। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको वहां पर रुकना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा आशय यह नहीं है कि वे मर्डर में शामिल थे या मर्डरर के साथ उनका कोई एलाएन्स हो। मेरा चार्ज यही है कि मौके पर कोई डिप्टी मिनिस्टर पहुंचे और पुलिस को इत्तला न दे। यह बड़े शर्म की बात है।

श्री दिनेशराय डांगी : पुलिस ने बताया था।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस वहां नहीं थी। आप बतायें। कोई पुलिस नहीं थी। मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि वहां पुलिस नहीं थी। अगर थी तो आप वहां के पुलिस अफसर का नाम बता दिजिये। यहां पर उस समय तक पुलिस पहुंची भी नहीं।

श्री दिनेशराय डांगी : आप झूंठ बोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप जैसी चिड़ियों के सामने क्या झूंठ बोलूंगा ? मैं मोहनलालजी सुखाड़िया के सामने भी झूंठ नहीं बोलता।

श्री दिनेशराय डांगी : आप हमेशा झूंठ बोलते रहे हैं, आप झूंठों के सरदार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या आपकी गाड़ी में मुख्य मंत्री के साले के लड़के वसन्तकुमार भी थे ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां, थे। क्या करना है आपको ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें ऐसी क्या बात है कोई मुकदमा तो है नहीं। हो क्या गया ?

श्री मुरलीधर व्यास : करना क्या है ? आप पद का और गाड़ी का दुरुपयोग करेंगे और फिर कहते हैं कि क्या करना है ? इस प्रकार के कार्य के लिए आपको शर्म आनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसे कि अभी कई क्वार्टरों में कहा गया कि राजस्थान में इन १० वर्षों में या जब से इस देश को आजादी मिली, किस प्रकार से कांग्रेस की तहत में प्रगति हुई है, इसके बारे में तीसरी पंच वर्षीय योजना के सालों में राजस्थान में किस प्रकार से प्रगति हुई है उसके संबंध में राज्यपाल महोदय ने अपने विचार व्यक्त कये हैं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ऐसी बातें कही गई कि राजस्थान में जो प्रगति हुई है वह नहीं के बराबर हुई है या जिस प्रकार से प्रगति होनी चाहिये नहीं हुई। अगर हम इन बातों को देखें और ध्यान से देखें तो पिछले १० या १२ वर्षों में, जब से हमारी यह कांग्रेस सरकार कायम हुई है, तो हमें महसूस होगा कि राजस्थान ने किस प्रकार से उन्नीत की है। राजस्थान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य दूसरे जितने भी विषय हैं, उन सब में राजस्थान ने किस प्रकार से उन्नति की है। समाजवादी समाज की स्थापना के बारे में कहा गया कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था हमारे देश में कायम होनी चाहिये ताकि हर आदमी को रोटी-रोजी और कपड़ा मिल सके; इसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। अगर पिछले सालों के आंकड़ों को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि यह कांग्रेस का शासन ही ऐसा है जिसने कि राजस्थान में अकाल पड़ने पर किस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने व्यवस्था की और किस प्रकार २६ जिलों में से १४ जिलों में अकाल था, वहां पर २६ लाख जनता प्रभावित हुई थी, उसके लिये किस प्रकार से व्यवस्था की, यह विचारणीय प्रश्न है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि राजस्थान सरकार ने अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रबन्ध करने के लिये ५ करोड़ रुपया खर्च किया है और एक करोड़ और कुछ लाख रुपयों का लगान माफ किया है; ६० लाख के करीब तकावी बाटी गई है। इससे यह मालूम होगा कि राजस्थान की सरकार अपनी जनता के प्रति कितनी जागरूक है और जनता के हितों का कितना ध्यान रखती है।

(४.०० म. प.)

तो इन सब बातों को देखते हुए आपको अन्दाज लगेगा कि राजस्थान सरकार अपने कार्य के अन्दर कितनी लगनशील है और कितना कार्य किया है। यह बात जरूर हो सकती है कि, अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरी आसींद तहसील के बारे में कहा कि, राजनैतिक आधार पर अकाल सहायता तय की जाती है और कहा कि आसींद तहसील से जिसको पिछले साल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में प्राइज मिला उसको अकालग्रस्त घोषित किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने पिछले साल मेहनत करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया, दूसरे साल वहां वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ जाय तो क्या उसे अभावग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता? वे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से यह बात सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि उस गांव को अभावग्रस्त घोषित

Page No 102

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

किया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पटवारी ने वहां जिम्मेवारी की है, तहसीलदार ने जांच की है, कलेक्टर ने वहां पहुंच कर जांच की है, इसमें कोई राजनैतिक आधार नहीं हैं।

एक बात मैं अकाल और राहत कार्यों के बारे में कहूंगा कि अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में जो कार्य कराये गये, सड़कों पर मजदूरों से काम लिया गया उसके पैसे कुछ अर्से के मजदूरों को अभी तक भी नहीं चुकाये गये हैं, मजदूरों के पैसे बकाया हैं। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की गलती के कारण जिन मजदूरों को नहीं चुकाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी वह पैसा चुकाया जाय ताकि मजदूरों का असंतोष दूर हो।

इसके अतिरिक्त राजस्थान की खाद्य नीति के बारे में विचार व्यक्त किये गये कि राजस्थान सरकार की खाद्य नीति अच्छी नहीं हैं, जिसके कारण राजस्थान के लोगों में बड़ा असंतोष हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों को खाद्य नीति को देखें तो आपको विदित होगा कि दूसरे कई राज्यों से राजस्थान की खाद्य नीति बहुत अच्छी है, राजस्थान में खाने-पीने का सामान, खाने-पीने की वस्तुएं जो मुहैया हो रही हैं वे अन्य प्रांतों से कहीं ज्यादा अच्छी हैं और काफी अच्छी तरह से लोगों को अनाज मिल रहा है। यह सही है कि पिछले अभावों में यहां पर भी भाव बढ़े हैं फिर भी अन्य प्रान्तों के मुकाबले यहां स्थिति ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात प्रान्तों के भावों को देखें तो पता चलेगा कि राजस्थान में खाद्यान्नों के भाव उनके मुकाबले में काफी अच्छे हैं। राजस्थान से दूसरे प्रान्तों में इनके भाव मंहगे हैं। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र ने बफर स्टॉक कायम करने की कोशिश की है; उसी तरह हमारे यहां पर भी बफर स्टॉक कायम किये जायं तो हमारे यहां अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे और इससे भाव बढ़ने पर भी पाबन्दी लगेगी। इसी प्रकार एक व्यवस्था और होनी चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि जब अनाज पक कर खलिहानों से आयेगा तो व्यापारी अपनी इच्छानुसार, मन चाहे भावों पर अनाज काश्तकारों से खरीद लेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि ऐसे मौके पर काश्तकारों से अनाज खरीदने का काम सरकार अपने हाथ में ले और सुचारु व्यवस्था करे ताकि इससे काश्तकारों को भी अच्छा पैसा मिल सके और आम लोगों के लिये भी अनाज की अच्छी व्यवस्था हो सके। इससे ब्लैक मार्केटिंग भी बन्द होगा।

एक बात मैं सस्ते अनाज की दुकानों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सस्ते अनाज की जो पहले दूकानें खोली गई थीं उनमें कमी कर दी गई है, इससे लोगों को असुविधा होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन दूकानों में कमी न करके सस्ते अनाज की दूकानों की ठीक व्यवस्था की जाय।

अनाज की जो कम से कम कीमत निर्धारित की गई है वह इस वजह से निर्धा-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रित की गई है कि इससे कम पसा न दें, पर ज्यादा से ज्यादा पैसा निर्धारित करने की भी दर मुकर्रर रखनी चाहिये ताकि वाजिब भावों पर लोगों को अनाज मिल सके।

एक बात और अर्ज करना है। वह यह है कि राजा-महाराजा, जागीरदार और बड़े लोगों के पास अधिक जमीनें हैं। ऐसे लोगों के बारे में सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। ये लोग खेती करते हैं, सैकड़ों हजारों मन अनाज इनकी जमीन में पैदा होता है, उसको डिक्लेअर करने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर यह नहीं किया जायगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रख कर मार्केट में नहीं आने देंगे और मार्केट में अनाज की बहुत कमी होगी। इसलिये इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाय।

राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये राजस्थान सरकार ने काफी काम किया है। सिंचाई के बड़े बड़े बांध, भाखरा, चम्बल आदि बांध बनाये हैं, यह काफी सराहनीय है, मगर सिंचाई के साधनों में जो कमी है और दूसरी खामियां हैं, जो चीजें होनी चाहिये उनको पूरा नहीं किया जाता है। बड़े बड़े बन्धों के द्वारा ही हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के बड़े बड़े बांधों की व्यवस्था नहीं है, जहां नहरों की व्यवस्था नहीं है, जहां छोटे छोटे तालाब कई वर्षों से फूटे पड़े हैं, या जागीरदारों के कब्जे में हैं, उनको दुरुस्त कराया जाय, जागीरदारों के कब्जे से लिया जाकर उनसे सिंचाई की व्यवस्था की जाय, ताकि हमारे यहां राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके।

जागीरदारों के कब्जे में जो तालाब हैं उनको लिया जाय। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पानी पर सरकार का प्रबन्ध है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि वे तालाब जागीरदारों की खुदकाश्त में हैं। यह दोहरी नीति क्यों? उन तालाबों को जागीरदारों से छुड़ा कर उनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् गणपूर्ति होने पर पुनः)

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आसींद तहसील में जहां पर टूटे हुए बहुत से तालाब पड़े हुए हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि उनको बंधा दिया जाय, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेखाड़ी के बारे में भी मैंने पहले कहा था कि नेखाड़ी बांध बंधा दिया जाय तो इससे इस तहसील का काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा।

मैं एक बात और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। कई अफसर हम अपने यहां रखते हैं, कहीं एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर हैं, कहीं ग्राम सेवक हैं, उन सबके होते हुए भी हम जिस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कारण है ? इसका कारण मेरी समझ में यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने अफसर आप रखते हैं, उनमें डाइरेक्टर से लेकर एक ग्राम सेवक तक के दिल में एग्रीकल्चर के प्रति जिस प्रकार की लगन होनी चाहिये, वह उनमें नहीं होती है । न वे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान देते हैं और न उनका काश्तकारों से ही सम्पर्क हो पा रहा है । इसीलिये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है ।

बिजली के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप बड़े बड़े शहरों में बिजली देते हैं । भाखरा और चम्बल से बिजली लाकर सब जगह बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं । गवर्नर महोदय ने यह भी कहा कि ४००-५०० गांवों को बिजली देंगे । पर जब तक हर किसान के कुएं को बिजली नहीं मिलेगी तब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिस तरह हम बढ़ाना चाहते हैं उस तरह नहीं बढ़ पायेगा । ऐसे स्थानों पर जहां खेती-बाड़ी ज्यादा होने की संभावना है वहां जल्दी से जल्दी बिजली देंगे और इसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ पाएगा । ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बिजली मिलने से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकेगी, ऐसे स्थानों में बिजली नहीं दी गई है । वहां पर जल्दी से जल्दी बिजली देनी चाहिए ।

औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में भी राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया कि हमने ये इंडस्ट्रीज़ पिछले साल खोली हैं और इतनी आइंदा खोलने वाले हैं। मगर जहां तक मैं महसूस करता हूं जितनी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर के अंदर खोली जा रही हैं और उनमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो महंगाई हो रही है और रेट्स बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं । थोड़े दिन पहले प्रधान मन्त्री ने कहा था कि जब तक प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को लगाने का लाइसेंस वगैरह देते रहेंगे तब तक भाव बढ़ते जायेंगे । इसलिए जो जरूरी चीजों की इंडस्ट्रीज हैं उनको सरकार को पब्लिक सेक्टर में लगानी चाहिए ताकि भावों पर कन्ट्रोल हो और मुनाफा उठाने की जो नियत है उस पर अंकुश सरकार का रहे । मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने रूस का इतिहास देखा होगा । १९१७ में रूस में क्रांति आई, उसके बाद में रूस सरकार ने एक मिक्सड इकोनोमी चलाई, कुछ प्राइवेट सेक्टर में और कुछ पब्लिक सेक्टर में, मगर प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया और इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बंद करके तमाम इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ करना पड़ा । इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक इन पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश नहीं रखा जायगा जब तक इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ नहीं किया जायगा तब तक ज्यादा मुनाफा उठाने की मनोवृत्ति नहीं जायगी और उससे नागरिकों को, गरीब-मजदूरों को और काश्तकारों को किसी प्रकार का फायदा नहीं हो सकेगा ।

इसी प्रकार से खानों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं । राजस्थान ऐसा प्रांत है जहां पर खानों का ज्यादा से ज्यादा डवलपमेंट हो सकता है, मगर यहां के सेठ लोग खानों में से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं । उनकी ऐसी नीति है कि

Page No 105

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मजदूर को भी पैसा न दें। हमारे भीलवाड़ा जिले के अन्दर अभ्रक की जो खानें चलती हैं वहां ८-८, १०-१० महीने तक बराबर पेमेंट नहीं होता। श्रम विभाग शिथिल है। उनका पेमेंट नहीं करा सकता। हमारी सरकार उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जोह नहीं करती। इसलिए मेरा निवेदन है कि मगर आपको यहां पर खानों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की देनी है और उनका विकास करना है तो आपको चाहिए कि जितनी भी इम्पोर्टेन्ट-खानें हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, वैसी खानों को नेशनलाइज़ किया जाय ताकि लोगों को रोजगार भी ठीक मिल सके।

(४.१४ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

(गण-पूरक घण्टी)

इसी प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार तरक्की हुई है उसमें काफी लोग आये हैं, लेकिन जिस प्रकार सहकारिता का प्रचार इस प्रदेश में होना चाहिए उसमें बहुत बड़ी कमी है। यहां जितनी भी सहकारी समितियां बनी हैं, जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देनी चाहिए वैसे लोग कम आये हैं जो उसके द्वारा अपना दूसरा धंधा चलाना चाहते हैं और इस वजह से सहकारिता को धक्का लगा है। इसलिए सरकार को ऐसे मुनाफाखोर लोगों को जो अपना पेट भरना चाहते हैं जिस अभिप्राय में सहकारी समितियां बनी है उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को उन समितियों से छुड़वाया जाय।

इसी प्रकार लैंड मोर्टगेज बैंक की जो शाखाएं हैं, उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोन काश्तकारों को मिलना चाहिए ताकि वे खेती-बाड़ी में लगाएं। आज सहकारिता की स्थिति इस प्रकार है कि सहकारी समिति में १०० मेम्बर्स है, पांच जने पैसा जमा नहीं करवाते और ९५ करवाते हैं तो उनकी वजह से काम अटक जाता है और सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके अलग अलग खाते हों, जैसे बैंक में अलग अलग खाता खोला जाता है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकता है।

शिक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने काफी प्रगति की है। कहां पर ९० लाख और आज १५ करोड़ खर्च कर रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मगर मुझे इसमें एक बड़ी कमी महसूस हुई है। कई विश्वविद्यालय खुले हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मगर शहरों के अन्दर हर प्रकार के साधन जुटाए जाते हैं, साइंस अलग, कॉमर्स अलग, एग्रीकल्चर अलग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का बड़ा अभाव है। हमारे यहां गांवों में हायर सैकेन्डरी और सेकेन्डरी स्कूल हैं उनके अन्दर साइंस, एग्रीकल्चर वगैरह के सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाते जिसकी वजह से गांव में रहने वाले इन बातों में पीछे रह जाते हैं। आगे जाकर टैक्निकल कोर्सेज़;

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जैसे मेडीकल, इंजीनियरिंग आदि में एडमीशन नहीं ले पाते। इसलिए जहां पर कूस्ल खोले जायं वहां पर सब विषयों, साइंस, एग्रीकल्चर, वगैरह का प्रावधान हो, उससे गांव के लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वे लोग ज्यादा प्रगति कर सकेंगे।

इसी प्रकार हमारी सरकार प्राइमरी एज्यूकेशन कम्पल्सरी करना चाहती है और एक एक्ट भी पास किया है। लेकिन ऐसी व्यवस्था होनीचाहिए कि प्राइमरी एज्यूकेशन सब लोगों को समान स्तर पर मिले, यहां भेदभाव की नीति न हो, एक अमीर के लड़के को भी मिल सके और गरीब के लड़के को भी। यहां पर बहुत से अंग्रेजी स्कूल्स हैं। सरकार उनको ६० प्रतिशत अनुदान देती है। उनमें ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आमदनी दो-तीन हजार माहवार है। अगर सरकार ६० प्रतिशत एड देकर उन लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन देगी और दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों में बैठने का साधन भी नहीं मिलेगा और पानी के लिए चरू भी नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार की भेदभाव की नीति को छोड़कर ऐसे अंग्रेज़ी स्कूलों, जिनमें बड़े बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं, उनको एड न देकर हमारे प्राइमरी स्कूलों को वह एड देनी चाहिए।

इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : जल्दी ही समाप्त करिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो-तीन पॉइन्ट्स और रहते हैं केवल।

ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन का सरकार द्वारा नेशनलाइजेशन किया गया और उससे राजस्थान सरकार को काफी आमदनी है। जहां तक नेशनलाइजेशन का प्रश्न है, बहुत सी ऐसी रोड्स बाकी हैं जिनका अभी तक नेशनलाइज़ेशन नहीं हो सका है। यदि सरकार नेशनलाइज़ेशन की नीति को ज्यादा से ज्यादा लागू करे तो सरकार को अधिक फायदा होगा और डामर रोड्स और पक्के रोड्स हैं उन सब रूट्स का नेशनलाइज़ेशन करेगी तो सरकार को बहुत अधिक आमदनी होगी। इसके साथ ही साथ मेरा एक सुझाव और है। जहां ट्रांसपोर्ट के नेशनलाइज़ेशन का प्रश्न है उसके साथ साथ वहां पर लौडिंग ट्रक्स चलती हैं उनको भी आप नेशनलाइज़ कर दें तो हमारी आमदनी दुगुनी हो जायगी और राज्य सरकार को काफी लाभ होगा।

इसी प्रकार चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में होस्पिटल्स काफी खुले हैं और काफी सुविधायें भी दी गई हैं। लेकिन गरीब आदमी को बहुत कम लाभ है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, आदि बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ के अस्पतालों में गरीब आदमी का एप्रोच नहीं। गरीब आदमी को न कम्पाउडर, न नर्सेज़, न डॉक्टर पूछते हैं; कोई नहीं पूछता। जिस आदमी के पास में पैसा देने को होता है तो उसको सब पूछते हैं और उसकी व्यवस्था हो जाती है। जब हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की सुविधा हर आदमी को मिले और इस प्रकार के साधन हमारे अस्पतालों

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में हो, लेकिन वे यदि हमारे गरीब आदमी को एप्रोच के बाहर रह जांय तो फिर किस प्रकार की वह हमारी व्यवस्था है ? यदि समाजवाद में इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाती है तो यह बड़े कलंक की बात है। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहिये। डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस बंद होनी चाहिये ताकि उनको लाभ न हो और अधिक से अधिक फायदा गरीबों को पहुंचा सकें।

आयुर्वेद के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद औषधालय खोले जा रहे है, यह अच्छी चीज है। इनसे गरीब आदमियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। जितने आयुर्वेद औषधालय राज्य में खोले जाने चाहिये थे उतने नहीं खुले हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहिये क्योंकि यह सुविधा सस्ती और अच्छी है जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को हो सकता है।

श्रम नीति के लिए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, मैं उसकी सराहना किये बिना नहीं रहूंगा। उन्होंने न्यूनतम वेतन लागू करने की घोषणा की लेकिन अब तक लागू नहीं हो सका है इसके लिए राज्य सरकार से निवेदन है कि हर इन्डस्ट्री में, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या और किसी सेक्टर में हो, जो कमेटी सरकार ने मुकर्रर की और उसकी रिपोर्ट न्यूनतम वेतन लागू करने की सिफारिश की है उसको शीघ्र से शीघ्र सब जगह लागू किया जाय और जिस तरह से मंहगाई आपने अपने पब्लिक सेक्टर की इन्डस्ट्री में बढ़ाई है, आपने ५) बढ़ाये हैं लेकिन दूसरी इन्डस्ट्रीज ने नहीं बढ़ाई है इसलिए वहां भी यह होना चाहिये। श्रम विभाग के द्वारा समाज के अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिये। श्रम विभाग टेक्निकल एक्स्पर्ट के हाथों होना चाहिए। ऐसे ही अफसरों के हाथों में यह काम होना चाहिये जो कि इसका एक्स्पर्ट हो। आप ऐसे अफसरों को बिठा देते हैं जो न तो श्रम के माने समझते हैं और न ही मजदूरों की स्थिति को और जिन लोगों के लिए आप कानून बनाते हैं उन अफसरों की अयोग्यता के कारण जो आप उन मजदूरों को राहत देना चाहते हैं वह नहीं मिलती है और सरकार की जो मंशा है वह भी पूरी नहीं होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिग ऐसे एक्सपर्ट अफसरों को नियुक्त करना चाहिये।

प्रशासन के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। प्रशासन के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि पुलिस मे और अन्य विभागों में भ्रष्टाचार है। कहने का मतलब यह है कि हमारी समाजवाद की नीति है और जो अफसर हमारी समाजवाद की नीति में विश्वास नहीं रखता है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे अफसरों को नौकर न रखे। कॉन्स्टिट्यूशन में गारन्टी दे रखी है कि किसी अफसर को न निकाला जाय। अमेरिका जैसे देश में भी एक पार्टी के जीतने के बाद जब दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो जो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिम्मेदार पद पर अधिकारी हैं, जो पॉलिसी का निर्धारण करते हैं, जो शासन तन्त्र को चलाते हैं, तो वैसे आदमियों में उस समय हेरफेर हो जाता है। वैसे ही हमें भी चाहिये कि जो अफसर हमारी समाजवाद की नीति में विश्वास नहीं रखते उनको यदि प्रशासन में रखा जायगा तो प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चल सकता और जितनीं गड़बड़ियां आज हमें सुनने को मिलती हैं वे और भी बढ़ जावेंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फोरेस्ट विभाग के लिए भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो इन शब्दों के द्वारा मैं अपना समर्थन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये प्रस्ताव पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं ज्यादा आंकड़ों में न जाकर, ज्यादा उन बातों को न बता कर जो मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं, राज्य में रिश्वत है, बेकारी है, मंहगाई है, भाई-भतीजा वाद है, जाति-वाद है ये सब मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। लेकिन बताने से पहले मेरा यह अनुभव है, काफी अनुभव है, कि ये सब बातें हम किसको बतायें ? कौन सुनेगा ? और सुन कर अमल भी होगा या नहीं ? यह सब बातें मेरे दिमाग में चक्कर लगा रही हैं। मेरी यह मान्यता है कि जब तक यह सरकार रहेगी, जब तक यह कांग्रेस की हुकूमत रहेगी तब तक राजस्थान में भ्रष्टाचार रहेगा, बेरोजगार रहेगा, भाई-भतीजा वाद रहेगा, बेकारी रहेगी, जितने भी दुर्गुण हैं ये सब सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। फिर इन सब दुर्गुणों से ओतप्रोत इस सरकार को हम अगर कुछ नसीहत की बात बतायें तो मुझे शंका है, मुझे शक है कि यह सरकार हमारी इन कड़वी और सच्ची बातों को कैसे सुनना पसंद करेगी और उन पर कैसे अमल करेगी ? लेकिन हमारा यह कर्त्तव्य है, हमारा यह फर्ज है कि हम जब तक विरोधी दल के रूप में इस तरफ बैठे हैं और वह भी एक प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे हैं, तो हमारा पुनीत कर्त्तव्य यह है कि हम हमारी राय, हमारी भावना, सरकार के समक्ष रखें। लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह भी हमारी जो भावना है, राय है, उनको भी अगर सही जंचती हो तो उस पर कुछ अंश में अमल करना चाहिए।

हमारी जो राय है अगर सही जंचती हो तो उस पर कुछ अंश में अमल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी अभी राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हुए। चुनावों में कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया और किया जा रहा है कि इन चुनावों में कॉग्रेस को सफलता मिली, लेकिन किन परिस्थितियों में सफलता मिली, किन कारणों से मिली, किस ताकत से सफलता प्राप्त हुई,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अगर हम इसको दृष्टिगोचर करें और ठंडे दिमाग से सोचें तो यह सफलता कॉंग्रेस की सफलता नहीं, यह सफलता न्याय और ईमानदारी की सफलता नहीं, यह सफलता येन-केन-प्रकारेण सत्ता हासिल करने की नीयत की है। यह सफलता कॉंग्रेस की सफलता न होकर राजस्थान की हुकूमत की है। यह सफलता राज्य कर्मचारियों द्वारा जनता का वोट प्राप्त करने के कारण हुई है। ये सब बातें जब हम देखते हैं तो हमारा दिमाग काम करने लगता है कि राजस्थान में प्रजातंत्र जैसी, लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं। इस तरह का चुनाव का दृश्य जिसने देखा है, सारे सरकारी मुलाजिमान ने जो रोल अदा किया वे मानों कॉंग्रेस के वर्कर के नाते काम कर रहे हों। चाहे वह पटवारी हो, चाहे स्कूल का अध्यापक हो, चाहे पुलिस का सिपाही हो, तहसीलदार हो, एस० डी० एम० हो, इन सब का भरसक प्रयत्न था कि किसी तरह से येन-केन-प्रकारेण किसी को दवाया गया, किसी को लोभ-लालच, किसी को ट्रान्सफर किसी को प्रमोशन दिया गया गया, किसी को तकावी और जमीन दी गई। जो जिस तरह से राजी हुआ उसको उसी तरह राजी किया गया, चाहे वह किसी भी तरह से हो। यह इस चीज की सूचक है कि जो आपकी यह चुनाव प्रणाली रही और इसी तरह से कदम बढ़ाते रहे तो भले ही आप अपनी कुर्सियां बरकरार रख लें, लेकिन जिस ओर आप देश को बढ़ा रहे हैं उससे हिन्दुस्तान में लोकतंत्र से लोगों की आस्था खत्म हो जायगी। एक तरह से यह डिक्टेटरशिप की ओर जाने का रास्ता बना रहे हैं। आपकी यही इच्छा हो कि किसी भी तरह से हो, हमारी हुकूमत कायम रहे तो आप इतनी परेशानियां क्यों करते हैं, पब्लिक को परेशान क्यों करते हैं? आपके कारण राज्य कर्मचारियों को पचासों काम गलत करने पड़ते हैं। इसका सीधा सा उपाय है कि आप एक बिल ले आइये। जो विधान सभा के सदस्य हैं, मंत्री हैं, सरपंच हैं, प्रमुख हैं, वे उसी तरह से कायम रहेंगे, किसी को हटने की आवश्यकता नहीं, आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। इस तरह का कानून बना दीजिए, आपकी मैंजोरिटी है, इससे घर घर में जो झगड़ा पैदा कर दिया है वह भी मिट जायगा, आपकी तकलीफ भी मिटे और हमारी तकलीफ भी मिटे।

पंचायत चुनावों में राज्य की हुकूमत का, राज्य के खजाने का जी खोलकर दुरुपयोग किया गया; उसका नंगा चित्र जब हमारे सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचने लगता हूं कि जो सुविधा, अधिकार और सत्ता गांवों को मिली हुई है आपकी मोनोपोली, बपौती नहीं, इसमें हर नागरिक का अधिकार और सहयोग है। अब आप इस अधिकार के लिये, सत्ता-प्राप्ति के लिये मनमानी करें, जनता की परेशानियां बढ़े, तबाही हो, इस तरह से हस्तांतरित अधिकार का उपयोग करते हैं तो यह प्रजातंत्र के लिये एक प्रकार का कलंक है।

हमने देखा पंचायत चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, यह क्या हो रहा है; लोग अन्दर ही कन्वेसिंग कर रहे हैं, इसको बन्द कीजिये, लोगों को अन्दर गलत वोट दिला रहे हैं, चपरासी सील लगाकर बैलट को डाल

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रहे हैं, वे कहते हैं सब अच्छा हो रहा है। पुलिस वालों को कहा गया सौ गज के एरिया के अन्दर प्रचार कर रहे हैं, रोका जाय, उनका कहना था कि अच्छा हो रहा है, आप चिन्ता मत करिये। टोंक कलेक्टर साहब से पंचायत टोंक के चुनावों के दौरान उनके दफ्तर के आगे वोटर्स को मोटरों में उतारा जा रहा था उनसे कहा, आप जाकर देखिये। उनका कहना था कि मैं कोई गवाह थोड़े ही हूं, फोटो ले लीजिये, पिटीशन कीजिये। यह नंगा चित्र है पंचायतों के चुनावों में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का। इतना होने पर उनकी जीत न हो, यह कभी संभव हो सकता है? हमारी सरकार के लिये यह शर्म की बात है कि प्रजातन्त्रीय सरकार होते हुए प्रजा से जबरदस्ती वोट हासिल करें, अनियमिततायें करे। कई जगह देखा, पंचों के हाथ खड़े किये जा रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनको गिना जा रहा था, जबकि पांच आदमी हाथ खड़ा कर रहे हैं उसको चार ही लिख रहे हैं। उनको कहा गया तो कहने लगे, पिटीशन कर दीजिये। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया। यह इस सरकार के लिए जो समाजवादी सरकार कहलाती है, प्रजातंत्रीय सरकार कहलाती है, इससे बड़ी शर्म की बात और नहीं हो सकती।

इसके बाद मैं महंगाई के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान में समय समय पर खाद्यान्नों के भाव बढ़ते रहे और वे भाव बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गये कि एक साधारण व्यक्ति इतने ऊंचे भावों का अनाज खरीद कर स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं पा सकता। आपको यह मालूम है कि एक स्कूल अध्यापक को, पुलिस के सिपाही को, पटवारी को, ग्राम सेवक को, मामूली क्लर्क को, १०० रुपये से कुछ ऊपर तनख्वाह मिलती है। इन सौ रुपयों की चीज आप बाजार में खरीदने जाओ तो आपको मालूम होगा १०० रुपये की मुट्ठी भर चीजें आप लेकर आवेंगे। इन मुट्ठी भर चीजों से किस तरह से महीना भर चला सकते हैं, यह सोचने की बात है। इसके अलावा लड़के–लड़कियों की पढ़ाई, बीमारी में दवा का खर्च, इन सब खर्चों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो मिडल क्लास के कर्मचारियों की क्या स्थिति है? जो दफ्तर भी साफ कपड़े पहिनकर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं किस तरह से इतने अल्प वेतन में वे दिला सकते हैं?

मुझे खेद है कि अभी एक सज्जन बोल रहे थे और कह रहे थे कि किसानों को उनके अनाज का पूरा मूल्य मिलना चाहिये। हम भी चाहते हैं किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो, उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए; लेकिन केवल किसानों की हमदर्दी लेकर उनको गुमराह करना चाहते हैं। किसान जो एक मात्र चीज अनाज पैदा करता है उसको महंगे भावों में खरीद कर भी वह जो चीजें, ६६ प्रतिशत चीजें दूसरी बाजार से लाता है वह उसको महंगे भावों में मिलती हैं, तो यह किसानों की परवरिश कहां हुई? यह उनकी आर्थिक उन्नति करने की, उनकी आर्थिक दशा सुधारने की कहां चेष्टा हुई?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अगर आपकी यह नीति किसानों के हक में होती तो आपके इस सत्रह साल के शासन में वे मालामाल हो जाते, किसानों के पक्के मकान होते, उनके पास मोटरें होतीं, लड़के-लडकियां उनकी अच्छी पढ़ी-लिखी होतीं, उनसे शरीर पर अच्छे कपड़े होते, अच्छा खाना उनको मिलता। पर आपके इस सत्रह साल के कुशासन के बाद भी किसान की वही हालत है जो आपके शासन से पहले, बीस साल पहले थी। यही नहीं, बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूं कि उससे भी बदतर हालत किसान की आपके इस कुशासन में हो गई है। आज उसके शरीर पर वही कपड़े हैं, उसके पास पक्के मकान भी नहीं हैं, वहीं झोंपड़े हैं, आज उसको दूध भी पीने को मयस्सर नहीं है। जो पहले वह बहुत पी लेता था, आज तो उसको चाय भी नसीब नहीं है; घी, दूध, दही की बात छोड़ो। तो ऐसी हालत में आप किसानों की क्या मदद करना चाहते हैं, किस दिशा में उनको ले जाना चाहते हैं ?

जो सज्जन यहां कह रहे थे कि वे किसानों के हिमायती हैं, ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि वे यह कह कर किसानों को गुमराह करने की बात कहते हैं।

मैं स्वयं चाहता हूं किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। पर यह तभी ठीक होगी जब कि उनको उनकी सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ती, सुलभ हों। केवल अनाज के महंगे बिकने से ही कुछ नहीं होगा। जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को कम करना होगा या कंट्रोल करना होगा।

जब से पंचायत समितियों का निर्माण हुआ है, २ अक्टूबर, ५९ से, तब से कुछ अध्यापक जिला बोर्ड में जो पहले काम करते थे या सरकारी स्कूलों में काम करते थे उनको उनकी बिना मर्जी पंचायत समितियों के नीचे दे दिया। इसके बाद ६० में इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के मातहत जितने अध्यापक थे उनको अन्ट्रेन्ड मैट्रिक, इन्टर को ट्रेन्ड ग्रेड दिया गया और उन अध्यापकों को जो पंचायत समितियों में काम करने लगे थे आज तक वह ग्रेड नहीं दी गई। जो वे पुराने बीस-बीस साल के नौकर थे उनको नहीं दिया और बाद में चार-पांच साल से, ६१ से नये सर्विस में आये उनको मैट्रिक ट्रेन्ड ग्रेड दे दी गई ; वह कहां का न्याय है ?

तीन तरह के अध्यापक और हैं। एक वे हैं जो डाइरेक्टर, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के तहत स्कूलों में काम करते हैं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में या गवर्नमेंट की या प्राइवेट स्कूलों में; पंचायत समिति के द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में काम करते हैं, जो डाइरेक्ट बोर्ड में काम पहले करते थे। अब उनकी जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी है, मुझे जहां तक मालूम है, दोनों की अलग अलग बनी है और यह तीसरे नम्बर के अध्यापक हैं जो पहले जिला बोर्ड में काम करते थे। उनका अभी तक किसी सीनियोरिटी लिस्ट में नाम नहीं है। इसके कारण उनकी ग्रेड, उनका प्रोमोशन और उनकी तरक्की में बहुत बाधा हो रही है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से, सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक ही तरह के अध्यापक, एक योग्यता के अध्यापक, एक काम करने वाले अध्यापक

(श्री जयनारायण सालोदिया)

और उनको इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाना ; एक को नये को ज्यादा फायदा हो, पुराने सेवा करने वालों को कम फायदा हो या नुकसान हो, यह कहां का न्याय ?

उन्होंने राज्य सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसके द्वारा उन्होंने मांग की है कि यह भेद–भावपूर्ण नीति दूर होनी चाहिये। इस ज्ञापन में उस ऑर्डर की नकल भी दी है जो संचालक, शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को आश्वासन के रूप में दिया है।

सरकार के आश्वासनों के बाद, उनके ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद, लिखित में दर्ख्वास्तें देने के बाद पंचायत समितियों द्वारा और जिला परिषदों द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद, आज तक उनकी वह हालत है जो पंचायत समिति बनने से पहले थी।

मैं प्रार्थना करूंगा कि एक तो महंगाई का यह युग, अध्यापकों को सबसे कम तनख्वाह और सबसे ज्यादा काम। उस पर भी आप अध्यापकों की इस तरह की वाजिब मांग पर गौर नहीं करेंगे और फिर चाहें कि अध्यापक हमारे राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करें, यह असम्भव है। अध्यापकों को अपने पेट की फिक्र है, अपने बाल-बच्चों की फिक्र है, अपने परिवार वालों की फिक्र है फिर आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने थोड़े पैसे में वे निश्चित रह कर आपके राष्ट्र-निर्माताओं का निर्माण कर सकें। आप तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर उन जितनी वेतन आपको देकर कहा जाय कि आप उसमें अपना निर्वाह करो तो आपको पता चले। आप तो उनकी महीने भर की वेतन का पैसा दो दिन में खर्च कर देंगे। फिर आपको क्या हक है कि आप उनको मजबूर करें इतने थोड़े पैसों में गुजारा करने के लिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसके बाद मैं आपको वह बात याद दिलाना अच्छा समझता हूं कि जब हिन्दुस्तान में स्वतन्त्रता आन्दोलन चला था, उस समय हिन्दुस्तान में चालीस करोड़ आदमियों ने उसमें अपना योगदान दिया था। आपका थोड़ा योगदान अधिक रहा हो, ऐसा आपका मानना गलत है। आज तो जो ट्रेज़री बैंचों पर बैठे हैं ये सभी कुछ इने-गिनों को छोड़ कर ४७ के बाद की उपज हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप भी तो थे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर आप उधर क्यों गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कांग्रेस चूंकि आज भ्रष्ट हो गई इसलिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझसे यह नहीं देखा गया कि ४७ के बाद आये आदमी कुर्सियों को धोखा-धडी से हथिया कर मौज उड़ावें, परमिट लें, लाइसेन्स लें, भ्रष्टाचार और चोरबाजारी करें और उनके इन कारनामों की गालियां हम पुराने कांग्रेसियों के मत्थे पड़ें। रेल के डिब्बों में, बाजारों में, बसों में, गलियों में लोग हम कांग्रेसियों के नाम से गालियां दें और हमें खानी पड़ें। हमने बहुत प्रार्थना की इन ४७ के बाद आये कांग्रेसियों से, कि बदलो। पर जब उनकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट होते देखी और यह देखा कि बिल्कुल ही इन्होंने तो बेईमानी पर कमर कस ली है तो फिर हमने देखा कि अब हमारी गुजर नहीं है कांग्रेस में और हम अलग हो गये।

श्री सभापति : आप विषय पर रहें।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, सुनना चाहते हैं सारा इतिहास। जब ४७ के पहले हिन्दुस्तान की आजादी के लिये चालीस करोड़ आदमियों ने आन्दोलन किया तो हिन्दुस्तान की लाखों मांओं ने अपने लाल बलिदानों की वेदी पर चढ़ा दिये, बहिनों ने अपने असंख्य भाइयों को बलिदान-पथ पर विदा किया।

हिन्दुस्तान के अन्दर बापों ने अपने पुत्रों का बलिदान किया था, उनकी इच्छा नहीं थी कि आप चन्द मुट्ठीभर आदमी ४७ के बाद कांग्रेस में घुस कर इस प्रकार से करेंगे और इस तरह का चित्र सामने रखेंगे कि १७ साल की हुकूमत के बाद आज देश में बेरोजगारी आप खत्म नहीं कर सके, चोरी और भ्रष्टाचारी खत्म नहीं कर सके, आप किसी को नौकरी नहीं दे सके। फिर आपको क्या अधिकार है कि आप इन कुर्सियों पर चिपके रहें ?

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

आप आखिर क्या करना चाहते हैं ? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या विचार है आपका ? मैं अंत में यह, चेयरमैन महोदय, अर्ज करके अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि अब भी समय है, अगर आपको सद्बुद्धि है, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान और हिन्दुस्तान तरक्की करें तो आपको अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आप यह समझ लें कि आप इस विश्वास में न रहें कि हम पंचायतों के चुनावों में विजयी होकर बहुमत में आ गये और आपका यह तामपत्र हो गया। यह तामपत्र आपका खत्म होने वाला है। जनता यह सुखाड़िया मार्का नकली डालडा खाने वाली नहीं है। इसको ठोकर मार कर गिराने वाली है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में कृपापूर्वक जो भाषण दिया उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है और उस विषय में जो कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकारी नीतियों का प्रतिपादन किया हैं और पिछले वर्षों में जो राज्य सरकार की ओर से राजस्थान

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में प्रगति हुई है और वास्तविक कार्य हुए हैं उनका लेखा-जोखा इस अभिभाषण में दिया है । उस ओर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि वे धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करते हैं और यह बताने की कोशिश की कि पिछले वर्ष में जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बातें रखी हैं सारी की सारी बातों को गलत बताने की कोशिश की और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वह गलत हो रहा है और तथ्य को तथ्य नहीं कहा गया है और जो कुछ हुआ है उसको भी मन्जूर करने में उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है । उसके साथ साथ कुछ उदाहरण के तौर पर इधर-उधर से बातें लाकर और यह साबित करने की कोशिश की है कि अमुक जगह यह बात हुई और अमुक जगह ऐसी घटनायें हुईं और इस वजह से जो अभिभाषण है हम उसका विरोध करते हैं और उस पर सहमत होने में मजबूरी जाहिर करते हैं। परन्तु सभापति महोदय, सरकारी नीतियों का प्रतिपादन अभिभाषण में होता है और वास्तविक जो विकास राजस्थान में हुए हैं वे आंकड़ों के रूप में इस अभिभाषण में प्रस्तुत हैं । इस बारे में कहां खामियां हैं, किस तरह की कमजोरियां रही हैं, वह विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों का हक है कि उस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करें । यह बात प्रजातांत्रिक राज्य में और प्रजातांत्रिक शासन में जरूरी है कि शासन की आलोचना की जाये परन्तु वास्तविकता को वास्तविकता नहीं बताकर और उसका मूल रूप में विरोध करना, यह विरोधी पक्ष को शोभा नहीं देता ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की ओर से अकालग्रस्त क्षेत्रों में जो काम हुए हैं उनका लेखा-जोखा भी राज्यपाल महोदय ने अपने इस अभिभाषण में अंकित किया है और उन्होंने यह ठीक कहा है कि राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग में अकाल-ग्रस्त स्थिति में राज्य सरकार की ओर से बहुत अच्छा इन्तजाम किया गया है । इसके बारे में दो राय नहीं हैं, क्योंकि उसी के फलस्वरूप अभी हाल ही में पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव हुए उसमें अगर कांग्रेस का बहुमत है और लोगों ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कांग्रेसी प्रधान और प्रमुख बनाये तो उसमें विरोध की क्या बात है ? उनकी विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा में उनका विश्वास है तो उन्होंने मतदान किया है । हालांकि दूसरी पार्टियों की तरफ से पैसे खर्च हुए, खाने खिलाये गये और विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि हमारे जीते हुए हमारे बाड़े में बैठकर खाना खाते रहे और मतदान में कांग्रेस को वोट दे दिया। यह बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। यह तो उनकी विचारधारा है । उनके हृदय में दूसरी विचारधारा है और ऊपर से आपको भी विश्वास दिलाकर आपको भी राजी रखना चाहते हैं। यह तो स्पष्ट प्रमाण इस बात का है कि यह प्रजातंत्र की विजय है । इससे तो पंचायती राज्य दिनों-दिन मजबूत होता जा रहा है। मतदाता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किसी भी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहता है। हर एक की गाड़ियों में वह बैठता है और दोनों पक्षों में खाना-पीना करता है और पर्दे में अपने विचार स्वतंत्र रूप से देता है। यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि पंचायती राज्य की नींव मजबूत होती जा रही है।

तो विरोधी पक्ष का इतना विरोध प्रकट करना और यह कहना कि प्रजातंत्र के जो नियम हैं यह दिनों-दिन कमजोर होते हैं यह बात बिल्कुल तथ्य से परे है। जो १९५९ में स्वर्गीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने पंचायती राज्य की नींव राजस्थान में रखी वह दिनों-दिन मजबूत होती जा रही है। यह बात तो सत्य है कि जो पंचायत की प्रणाली है यह लम्बी जरूर है, खर्चीली भी जरूर है और इस बारे में सब पार्टियों का एक मत है। इसमें दो राय नहीं है, परन्तु इतना लम्बा प्रोसीजर होने के बावजूद भी मत-दाता इतने होशियार हो गये हैं कि वे गुमराह नहीं होते और जहां अनपढ़ लोग हैं और प्रभावशाली लोग उनको दबाकर रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे वह दबाव से दूर होते जा रहे हैं और थोड़े समय के बाद वह समय आयेगा कि मतदाता को उनके अधिकार दिये हैं वे समय के अनुसार और अपनी विचारधारा के अनुसार मतदान करेंगे और जो ऐसी-वैसी पार्टीज़ हैं, जिनकी कोई मूल नीतियां नहीं हैं और जिनके ठोस कार्यक्रम नहीं हैं उनको वे मतदाता भुलावे में जरूर रखेंगे। इसलिए जो पंचायती राज्य की नींव है वह दिनों-दिन पक्की होती जा रही है।

सभापति महोदय, आपके जरिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पंचायती राज्य के नियम और कानून बने हैं यह लम्बी प्रणाली होने के वजह से जो भी अनुभव हुआ है और विरोधीपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं भी राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो चुनाव प्रणाली है वह लंबी जरूर है, पंचायत में कोऑप्शन, पंचायत समिति में कोऑप्शन और फिर चुनाव ; उसके बाद में जिला परिषद में कोऑप्शन और फिर प्रमुख का चुनाव........

(घंटी)

श्री सभापति : आप कल भाषण जारी रखेंगे। सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.०० बजे दिनांक २७ फरवरी, १९६५ के म. प. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर देखिये)

सूची-यंत्र एवं अभिकरण मय कीमत के

नाम यंत्र	तादाद	कीमत
१. ट्रेक्टर डी ४ केटरपिलर	१	६००००)
२. ट्रेक्टर बी० टी० डी० ६ संलग्न बुलडॉजर	१	४८०००)
३. फरगुशन ट्रेक्टर्स	३	४५७००)
४. अलीव डिस्क प्लाऊ	३	२५००)
५. वोल्टोज डिस्क प्लाऊ	२	२०००)
६. मेल्ड योड प्लाऊ	२	२२००)
७. फरगुशन डिस्क प्लाऊ	२	२०००)
८. टीलर्स बिद् सीड ड्रिल अटेचमैन्ट	२	५०००)
९. टीलर	१	१५००)
१०. हेरी ऑफसेट	१	१६००)
११. रीपर्स	१	४२००)
१२. थ्रेशर्स	२	६८००)
१३. ट्रोली	१	५०००)
१४. ट्रक (पुराना)	१	१५०००)
१५. मोल्ड बोंड प्लाऊ	१	११००)

फार्म के आय-व्यय के आंकड़े

वर्ष	आय	व्यय
१. १९६०-६१	११०००)	१७४७२)
२. १९६१-६२	१०२३४)	७००९५)
३. १९६२-६३	७७८३४)	८०२५०)
४. १९६३-६४	१०५४७७)	१०८५७४)

परिशिष्ट

वर्ष वार प्रति एकड़ मुख्य फसलों की औसत पैदावार

	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
१. ज्वार	३ क्विंटल	—	—
२. मक्का	४—३२ ,,	६—२३ क्विंटल	१२—५३ क्विंटल
३. मक्का ढेंचा	१—३६ ,,	११—२० ,,	१—६५ ,,
४. गेहूं	९—३२ ,,	७—१८ ,,	७—१२ ,,
५. चना	२—६५ ,,	२—६२ ,,	२—७५ ,,
६. अलसी	१—४० ,,	१—९५ ,,	१—२० ,,

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राजामल के तालाब में हरिजन बस्ती का निर्माण

५०. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर नगर परिषद् द्वारा राजामल के तालाब में हरिजन बस्ती का निर्माण कब हुआ था और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

उत्तर

राजामल के तालाब में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिए ८० मकानों का निर्माण आर्थिक वर्ष १९६१-६२ में हुआ। इसमें से ८ मकान आयुर्वेद कॉलेज को दिये गये तथा ७२ मकानों में हरिजन रहते हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

असम रोलर फ्लोर मिल, झोटवाड़ा

५१. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) असम रोलर फ्लोर मिल, झोटवाड़ा, जयपुर को प्रति दिन कितनी बोरी गेहूं दिया जाता है तथा किस तारीख से दिया जा रहा है ?

(२) गेहूं किस दर पर दिया जाता है तथा आटा बेचने की दर क्या है ?

(३) जयपुर में और कितनी फ्लोर-मिलें हैं जिनको सरकार सस्ता गेहूं देती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) असम रोलर फ्लोर मिल, झोटवाड़ा को मई १९६२ से केन्द्रीय सरकार द्वारा १५८५ टन व दिसम्बर सन् १९६३ से १८१० टन आयातित गेहूं का माहवारी कोटा दिया गया। जनवरी, १९६५ से ३००० टन का कोटा दिया जा रहा है।

(२) आयातित गेहूं १ जनवरी, १९६५ से ४८ रुपये प्रति क्विन्टल एवं (Plus) सैल्स टैक्स के हिसाब से दिया जाता है और रिज़ल्टेन्ट व होलमील आटा बेचने की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :—

रिजलटेन्ट आटा ५१.०० रुपये + सैल्स टैक्स

होलमील आटा ५३.५० रुपये + सैल्स टैक्स प्रति क्विन्टल

(३) एक।

जयपुर रोलर फ्लोर मिल।

व्यापारी द्वारा चीनी में मिट्टी मिलाने पर कार्यवाही

५२. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दौसा के चीनी के व्यापारी श्री मूलचन्द सत्यनारायण, मानगंज दौसा द्वारा ५ किलो चीनी में करीब ५०० ग्राम मिट्टी मिलाई जाने के सम्बन्ध में मैंने जिला परिषद् की दिनांक २६-६-६४ की बैठक में जो चीनी का नमूना पेश किया था उस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) दिनांक २६-६-६४ को जिला परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है।

बन्ध माधोसागर पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स तथा रेस्ट हाउस

५३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बंध माधोसागर (तहसील सिकराय) पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स तथा एक रेस्ट हाउस बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

सिंचाई विभाग का विश्राम गृह एवं पटवारी व गिरदावर क्वार्टर सिकराय में पहले से ही स्थित हैं।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, बीकानेर की योजनायें

५४. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री (टाउन प्लानिंग विभाग) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बीकानेर ने कितनी योजनायें किन किन तारीखों में सरकार को स्वीकृति हेतु अब तक भेजी हैं ?

(२) उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाओं की राज्य सरकार अब तक स्वीकृति दे चुकी है ? क्या स्वीकृति योजनाओं को गजट में प्रकाशित किया जा चुका है ?

(३) पिछले तीन वर्षों में उक्त योजनाओं से यू. आई. टी., बीकानेर ने क्या कोई प्लॉट्स नागरिकों को बेचे या एलाट किये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(१) तीन योजनाएं, क्रमशः दिनांक २६-६-६१, १-१-१९६२ व ४-१-१९६२ को।

(२) दो योजनाओं की। जी हां।

(३) जी हां । १० प्लाट्स ।

तस्कर व्यापार के मामले

५५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौनसु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले में सन् १९६२ से ६४ तक कितने तस्कर व्यापार के मामले पकड़े गये और प्रत्येक के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

सन् १९६२ से ६४ तक कुल १२१ मुकदमे दर्ज हुये जिनमे से ७ मुकदमे झूंठे पाये गये व २३ अदम-सबूत रहे, १० जेर तफतीश हैं और बाकी ८१ का चालान पेश किया गया जिनमें से २ में सजा हो गई और ७९ जेर-तजवीज अदालत हैं ।

मावली ग्राम व स्टेशन पर शक्कर का वितरण

५६. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मावली ग्राम व स्टेशन (मावली तहसील) पर शक्कर की वितरण व्यवस्था शुरू में किसको दी गई और अब तक किस किसके पास यह व्यवस्था रही ?

(२) जो सोसाइटी मावली व स्टेशन पर शक्कर की व्यवस्था कर रही थी उस सोसाइटी का कोटा (स्टेशन का) कब बन्द किया ओर क्यों बन्द किया और उसकी वितरण व्यवस्था किसको व क्यों दी गई ?

उत्तर

(१) मावली ग्राम एवं स्टेशन पर चीनी वितरण का कार्य प्रारम्भ में श्री बहुधन्धी सहकारी समिति, मावली द्वारा किया जाता था । माह मई सन् ६४ से श्री बहुधन्धी सहकारी समिति द्वारा स्टेशन पर दुकान न खोलने से मावली स्टेशन पर रिटेल एसोसियेशन द्वारा चीनी वितरण कराई जा रही है ।

(२) भाग (१) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

विभिन्न श्मशानों पर कब्जा—उदयपुर

५७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री (टाउन प्लानिंग विभाग) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के अलीपुरा में गोस्वामियों (बाबा साधुओं) की श्मशान घाट की भूमि को सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर ने प्लॉट बना कर बेच दी है और उन गोस्वामियों के लिए दूसरे श्मशान घाट का इन्तजाम नहीं किया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उसी स्थान के पास ईसाइयों के भी श्मशान (मुर्दा गाड़ने के स्थान) हैं वे अभी सुरक्षित हैं और उन्हें हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

Page No 121

(३) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कौन कौन से मुर्दा जलाने या मुर्दा गाड़ने के स्थानों पर कब्जा कर रही है और अब तक कितने स्थानों पर कब्जा कर उनके लिए दूसरे स्थान नियुक्त किये हैं ?

(४) क्या इस प्रकार के स्थान हॉस्पिटल के पास भी हैं ? यदि हां, तो उनको अभी क्यों नहीं हटाया गया और आगे हटाने के लिए क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। समाधियों के पास की भूमि पर प्लॉट अलॉट किए हैं। मोती मगरी के नीचे सहेलियों की बाड़ी की सड़क के पश्चिम में श्मशान के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है।

(२) जी हां। भूमि अवाप्त होने के बाद सब कौमों के कब्रिस्तान एक जगह कर दिये जायेंगे।

(३) किसी कब्रिस्तान पर कब्जा नहीं किया। आबादी के बीच से कब्रिस्तान हटाने के लिए कार्यवाही उत्तर सं० (१) के अनुसार की जा रही है।

(४) जी हां। नगरपालिका को लिख दिया गया है।

सागी नदी, जिला जालौर पर बांध का सर्वे

५८. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सागी नदी (भीनमाल), जिला जालौर पर बांध का सर्वे हो चुका है और इस बांध से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ?

(२) सरकार की इस बांध के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। योजना का सर्वे अभी जारी है।

(२) योजना यदि उपयुक्त पाई गई तो कार्यान्वित की जायगी।

वैल्डिंग मशीन की खरीद

५९. श्री रामकिशन (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या फरवरी, ६३ में वाटर वर्क्स सिटी डिविजन, जयपुर में किसी आदमी को वैल्डिंग मशीन पर काम करने के लिए रखा गया था ? यदि हां, तो किस आदमी को, कितने समय के लिये और किस वेतन पर ?

(२) जिस वैल्डिंग, मशीन पर काम करने के लिये उक्त नियुक्ति हुई थी वह वैल्डिंग मशीन कब, कितने में और कहां से खरीदी गई थी ?

उत्तर

(१) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रमांक	तारीख आमद रकम	रकम जो जमा हुई	कुल वार्षिक आय
१.	२-८-६१	१,६००.००	
२.	५-१०-६१	१,५००.००	३,४००.००
३.	२७-७-६२	१६२.००	
४.	३१-१२-६२	६६७.२८	१,१५६.२८
५.	१६-३-६३	११६.८५	
६.	३१-३-६३	५७३.८६	
७.	२६-४-६३	२७०.२५	
८.	१५-७-६३	१,४१०.१३	
९.	११-११-६३	७६.६६	
१०.	२४-१२-६३	४१३.७८	२,८६७.५६
११.	३-८-६४	७६२.१३	
१२.	३१-११-६४	५,०००.००	
१३.	६-१२-६४	५,०००.००	१०,७६२.१३

कुल आय १८,२१६.००

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२७१,२९४ २९५,३२२	६	ताराकित	तारांकित
२७४	अन्तिम से ४	लगवाये ।	लगवाये गये ।
२७९	८	उर मंत्री सिंचाई,	उप-मंत्री, सिंचाई
२८०	१६	श्रीं	श्री
२८९	अन्तिम से ५	,,	,,
२९१	शीर्षक	२५ फरवरी, ६५-ताराकित	२६ फरवरी, ६५- तारांकित
२९४	अन्तिम से ४	श्री मानिकचन्द्र सुराणा	श्री मानिकचन्द् सुराणा
२९६	अन्तिम	प्रावधोन	प्रावधान
२९७	शीर्षक	२६ फरवरी, २५	२६ फरवरी, ६५
२९८	२०	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
३०५	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
३१२	१७	नाइल	लाइन
३१५	१८	श्री उमरावसिंह ढाबरीया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
३२१	शीर्ष	(प्री दौलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
३२४	अन्तिम	कटता है तो जो	करता है
३२५	१	हैं	
३२८	अन्तिम	अध्यक्ष	अध्यक्ष
३३१	शीर्षक	तांरांकित	तारांकित
३३२	७	श्री जयनारायण तालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
३३४	१	स्क्र प	स्क्रेप
३३५	शीर्षक	२५ फरवरी, ६५	-२६ फरवरी, ६५-
३३६	,,	हड़तांल	हड़ताल
,,	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
३४१,३४५ ३४६	शीर्षक	रिच्शा	रिक्शा
३५१	५	(श्री हो राभाई	(श्री हीराभाई
३५५	शीर्षक	कार्य समिति के -२६ फरवरी, ६५-प्रतिवेदन का उपस्थापन	रिक्शा चालकों की हड़ताल -२६ फरवरी, ६५-विषयक स्थगन-प्रस्ताव

१	२	३	४
३६३	२	दीया	दिया
३७३	शीर्ष	न्दर शर्मा)	(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
,,	अन्तिम से ४	श्री मोहनलाल सारस्वत (बीकानेर)	श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
३८०	शीर्षक	विवद	विवाद
३८१	८	जयि	जाया
३८२	शीर्षक	बिवाद	विवाद
३८३	१४	चुकि	चुका
३९६	शीर्षक	राजस्थान महोदय	राज्यपाल महोदय
४०१	२४	विदड़ा	विद्ड़ों
४०७	अन्तिम से ३	झूठ	झूंठ
४११	६, १०	श्री मोकुलप्रसाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
४१५	१०, २०	श्री गोव्ुलप्रसाद शर्मा	,, ,,
४१७	१२	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	अन्तिम से ३	गाप्प	गप्प
४२०	,, ,, ५	निरपेक्ष	निरपेक्ष
४२६	६	मजदूर	मजदूरों
४२८	शीर्षक	वाव-विवाद	वाद-विवाद
४३०	२	खद्य	खाद्य
४३१	शीर्षक	२६ फरवरी, ६४	२६ फरवरी, ६५
४३२	,,	वाप	वाद-
४३३	३	महोने	महीने
४३७	१२	कन्धर्म	कन्फर्म
४४६	शीर्षक	वांद	वाद
४५०	अन्तिम से ४	विधान में सभ ापति	विधान सभा में सभापति
४५२	२३	पणरति	परिणत
४५५	शीर्ष	श्री (भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
४५६	शीर्षक	-२६ । फरवरी, ६५	२६ फरवरी, ६५
४७६	अन्तिम	में	से
४८३	शीर्षक	महादय	महोदय

१	२	३	४
४८४	शीर्षक	भाषण के बाद वाद	अभिभाषण पर वाद
४८७	२२	लीभ	लोभ
,,	२३	दिया गया गया ।	दिया गया ।
४६४	शीर्षक	अभिभापण पर अग्रेत्तर	अभिभाषण पर वाद-विवाद
५००	,,	वाव–विवाद	वाद-विवाद
५०१	,,	परिशिष्ट	परिशिष्ट १
५१०	५	बांस	बांध